VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

सुरक्षा

Classroom Study Material 2019

(September 2018 to June 2019)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) **2**
1.1. पेरिस कॉल 7
2. सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा (Security in Border Areas) **10**
2.1. सीमा प्रबंधन 10
2.1.1. सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका 13
2.1.2. समुद्री/तटीय सुरक्षा 15
2.2. भारत में क्षेत्रीय प्रवासन और सुरक्षा संबंधी मुद्दे 18
3. उग्रवाद (Extremism) **21**
3.1. भारत में नक्सली हिंसा 21
3.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद का सीमा पारीय लिंकेज 26
4. बाह्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका (Role of External State and Non-State Actors) **28**
4.1. तकनीक तथा उग्रवाद 28
4.2. भारत में ISIS द्वारा उत्पन्न चुनौतियां 30
4.3. आतंकी गतिविधियां और भारत-पाकिस्तान संबंधों में परस्पर अविश्वास की स्थिति 32
4.4. आतंकवाद-विरोधी वैश्विक समन्वय 35
4.5. "लोन वुल्फ" अटैक 37
4.6. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 39
5. धन-शोधन (Money Laundering) **42**
5.1. धन शोधन निवारण अधिनियम 42
5.2. काले धन पर रिपोर्ट 44
6. सैन्य आधुनिकीकरण (Military Modernisation) **47**
6.1. भारत में रक्षा अधिप्राप्ति 47
6.1.1. सामरिक भागीदारी नीति 49
6.2. युद्धक भूमिका में महिलाएं 50
6.3. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना 51
6.3.1. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष 53
6.4. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 54
7. विविध (Miscellaneous) **57**
7.1. जलवायु परिवर्तन- एक सुरक्षा मुद्दा 57
7.2. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण 59
7.2.1. मिशन शक्ति 60

VISION IAS

1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

- साइबर सुरक्षा से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के हमलों, क्षति, दुरुपयोग तथा आर्थिक जासूसी (economic espionage) से **साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने** से है। साइबर स्पेस **सूचना संबंधी परिवेश के भीतर एक वैश्विक क्षेत्र** है जिसकी स्वयं की IT अवसंरचना यथा इंटरनेट, दूरसंचार नेटवर्क, कंप्यूटर प्रणालियाँ आदि होती हैं।
- **वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report), 2019** (विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी), दुर्भावनापूर्ण साइबर हमलों तथा शिथिल साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल के मामले में भारत के इतिहास को उजागर करती है जिसके कारण 2018 में व्यक्तिगत सूचनाओं के उल्लंघन की गंभीर घटनाएं सामने आयी हैं।
    - इसमें विशिष्ट रूप से सरकारी ID डाटाबेस, **आधार** का भी उल्लेख किया गया है जिसमें कई बार सेंधमारी की घटनाएँ सुर्ख़ियों में रही तथा पंजीकृत सभी 1.1 अरब नागरिकों से संबंधित व्यक्तिगत सूचना के प्रति जोखिम उत्पन्न हो गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** द्वारा जारी तीसरे "**वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक**" में भारत, वर्ष 2017 के 23वें स्थान से गिर कर 2018 में **47वां** स्थान पर आ गया।

साइबर अपराधों के प्रकार

- **साइबर युद्ध (Cyber Warfare):** जासूसी करने तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना को क्षति पहुंचाने के लिए एक देश द्वारा दूसरे देश की सूचना प्रणालियों पर हमला करना।
- **फिशिंग (Phishing):** यह ईमेल के द्वारा व्यक्तिगत तथा वित्तीय सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया गया एक कपटपूर्ण प्रयास है।
- **साइबर स्टॉकिंग (Cyber Stalking):** किसी को परेशान करने या डराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का बार-बार प्रयोग करना।
- **पहचान की चोरी (Identity theft):** यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य की पहचान का प्रयोग कर उस अन्य व्यक्ति के नाम से कोई अपराध करता है।
- **सेवा प्रदान करने से मना करना (DoS):** यह सामान्यतः तात्कालिक बाधा उत्पन्न कर या सेवा निलंबित कर किसी आधिकारिक प्रयोक्ता को स्वयं के कंप्यूटर सर्वर या नेटवर्क माध्यमों तक पहुँच स्थापित करने में अवरोधकों को संदर्भित करता है।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता

- **सरकार द्वारा आरम्भ किया गया डिजिटल अभियान:** आधार, MyGov, सरकारी ई-बाज़ार, डिजीलॉकर, भारतनेट इत्यादि विविध सरकारी कार्यक्रम अत्यधिक संख्या में नागरिकों, कंपनियों तथा सरकारी एजेंसियों को ऑनलाइन व्यवहारों एवं अन्तरणों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- **स्टार्टअप कंपनियों को डिजिटल प्रोत्साहन:** भारत, तकनीक आधारित स्टार्ट-अप्स का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है तथा भारत के ICT क्षेत्र के 2020 तक बढ़ कर 225 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है।
- **सुभेद्यता में वृद्धि:** साइबर सुरक्षा के उल्लंघनों के मामलों में भारत विश्व का **पांचवां** सबसे सुभेद्य देश है। भारत में वर्ष 2017 के पूर्वार्ध में **प्रति 10 मिनट में एक साइबर अपराध दर्ज किया गया।** इसमें अपेक्षाकृत अधिक जटिल एवं संवेदनशील साइबर ख़तरे जैसे कि **वानाक्राई एवं पेटया** जैसे रैनसमवेयर भी सम्मिलित थे।
    - वर्ष 2017 में, वैश्विक स्तर पर हुए सभी साइबर हमलों, यथा - मॉलवेयर, स्पैम तथा फिशिंग आदि में से 5.09% (हमले) अकेले भारत पर किए गए।

VISION IAS

- **आर्थिक क्षति से बचाना:** भारत में साइबर हमलों के कारण होने वाली आर्थिक क्षति अनुमानतः 4 अरब डॉलर की है, जिसके आगामी 10 वर्षों में बढ़कर 20 अरब डॉलर होने की संभावना है।
- **इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या:** अमेरिका तथा चीन के बाद इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। 2020 तक भारत में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 730 मिलियन हो जाएगी जिसमें से 75% नए प्रयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से होंगे।
- **ऑनलाइन लेन-देन में वृद्धि:** उदाहरण के लिए, 2020 तक 50% यात्रा संबंधी लेन-देन ऑनलाइन किए जाएंगे तथा 70% ई-कॉमर्स संबंधी लेन-देन मोबाइल के माध्यम से संचालित होंगे।

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ

- **व्यापक स्तर पर डिजिटल निरक्षरता:** यह भारतीय नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी, साइबर चोरी जैसे ख़तरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है।
- **निम्न गुणवत्ता वाले उपकरणों का प्रयोग**: भारत में, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त अधिकाँश उपकरण सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं जिससे उनके मॉलवेयर के संपर्क में आने का ख़तरा अधिक होता है, जैसा कि हाल ही में घटित **'Saposhi'** के मामले में देखा गया है।
    - अनधिकृत लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर का व्यापक स्तर पर उपयोग तथा कम मूल्य देकर प्राप्त किए गए लाइसेंस उन्हें और अधिक सुभेद्य बना देते हैं।
- **नई तकनीक के अंगीकरण का अभाव:** उदाहरण के लिए, भारत की बैंकिंग अवसंरचना इतनी सुदृढ़ नहीं है कि बढ़ते डिजिटल अपराधों का सामना कर सके। ज्ञातव्य है कि कुल डेबिट तथा क्रेडिट कार्डों में से 75% मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आधारित है जिनका डुप्लीकेट सरलता से बनाया जा सकता है।
- **समान मानदंडों का अभाव:** भिन्न-भिन्न मानकों के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की संख्या अत्यधिक है जिससे **एकसमान सुरक्षा प्रोटोकॉल** स्थापित करना कठिन हो जाता है।
- **आयात पर निर्भरता:** ऊर्जा, रक्षा तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में प्रयुक्त अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर सेलफ़ोन तक आयात किए जाते हैं जिससे भारत की सुभेद्यता बढ़ जाती है।
- **पर्याप्त अवसंरचना तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी:** वर्तमान में भारत में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग 30,000 पद रिक्त हैं साथ ही आवश्यक कौशल युक्त लोगों की आपूर्ति उनकी मांग से बहुत कम है।
- **अनामिकता (Anonymity):** यहाँ तक कि हैकरों द्वारा किए गए उन्नत एवं सटीक हमलों के संबंध में यह ज्ञात करना भी कठिन हो जाता है कि ये हमले किस विशिष्ट अभिकर्ता, देश या गैर-राज्य कर्ता द्वारा किए गए थे।
- **साइबर सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव:** हालांकि निजी क्षेत्रक के साइबर स्पेस में महत्वपूर्ण हितधारक होने के बावज़ूद, इसके द्वारा साइबर सुरक्षा के संबंध में सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।
- **अन्य चुनौतियां:** इसके अंतर्गत, भौगोलिक बाधाओं की अनुपस्थिति, अधिकांश सर्वरों का भारत के बाहर स्थापित होना, साइबर स्पेस के क्षेत्र में तेजी से विकसित होती प्रौद्योगिकी तथा साइबर स्पेस के समग्र परिवेश में विद्यमान विविध प्रकार की सुभेद्यताओं के कारण एक अभेद्य साइबर सुरक्षा संरचना की स्थापना के समक्ष आने वाली कठिनाईयां इत्यादि कुछ अन्य प्रमुख चुनौतियां है।

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical information infrastructure: CII)

- महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना एक प्रकार की संचार या सूचना सेवा होती है जिनकी उपलब्धता, विश्वसनीयता और सुनम्यता (resilience) आधुनिक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अन्य अनिवार्य सामाजिक मूल्यों की क्रियाशीलता को बनाए रखने हेतु आवश्यक होती है।
- भारत में महत्वपूर्ण सूचना क्षेत्रकों में ऊर्जा, ICT/दूरसंचार, वित्त/बैंकिंग, परिवहन तथा ई-शासन सम्मिलित हैं।
- महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के विविध औद्योगिक कार्यों के मध्य जटिल अंतर्क्रिया तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान

VISION IAS

"अंतरनिर्भरता" उत्पन्न करते हैं। किसी एक भी बिंदु पर थोड़ा सा भी व्यवधान कई अवसंरचनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

- महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से एक **द्वि-चरणीय दृष्टिकोण** है:
  - संभावित ख़तरों की पहचान करना।
  - किसी भी प्रकार के हमले तथा उससे होने वाली क्षति के प्रति विविध प्रणालियों की सुभेद्यता की पहचान कर उसे कम करना तथा इनके पुन: घटित होने में लगने वाले समय (recovery time) में भी कमी करना।

उठाए गए विविध कदम

- **संस्थागत उपाय**
  - **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)** - इसकी स्थापना हवाई नियंत्रण, नाभिकीय तथा अंतरिक्ष संबंधी महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा संबंधी ख़तरों से निपटने हेतु की गई है। यह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के अधीन कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि NTRO द्वारा तकनीकी आसूचनाओं का एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है और यह प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नियंत्रणाधीन होता है।
  - **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC):** यह देश में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक की जाँच करने तथा वास्तविक समय में स्थितिपरक जागरूकता उत्पन्न करने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने का कार्य करता है।
  - एक **नवीन साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS) प्रभाग** का निर्माण साइबर ख़तरों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी तथा ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे इंटरनेट संबंधी अपराधों से निपटने के लिए किया गया है।
    - इसके अंतर्गत **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** तथा **साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स** की स्थापना भी की गयी है।
  - सैन्य साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय ने **डिफेन्स साइबर एजेंसी** का गठन किया है।
  - **भारतीय कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल (CERT-in)** - अग्र-सक्रिय कदमों तथा प्रभावी सहयोग के माध्यम से भारत के दूरसंचार एवं सूचना संबंधी अवसंरचना की सुरक्षा हेतु इसकी स्थापना की गयी है।
    - **CERT-fin** को अनन्य रूप से वित्तीय क्षेत्र हेतु प्रारम्भ किया गया है।
    - CERT-in द्वारा **साइबर स्वच्छता केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर)** का संचालन भी किया जा रहा है।
  - सरकार ने सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं पर होने वाले साइबर हमलों को रोकने तथा उनका अनुमान लगाने के लिए एक नए निकाय **"नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर-कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (NIC-CERT)"** का गठन किया है।
  - **साइबर सुरक्षित भारत पहल** का गठन भारत में साइबर सुरक्षा परिवेश को सुदृढ़ करने हेतु किया गया है। यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक उदाहरण है तथा इसके द्वारा IT उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा।
  - **गृह** मंत्रालय द्वारा **महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध की रोकथाम संबंधी योजना** को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **वैधानिक उपाय**
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित)** का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आदान-प्रदान के माध्यम से किए जाने वाले लेन-देन हेतु, साइबर सुरक्षा के लिए आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करना है। इसके कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
    - **धारा 43:** डेटा सुरक्षा
    - **धारा 66:** हैकिंग
    - **धारा 69:** साइबर आतंकवाद

VISION IAS

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013**: इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है:
  - ख़तरों के विभिन्न स्तरों से निपटने हेतु पृथक निकायों की स्थापना करना तथा एक मुख्य एजेंसी का गठन करना जो साइबर सुरक्षा के सभी मामलों का समन्वय कर सके।
  - एक राष्ट्रीय समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) का निर्माण करना।
  - साइबर सुरक्षा के लिए 500,000 प्रशिक्षित लोगों के कार्यबल का गठन करना।
  - सुरक्षा के सर्वोत्तम उपायों को अपनाने हेतु व्यवसायों को वित्तीय लाभ प्रदान करना।
  - देश में प्रयोग हो रहे उपकरणों की सुरक्षा की जाँच करने के लिए जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।
  - देश में एक साइबर परिवेश का निर्माण करना, तकनीकी तथा संचालन संबंधी सहयोग के माध्यम से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक की प्रभावी साझेदारी एवं सहयोगात्मक सहभागिता का विकास करना।
  - शोध के माध्यम से स्वदेशी सुरक्षा तकनीकों का विकास करना।

आगे की राह

- **समन्वय सुनिश्चित करना:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCC) को सशक्त कर विविध संस्थानों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा सकता है तथा साइबर निवारण सहित साइबर सुरक्षा के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है।
- **साइबर भयादोहन (Cyber deterrence):** यह दो प्रकार का होता है: **रक्षात्मक तथा आक्रामक**। भारत को बहुत से देशों द्वारा अपनाए गए आक्रामक साइबर सिद्धांत का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जहाँ वे 'साइबरवेपन्स' नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर आक्रामक क्षमता का विकास कर रहे हैं। इस हथियार से शत्रु के नेटवर्क को अत्यधिक क्षति पहुंचाई जा सकती है।
- **बेहतर विनियमन एवं मानकों का अंगीकरण:** वर्तमान में, साइबर स्पेस के उपयोग हेतु कोई भी स्वीकार्य मानक नहीं है। इसलिए, राष्ट्र के साथ-साथ कंपनियों द्वारा स्वयं की क्षमताओं को विकसित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आक्रामक साइबर साधनों के अनियंत्रित प्रसार और समग्र साइबर स्पेस में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क की स्थापना:** वर्तमान में, भारत में किसी साइबर इंश्योरेंस की औसत लागत लगभग 7.5 मिलियन डॉलर है जो विकसित देशों की तुलना में 20-25% कम है।
- **व्यवसायों के द्वारा साइबर सुरक्षा में निवेश को बढ़ावा देना:** IT सुरक्षा पर निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए एक साइबर सुरक्षा योजना अपनाना, साइबर इंश्योरेंस तथा एक डेटा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- **IT अधिनियम, 2008 में संशोधन:** अपराधों के लिए निवारक के रूप में कार्य करने के लिए साइबर अपराध के लिए निर्मित नियमों में बदलते साइबर परिदृश्य के साथ तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय IT अधिनियम में वित्तीय धोखाधड़ी को अभी भी एक जमानती अपराध माना गया है।
- **कौशल विकास:** 2025 तक, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग 10 लाख रोज़गार के अवसर सृजित होने की संभावना है। अत: इस क्षेत्र में विदेशी लोगों को रोजगार प्राप्त करने से रोकने हेतु, भारत को ऐसे परिवेश का विकास करना चाहिए जो कि आवश्यक कौशल का सृजन कर सके। "IT पेशेवरों की रिपाज़िटरी के रूप में" एक **नेशनल साइबर रजिस्ट्री** निर्मित करने का विचार भी क्रियान्वित किया जा सकता है।
- **साइबर सुरक्षा नीति का अद्यतनीकरण:** जिस प्रकार से **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013** ने साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुसार व्यापक सिद्धांतों की रूपरेखा का निर्माण किया गया तथापि इसमें उसे क्रियान्वयित करने संबंधित दिशा-निर्देश का अभाव था। इसलिए भारत को साइबर सुरक्षा पर एक अद्यतित नीति को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- **सिक्यूरिटी ऑडिट:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा संबंधी ऑडिटिंग को सभी सरकारी वेबसाइटों, एप्लीकेशन की होस्टिंग या पब्लिशिंग करने से पूर्व प्रयोज्य किया जा सकता है।
- **राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा ढाँचे की स्थापना:** उदाहरण के लिए, CERT-in के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय CERT की स्थापना करना।

VISION IAS

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना:** राष्ट्रों के मध्य बेहतर सहयोग स्थापित होना चाहिए तथा युद्ध की स्थिति में भी आधारभूत इंटरनेट अवसंरचना पर हमला न करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों को कृतसंकल्पित होना चाहिए। हाल ही में, गृह मंत्रालय द्वारा बढ़ते साइबर अपराधों के आलोक में **साइबर अपराध से संबंधित बुडापेस्ट अभिसमय** पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय उपाय

- **साइबर कूटनीति:** भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, मलेशिया, आदि देशों के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग स्थापित कर चुका है। उदाहरण के लिए, US-इंडिया साइबर रिलेशनशिप फ्रेमवर्क।
- **साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (GCCS):** यह एक प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, नीति-निर्माता, उद्योग-विशेषज्ञ, थिंक टैंक, साइबर विशेषज्ञ इत्यादि एकत्रित होते हैं और साइबर स्पेस के इष्टतम उपयोग सबंधी मुद्दों तथा चुनौतियों पर विचार करते हैं। पांचवें GCCS का आयोजन **भारत** में किया गया था।
- **साइबर सुरक्षा हेतु वैश्विक केंद्र:** इसे विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा भविष्य के साइबर सुरक्षा परिदृश्य हेतु एक थिंक टैंक तथा एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के लिए लांच किया गया था। इसका उद्देश्य सुरक्षित वैश्विक साइबर स्पेस के निर्माण में सहायता करना है।

मानकों के निर्माण हेतु अन्य पहलें

- साइबर हमलों के विरुद्ध अपने ग्राहकों की गोपनीयता तथा सुरक्षा को इंटरनेट तथा तकनीक उद्योग द्वारा बेहतर रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **माइक्रोसॉफ्ट** ने **साइबर सिक्योरिटी टेक समझौते के साथ-साथ "डिजिटल पीस" अभियान** को आरम्भ किया।
- **सीमेंस (Siemens)** कंपनी द्वारा एक **चार्टर ऑफ ट्रस्ट का उद्घाटन किया गया है जिसका उद्देश्य सुरक्षा सिद्धांतों तथा उपायों** का अनुपालन करने संबंधी व्यवहार को विकसित करना था ताकि साइबर सुरक्षा के लिए "वैश्विक मानदंड" का विकास किया जा सके।
- 2015 में, UN में, **सरकारी विशेषज्ञों के एक दल (GGE)** द्वारा साइबर स्पेस संबंधित **4 शांतिकालीन मानकों को** निर्धारित किया गया हैं:
  - राष्ट्रों द्वारा एक-दुसरे की महत्वपूर्ण अवसंरचना में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
  - साइबर हमलों की जाँच में अन्य देशों की सहायता करना।
  - एक-दूसरे की कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल को लक्षित नहीं किया जाना चाहिए।
  - राष्ट्रों द्वारा उनके क्षेत्र से हो रही किसी भी कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी होना।

संबंधित एनी तथ्य

'साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय' के बारे में

- यूरोपीय परिषद् का यह अभिसमय इस मुद्दे से संबंधित **एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ या उपकरण** है जो राष्ट्रीय कानूनों को सुसंगत बनाकर, जाँच की तकनीकों के लिए वैधानिक प्राधिकरणों में सुधार लाकर तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि कर इंटरनेट तथा कंप्यूटर संबंधी अपराध का निपटारा करता है।
- यह कॉपीराइट के उल्लंघन, कंप्यूटर संबंधी धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री तथा नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसे मुद्दों का समाधान करता है।
- इसका उद्देश्य उपयुक्त विधान को अपना कर तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रोत्साहित कर एवं न्यायिक सहयोग के माध्यम से एक समान अपराध नीति का अनुपालन करना है।
- इसे कंप्यूटर प्रणाली द्वारा बढ़ावा दिए गए **"प्रोटोकॉल ऑन जेनोफोबिया एंड रेसिज्म"** के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
- इस अभिसमय के US तथा UK सहित 56 सदस्य हैं। **भारत इसका सदस्य नहीं है।**

भारत को इसमें क्यों सम्मिलित होना चाहिए?

- भारत को **उस प्रमाणित संरचना** से लाभ ही होगा जिसके अंतर्गत राष्ट्र, साइबर अपराध तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण वाले किसी

VISION IAS

भी अपराध के संबंध में जहाँ तक संभव हो एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।

- यह अभिसमय **साइबर सुरक्षा पर एक वैश्विक क़ानून की आधारशिला निर्मित कर सकता है** तथा साइबर अपराध के विरुद्ध **राष्ट्रीय कानून या नीति-निर्माण के लिए** दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।
- भारत क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र बन सकता है तथा सदस्य होने की स्थिति में भविष्य के समाधान तलाश करने में समर्थ हो सकता है।

इसमें सम्मिलित होने के विपक्ष में तर्क

- भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों ने यह कहते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं कि विकसित राष्ट्रों ने बिना उनसे परामर्श किए हुए इसका निर्माण किया है।
- इसके विशिष्ट प्रावधान लोगों तथा राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हैं।
- इस अभिसमय द्वारा प्रदत्त आपसी कानूनी सहायता अत्यधिक जटिल तथा विस्तृत है जिसके कारण व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना कठिन हो जाता है।
- इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) ने यह चिंता व्यक्त की है कि यह राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए इस अभिसमय का एक अनुच्छेद, स्थानीय पुलिस को किसी अन्य देश के क्षेत्राधिकार में स्थित सर्वरों तक बिना किसी पूर्व अनुमति के पहुंच प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में हमारे जीवन में साइबर सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। नेटवर्कों के अत्यधिक अंतर्संबंधता (डिग्री ऑफ़ इंटरकनेक्टिविटी) का अर्थ है कि प्रत्येक सूचना सभी को प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना एवं हमारे मौलिक मानवाधिकार ख़तरे में पड़ सकते है। इसलिए सरकारों से उन नीतियों पर विचार करने का आग्रह किया जाता है, जो एक **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति** को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी परिष्करण, पहुंच एवं सुरक्षा और निरंतर महत्वपूर्ण कदम के रूप में विकास का समर्थन करती हो।

1.1. पेरिस कॉल

(Paris Call)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पेरिस में आयोजित यूनेस्को इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) की बैठक में, **"द पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस"** नामक पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य साइबर स्पेस के संरक्षण हेतु साझा सिद्धांतों को विकसित करना है।

पेरिस कॉल के तहत व्यक्त सिद्धांत

पेरिस कॉल में उल्लिखित लक्ष्य एवं अपनाए गए सिद्धांत वस्तुतः राज्यों, कॉर्पोरेशनों (नगरपालिकाओं) एवं सिविल सोसाइटी की वरीयताओं के संबंध में सहमति को दर्शाते हैं। पेरिस कॉल के तहत व्यक्त सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- **समावेशी विनियामक प्रक्रिया:**
  - मौजूदा क्षेत्रक-विशिष्ट पहलों ('टेक अकॉर्ड', 'यू. एन. ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स', 'फॉर द वेब') को एक ही दस्तावेज में एकत्रित करना एवं भविष्य की वार्ताओं हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करना।
  - साइबर स्पेस में विश्वास, सुरक्षा और स्थिरता को बेहतर बनाने में निजी क्षेत्र के अभिकर्ताओं के उत्तरदायित्व को मान्यता प्रदान करना।
  - सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के मध्य सहयोग में सुधार करने के लिए एक सुदृढ़ बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाना, ताकि साइबर क्राइम के खतरे से निपटा जा सके। साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून:**
  - UN चार्टर एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप, प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, साइबर स्पेस का बेहतर समन्वित विनियमन तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को प्रोत्साहन।

VISION IAS

- **राज्य संप्रभुता:**
  - साइबर स्पेस में होने वाले शत्रुतापूर्ण कृत्यों (hostile acts) के संदर्भ में संप्रभु राज्यों की विशिष्ट भूमिका को बढ़ावा देना। यह गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किए गए कॉर्पोरेट हैक-बैक (hack-back) और अन्य आक्रामक गतिविधियों की निंदा करता है।
  - यह चुनावों में हस्तक्षेप को रोकने के उपायों के लिए भी अपील करता है।
- **नागरिक सुरक्षा**
  - यह व्यक्तियों और महत्वपूर्ण अवसंरचना को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। साथ ही, "पब्लिक कोर ऑफ़ दी इंटरनेट" को भी दुश्मनों (hostile actors) से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - उद्योगों एवं सिविल सोसाइटी को श्रेष्ठ दैनिक प्रथाओं ("साइबर स्वच्छता: cyber hygiene") को बढ़ावा देने हेतु संलग्न करना तथा उत्पादों एवं सेवाओं में 'सिक्योरिटी बाई डिजाइन' का कार्यान्वयन करना। साइबर स्वच्छता व्यक्तिगत स्तर पर डेटा की सुरक्षा एवं रक्षा को संदर्भित करती है।

इसमें कौन सम्मिलित हो सकता है?

- पेरिस कॉल पर 190 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 130 सदस्य निजी क्षेत्रक से थे जबकि 50 से अधिक सदस्य राष्ट्र शामिल थे। **भारत, अमेरिका, चीन, रूस** जैसे प्रमुख देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर **नहीं** किए।
- कई प्रमुख **अमेरिकी तकनीकी कंपनियों,** जैसे- फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, HP इत्यादि ने भी समझौते को समर्थन प्रदान किया है।

पेरिस कॉल का महत्व

- पेरिस कॉल कई हितधारकों से समर्थन प्राप्त करके वैश्विक रूप से स्वीकार्य साइबर सुरक्षा मानदंडों के निर्माण संबंधी मुद्दे को एक नई गति प्रदान करती है।
- इसे पश्चिमी लोकतंत्रों और सत्तावादी (authoritarian) शासनों के बीच एक मध्य मार्ग खोजने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है, ताकि साइबर स्पेस से संबंधित मुद्दों पर सर्वसम्मति का निर्माण किया जा सके।
- हालाँकि, कुछ ऐसे मुद्दे मौजूद हैं जिन पर अभी भी विचार किया जाना शेष है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - वैधानिक रूप से बाध्यकारी अनुपालन तंत्र की स्थापना
  - जासूसी एवं किसी देश के नेतृत्व वाले (विशेषकर देश के उकसावे पर गैर-राज्य अभिकर्ताओं के माध्यम से किये जा रहे) आक्रामक अभियानों से निपटना।

चूंकि अमेरिका, चीन और रूस ने इसमें शामिल होने हेतु अनिच्छा व्यक्त की है, इसलिए अब यह कॉल अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत जैसे राज्यों के समर्थन पर निर्भर करेगी।

इंटरनेट गवर्नेंस के मॉडल

मल्टी-स्टेकहोल्डर मॉडल (पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका द्वारा समर्थित)

- विकेन्द्रीकृत अभिशासन संस्थाएं जिनमें कॉर्पोरेट्स, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) तथा सिविल सोसायटी जैसे गैर-राज्य अभिकर्ताओं को साइबर स्पेस को विनियमित करने वाले वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानदंडों के निर्माण में अपना मत व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- कॉर्पोरेट्स की तकनीकी विशेषज्ञता को मान्यता प्रदान करता है।

मल्टीलैटरल मॉडल (रूस और चीन द्वारा समर्थित)

- समझौतों पर आधारित शासन मॉडल है, जो विभिन्न सरकारों तथा गैर-राज्य अभिकर्ताओं (सीमित भागीदारी के साथ) के मध्य साझा किया जाता है।
- साइबर स्पेस के प्रबंधन में राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को बनाए रखता है तथा उसे आत्मरक्षा करने एवं राज्य में कानून-व्यवस्था के उत्तरदायित्व को बनाए रखने (साइबर स्पेस हेतु प्रत्युपाय करने सहित) के अन्तर्निहित अधिकार का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाता है।

VISION IAS

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने अपने पक्ष को समय के साथ दीर्घकालिक समर्थित बहुपक्षीयता (multilateralism) से बहु-हितधारिता (multi-stakeholderism) में परिवर्तित किया है।
- हालांकि, भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक नीति के क्षेत्रों में **साइबर स्पेस के संरक्षक के रूप में सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है**। यह डेटा स्थानीयकरण (देश के भीतर डेटा भंडारण करना) एवं सर्वर प्रबंधन संबंधी प्रतिक्रिया द्वारा स्पष्ट है।
- भारत साइबर अपराधों से निपटने के लिए डेटा साझा करने के संदर्भ में कॉर्पोरेट्स द्वारा अधिकाधिक सहयोग का समर्थन करता है।
- वर्तमान में, सरकारी एवं निजी, दोनों स्तरों पर वैश्विक नीति निर्माण तंत्र के साथ संलग्नता {इंटरनेट को-ऑपरेशन फॉर एसाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN) में भागीदारी सहित} में कमी आई है।
- भारत को घरेलू स्तर पर बहु-हितधारक संलग्नता (इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम) को प्रारंभ करने की आवश्यकता है, ताकि बहु-हितधारिता की प्राप्ति हेतु नागरिक समाज एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ पर्याप्त मात्रा में संलग्नता स्थापित की जा सके।

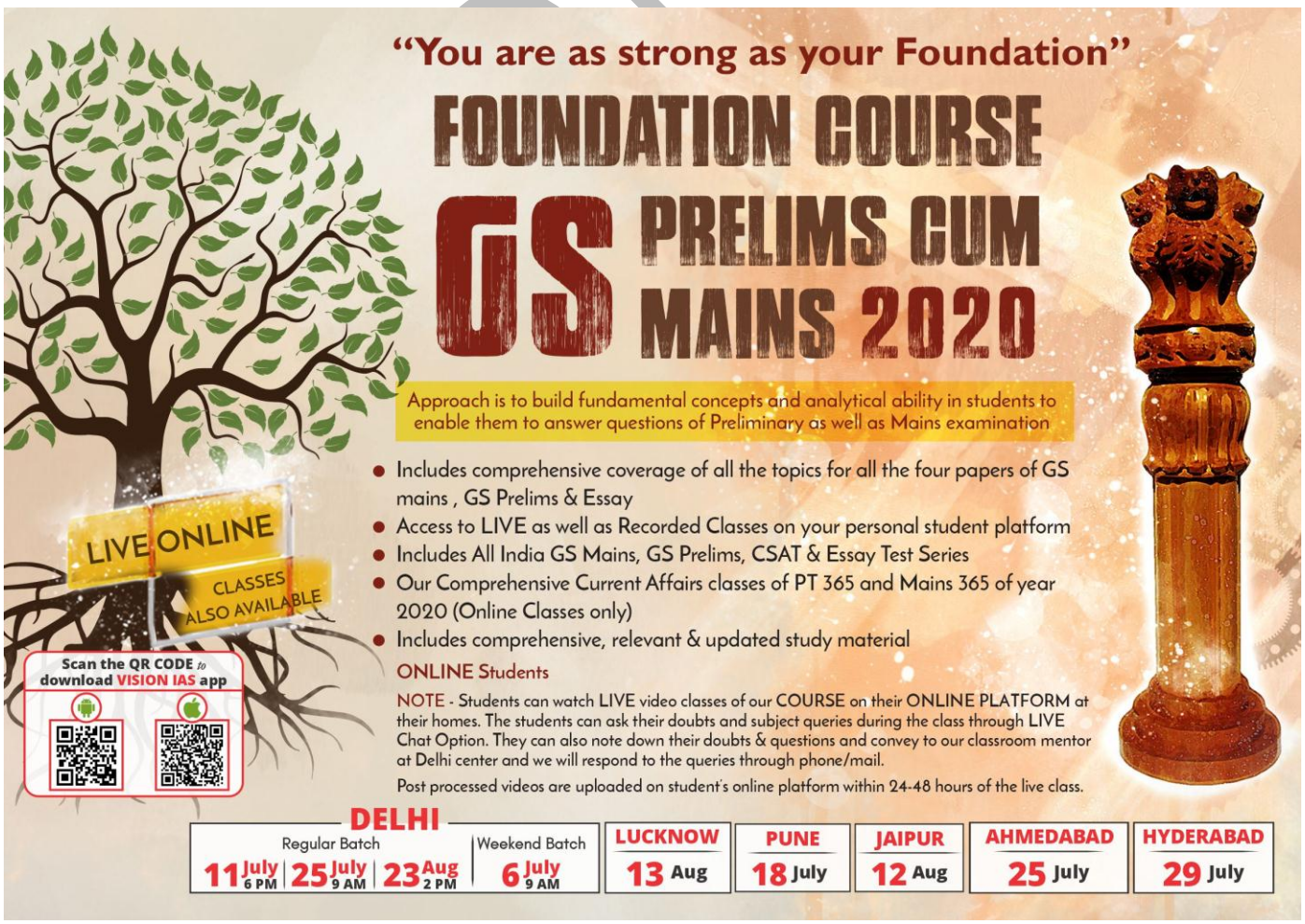

2. सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा (Security in Border Areas)

2.1. सीमा प्रबंधन

(Border Management)

- भारत की **स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000 किलोमीटर से अधिक** है। यह सीमायें सात देशों (पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान) के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत की **तटीय रेखा की लंबाई 7,500** किलोमीटर से अधिक है।
- **गृह मंत्रालय,** अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय और तटीय रेखा के प्रबंधन एवं सीमा की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा सड़कों, बाड़बंदी (fencing) और सीमाओं पर प्रकाश की व्यवस्था करने जैसी अवसंरचना के सृजन हेतु उत्तरदायी है।

प्रभावी सीमा प्रबंधन की आवश्यकता

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमाओं का उचित प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देश की विस्तृत सीमाओं के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं, जिनका समुचित समाधान किया जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा के प्रबंधन को प्रभावित करने वाली कुछ सामान्य समस्याओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्थलीय और समुद्री सीमाओं** का उचित सीमांकन न किया जाना।
- **सभी सीमाओं पर जटिल और भिन्न भू-क्षेत्रों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप** सीमाओं का अधिक दक्षतापूर्ण प्रबंधन कर पाना कठिन हो जाता है।
- सीमा सुरक्षा से संबद्ध विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव।
- मानवशक्ति और अवसंरचना दोनों की कमी सहित सीमा बलों के पास **अवसंरचना का अभाव**।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना**। इस स्थिति का सुरक्षा बलों और सरकार के विरुद्ध दुर्भावना विकसित करने हेतु उपद्रवी तत्वों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- **सुरक्षा बलों पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना**। उदाहरणार्थ मोबाइल कनेक्टिविटी का अभाव जो उनमें एकाकीपन को बढ़ावा देता है, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, सेना की तुलना में वेतन और भत्तों में असमानता आदि।

सीमा	सीमा पर चुनौतियां	सरकार की हालिया पहलें
भारत-चीन	• छिटपुट घटनाओं के साथ अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम आदि क्षेत्रों में सीमा विवाद। • सीमा व्यापार हेतु निर्दिष्ट क्षेत्रों के बावजूद इन सीमा बिंदुओं के माध्यम से चीनी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की वृहत स्तर पर तस्करी। • दुर्गम क्षेत्र होने के कारण अपर्याप्त अवसंरचना। जबकि, चीन द्वारा अपनी सीमा के निकट वायु, सड़क और रेल अवसंरचनाओं सहित निगरानी क्षमताओं के उन्नयन हेतु व्यापक प्रयास किए गए हैं। • **भारतीय सीमा पर कई सैन्य बलों** (जैसे- भारतीय तिब्बत सीमा बल (ITBP), असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स	• **अवसंरचना का निर्माण:** भारत द्वारा सैनिकों की आवाजाही में लगने वाले समय को कम करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया किया जा रहा है जैसे ढोला-सादिया पुल। • भारत ने चीन को नियंत्रित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं को शीघ्रता से विकसित करने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। • वास्तविक नियंत्रण रेखा की 100 किमी की परिधि में सैन्य अवसंरचना परियोजनाओं को वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों से छूट दी गई है। • सीमा सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन (BRO) को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया है।

	आदि) की तैनाती जबकि चीनी द्वारा अपनी सीमा पर एकमात्र पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) कमांडर की तैनाती की गई है। • जल बंटवारे से संबंधित मुद्दा क्योंकि चीन अपने सीमा क्षेत्र पर बाँध का निर्माण कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारत के हिस्से वाले जल के प्रवाह में कमी हो जाएगी।	
भारत-पाक	• सर क्रीक और कश्मीर में सीमा विवाद। • सिंधु नदी के नदी जल बंटवारे से संबंधित मुद्दा। • भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से घुसपैठ और सीमापारीय आतंकवाद को बढ़ावा देना। हाल ही में, सीमा सुरक्षा बलों ने जम्मू के वन क्षेत्र में पांचवीं (2012 के बाद से) सीमा पार सुरंग का पता लगाया है। • मरुस्थल, दलदल, हिमाच्छादित पर्वत और मैदानों सहित विविध प्रकार के भू-क्षेत्र सीमा सुरक्षा को कठिन बना देते हैं। • अप्रत्याशित परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अवसंरचना परियोजनाओं में लगने वाले समय और लागत का निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाना। • अन्य समस्याओं में मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, हथियारों का अवैध व्यापार आदि सम्मिलित हैं।	• पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद, गृह मंत्रालय ने प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी सीमा पर समग्र सुरक्षा प्रदान करने वाले एकीकृत सुरक्षा तंत्र की स्थापना करने के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के कार्यान्वयन को अनुमति प्रदान की है। • केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय विशेष बलों की एक इकाई "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)" कमांडो को तैनात करने का निर्णय लिया है ताकि जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य अर्द्धसैनिक बलों को रूम इंटरवेंशन (किसी घर या इमारत के भीतर प्रवेश कर सैन्य कार्रवाई प्रशिक्षण), आतंकवाद विरोधी कौशलों, अपहरण विरोधी अभियानों के निरीक्षण आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर आतंकवाद विरोधी अभियानों को सुदृढ़ किया जा सके।
भारत-नेपाल	• सीमा के माध्यम से आतंकियों और विस्फोटकों का प्रवेश आदि जैसी ISI की बढ़ती गतिविधियों के कारण उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। • भारत में **नेपाल** के माओवादियों से संपर्क के कारण माओवादी विद्रोह के प्रसार का भय। • **आसानी से बच निकलना और अवैध गतिविधियां** – उग्रवादी, आतंकवादी और अनेक खतरनाक अपराधी भारतीय एवं नेपाली सुरक्षा बलों द्वारा पीछा किए जाने पर खुली सीमा होने के कारण बच निकलते हैं।	• बेहतर परिचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के तहत एक नए आसूचना अनुभाग की स्थापना। • परस्पर चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के जिला अधिकारियों के स्तर पर "सीमा जिला समन्वय समिति" की स्थापना। • भारत सरकार ने नेपाल सीमा के साथ 1377 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। • रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण मानव तस्करी/व्यापार को रोकने के लिए नेपाल को विकास सहायता।

	○ ये राष्ट्र-विरोधी तत्व आवश्यक वस्तुओं एवं जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार और मादक द्रव्यों की तस्करी एवं मानव दुर्व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। • **अन्य मुद्दे:** कभी-कभी विवादित सीमा दोनों ओर बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण का कारण बन जाती है।	
भारत-भूटान	• **उपद्रव -** बोडो, उल्फा जैसे कई समूहों को भूटान की सेना द्वारा निष्कासित किए जाने के बावजूद शरण प्राप्त करने हेतु भूटान में अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं। • भूटान की भांग, शराब और वनोपज जैसी वस्तुओं की तस्करी। • लोगों और वाहनों की मुक्त आवाजाही के परिणामस्वरूप कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई समस्याएं।	• **द्विपक्षीय सहयोग -** सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर भारत-भूटान समूह की भांति सचिव स्तरीय द्विपक्षीय तंत्र। • भूटान में विद्रोहियों को मिलने वाली शरण को रोकने हेतु उसकी सेना के साथ सहयोग स्थापित करना। • डोकलाम के साथ भूटान सीमा के समीप सिक्किम में नई सीमा चौकियों की स्थापना। • केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भूटान, म्यांमार और नेपाल से संलग्न पूर्वी सीमा पर प्रमुख सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन (diversion) हेतु एक "सामान्य स्वीकृति" प्रदान की है।
भारत-म्यांमार	• **मुक्त आवागमन व्यवस्था:** विद्रोहियों द्वारा सीमा पार कर म्यांमार जाने और वहां प्रशिक्षण एवं हथियार प्राप्त करने हेतु मुक्त आवागमन व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। • गोल्डन ट्रायंगल के समीप स्थित होने के कारण मादक द्रव्यों की तस्करी। • खुली सीमाएं क्योंकि सीमा पर बाड़बंदी या सीमा चौकियों और सड़कों के रूप में कठोर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु व्यावहारिक रूप में ऐसी किसी भी प्रकार के सुरक्षा सम्बन्धी भौतिक अवरोध नहीं है। • सामान्य व्यापार और सीमा व्यापार के लिए दो नामित स्थानों यथा - मोरह और ज़ोखावतार में निम्न स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएँ।	• हाल ही में, मंत्रिमंडल ने थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए 13 नई एकीकृत जांच चौकियां (ICP) स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एकीकृत जांच चौकियां (ICP) वैध व्यापार और वाणिज्य की सुविधा प्रदान करते हुए ऐसे तत्वों को प्रतिबंधित करने में सक्षम हैं।
भारत - बांग्लादेश	• तीस्ता नदी जल बंटवारा, भारत द्वारा बराक नदी पर बांध का निर्माण आदि जैसे जल विवाद।	• सरकार ने भारत-बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में "सीमा सुरक्षा ग्रिड (BPG)" की स्थापना की घोषणा की है। • गुनारमठ एवं कल्याणी में सीमा सुरक्षा बल की चौकियों और

	• अवैध प्रवास: बांग्लादेश राज्य का निर्माण करने वाले 1971 के स्वतंत्रता युद्ध के बाद से बांग्लादेश से लाखों अप्रवासियों (अधिकांश प्रवास अवैध है) का भारत में प्रवेश। • नदीय क्षेत्रों, सीमा क्षेत्रों में अधिवासित लोगों द्वारा विरोध, लंबित भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों के कारण सीमा की पर्याप्त रूप से बाड़बंदी (फेंसिंग) नहीं हो पाई है। • जामदानी साड़ी, चावल, नमक आदि जैसी वस्तुओं के साथ-साथ मवेशियों की तस्करी।	पुतखाली एवं दौलतपुर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की सीमा चौकियों के मध्य एक अपराध मुक्त क्षेत्र स्थापित किया गया है। • गहन निगरानी हेतु क्लोज-सर्किट कैमरे, सर्च-लाइटों, थर्मल इमेजिंग उपकरणों और ड्रोन जैसे सीमा निगरानी उपकरणों का अधिष्ठापन। • सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) द्वारा सीमा क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के संबंध में स्थानीय लोगों में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है।

उठाए जा सकने वाले अन्य कदम

- **विवाद समाधान - सरकार को पड़ोसी देशों के साथ लंबित सीमा विवादों** का समाधान करना चाहिए, क्योंकि कालांतर में ये राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे के कारण बन सकते हैं।
- **सुरक्षा बलों की अन्यत्र तैनाती नहीं की जानी चाहिए - सीमा सुरक्षा बल को** अपने मुख्य कार्य से विचलित नहीं किया जाना चाहिए और उनकी तैनाती अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु नहीं की जानी चाहिए। जैसे- भारत-चीन सीमा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बल - भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।
- **सेना को शामिल करना -** यह अनुभव किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर में **नियंत्रण रेखा** और भारत-तिब्बत सीमा पर **वास्तविक नियंत्रण रेखा** जैसी अस्थिर एवं विवादित सीमाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय सेना का होना चाहिए, जबकि सीमा सुरक्षा बल को अविवादित सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।
- **सीमाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 'एक-बल-एक-सीमा' सिद्धांत का पालन करना चाहिए,** क्योंकि विभाजित उत्तरदायित्वों के परिणामस्वरूप कभी भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है।
- **अवसंरचना का विकास** - विशेष रूप से सीमावर्ती आबादी को अवैध गतिविधियों से दूर रखने हेतु सीमा पर अवसंरचना का तीव्र गति से विकास किया जाना चाहिए।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग** - निगरानी प्रौद्योगिकी विशेष रूप से उपग्रह और एरियल इमेजरी के क्षेत्र में हुई प्रगति के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निरंतर निगरानी रखने में समर्थ हुआ है तथा निगरानी हेतु सैन्य बलों की तैनाती की आवश्यकता को भी कम किया है।
- **आसूचना नेटवर्क का उन्नयन** और सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा सीमा पर विशेष अभियान संचालित करना।
- प्रतिपक्षी देशों के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान सीमा पार से घुसपैठ के मुद्दे को उठाना।

2.1.1. सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका

(Role of Technology in Border Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली** (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS) के अंतर्गत **"प्रोजेक्ट BOLD-QIT** (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डॉमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्नीक)" एवं "**स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट"** का शुभारंभ किया गया।

VISION IAS

सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **मौजूदा तंत्र को अपग्रेड करने हेतु:** मशीन का प्रयोग करने वाला व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का पता लगाने (detection) और उन्हें रोकने (interception) में बेहतर तरीके से सक्षम हो, इस हेतु प्रौद्योगिकी को **मौजूदा तंत्र के साथ एकीकृत** किया जा सकता है।
- **घुसपैठ नियंत्रण (Checking infiltration) हेतु:** स्थल, जल, वायु एवं सुरंगों के माध्यम से होने वाले घुसपैठ का पता लगाने हेतु क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा, थर्मल इमेजर्स, नाईट विज़न उपकरणों आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
- **सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु:** उदाहरणार्थ - ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी आधारित लेन-देन प्रक्रिया के शीघ्र एवं सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, यह अवैध व्यापार की पहचान करने एवं उसकी निगरानी रखने की प्रकिया को भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
- **संचार को सुगम बनाने हेतु:** समयोचित जानकारी प्रदान कर, विभिन्न हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
  - सुदूर क्षेत्रों में तैनात **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs)** के मध्य उपग्रह संचार के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
  - **समर्पित संचार उपग्रहों का नियोजन:**
    - **GSAT-7:** यह इसरो द्वारा निर्मित प्रथम समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है जो भारतीय सुरक्षा बलों को सेवाएं प्रदान करता है। इस उपग्रह की प्रमुख उपयोगकर्ता **भारतीय नौसेना** है।
    - **GSAT-7A:** यह एक उन्नत सैन्य संचार उपग्रह है। यह मुख्य रूप से **भारतीय वायुसेना** को सेवाएं प्रदान करता है। इसकी सेवाओं के 30% भाग का उपयोग भारतीय सेना द्वारा भी किया जाता है।
    - भारत द्वारा चित्रों के साथ-साथ राष्ट्र की विवादित सीमाओं के हाई-रिज़ॉल्यूशन वीडियो को कैप्चर करने हेतु RISAT और कार्टोसैट उपग्रहों का उपयोग किया जाता है।
- **बेहतर आसूचना इनपुट और निगरानी व्यवस्था:** सुदूर संवेदी उपग्रह, रडार उपग्रह और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) सेंसरों से युक्त उपग्रहों के माध्यम से सभी क्षेत्रों और सभी मौसमों में 24 X 7 इनपुट्स प्रदान करने में सक्षम है।
- **नौवहन को सुगम बनाने हेतु:** भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) आधारित GPS अत्यधिक ऊँचाई तथा सुदूर एवं दुर्गम सीमा क्षेत्रों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में परिचालनात्मक सैन्य दलों को नौवहन सुविधाएं प्रदान करेगा।

व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS)

- यह एक सुदृढ़ और एकीकृत प्रणाली है जो मानव संसाधनों, हथियारों और उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों को अबाद रूप से एकीकृत करते हुए सीमा सुरक्षा की वर्तमान प्रणाली में विद्यमान अंतरालों को कम करने में सक्षम है।
- इसके तीन प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
  - **नवीन उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरण,** जैसे - सेंसर, डिटेक्टर, कैमरा आदि तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निरंतर निगरानी (24x7) के लिए मौजूदा उपकरण।
  - एकत्रित किए गए डेटा को प्रसारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल और उपग्रह संचार सहित **कुशल और समर्पित संचार नेटवर्क;**
  - **एक कमान और नियंत्रण केंद्र,** जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की एक समग्र तस्वीर प्रदान करने हेतु डेटा प्रेषित किया जाएगा।
- CIBMS के तहत **सीमाओं की स्मार्ट बाड़बंदी,** वस्तुतः सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु प्रकल्पित एक प्रौद्योगिकीय समाधान है।
- **CIBMS के अंतर्गत BOLD-QUIT** वस्तुतः CIBMS के तहत **तकनीकी प्रणाली स्थापित** करने की एक परियोजना है, जो BSF को ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के गैर-बाड़बंदी वाले क्षेत्रों में भारत-बांग्लादेश सीमा को **विभिन्न प्रकार के सेंसरो से सुसज्जित करने** में सक्षम बनाएगी।

VISION IAS

क्रियान्वयन के समक्ष बाधक मुद्दे

- इस प्रणाली के समक्ष विभिन्न तकनीकी खामिया उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे - भ्रामक चेतावनियों के प्रसार में वृद्धि, दृष्टिरेखीय अवरोध (line of sight constraints), अविश्वसनीय सूचनाओं का प्रसारण तथा उपकरणों की खराबी।
- वर्तमान में, BSF द्वारा अधिष्ठापित अनेक उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निगरानी उपकरणों का इष्टतम रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सैन्य बल कर्मियों में आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अत्यधिक लागत तथा कलपुर्जों का आसानी से उपलब्ध न होना, उपकरणों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- सीमा क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा प्रतिकूल जलवायुवीय एवं क्षेत्रीय परिस्थितियाँ, परिष्कृत उपकरणों की कार्यप्रणाली को कमजोर कर सकती हैं।

2.1.2. समुद्री/तटीय सुरक्षा

(Maritime/Coastal Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में मुंबई हमलों की 10वीं बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

संबंधित तथ्य

- मुंबई हमला भारत की भूमि पर होने वाले सर्वाधिक नृशंस आतंकी हमलों में से एक था। इस हमले ने भारतीय सुरक्षा से संबंधित कई अवसंरचनात्मक कमियों को उजागर किया तथा इसने भारत के **आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को बदलकर** रख दिया।
- इस हमले ने सुदूर समुद्री क्षेत्र (अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र आदि) में सुदृढ़ निगरानी की अनुपस्थिति और तटीय पुलिस बल की अकुशल कार्यप्रणाली सहित **भारत की समुद्री सुरक्षा से संबंधित सुभेद्यताओं** को उजागर किया।
- इस हमले ने **आसूचना समन्वय और किसी संकट के समय रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल के अभाव तथा हमले के प्रति धीमी प्रतिक्रिया** के मुद्दों को भी उजागर किया।

भारत में तटीय सुरक्षा से संबंधित सुभेद्यता

- भारत के तटों में **विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक** विशेषताएं जैसे क्रीक, छोटी खाड़ियाँ, पश्च जल क्षेत्र, छोटी नदियां, लैगून, दलदल, पुलिन, छोटे द्वीप (आबादी युक्त होने के साथ-साथ आबादी रहित) आदि पाई जाती हैं।
- भारत की लंबी तटरेखा **विविध सुरक्षा संबंधी चिंताओं** को प्रस्तुत करती है। उदाहरणार्थ- हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी, घुसपैठ, समुद्री डकैती आदि।
- **तट पर भौतिक अवरोधों की अनुपस्थिति** और महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा रक्षा प्रतिष्ठानों की उपस्थिति, सीमा पार अवैध गतिविधियों हेतु तटों की सुभेद्यता में वृद्धि करती हैं।
- भारत की विभिन्न तटीय सीमाएं श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा खाड़ी देशों जैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर, आर्थिक रूप से कमजोर तथा अमित्रवत देशों से संलग्न हैं, जो तटों को और भी अधिक सुभेद्य बनाते हैं।

तटीय सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- **भारतीय नौसेना की भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति (IMSS) 2015:** इसमें विभिन्न सामुद्रिक एजेंसियों के मध्य अधिक समन्वय स्थापित करना; हिंद महासागर समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) को सुरक्षित रखना तथा समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती आदि के सामयिक आकलन हेतु समुद्री सुरक्षा अभियानों का संचालन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, बहुपक्षीय समुद्री संलग्नता, स्थानीय क्षमता निर्माण, तकनीकी सहयोग आदि की भी परिकल्पना की गई है।
- तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में समुद्री पुलिस बल की सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए **तटीय सुरक्षा योजना** (CSS)।
- **केंद्रीय समुद्री पुलिस बल (CMPF):** समुद्र, तटों, पत्तनों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा तथा तटीय समुद्री क्षेत्रों में हुए अपराधों की जांच करना।

VISION IAS

- **मछुआरों को निगरानी व्यवस्था और आसूचना एकत्रण में शामिल करना:** इसके तहत तटीय सुरक्षा के 'कान एवं आंख' के रूप में संदर्भित किए जाने वाले मछुआरों के समूहों का निर्माण किया जाता है, जिनमें समुद्र तथा तटीय समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने वाले प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी सम्मिलित होते हैं।
- **समुद्री क्षेत्र से संबंधित जागरूकता में वृद्धि करना:** एक अति महत्वपूर्ण तटीय सुरक्षा नेटवर्क- "राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार और आसूचना नेटवर्क (NC3I)" के माध्यम से सभी जलयानों, नौकाओं, मत्स्यन नौकाओं तथा तट के निकट परिचालित अन्य सभी जहाजों से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित एवं प्रसारित करना।
- **क्षमता निर्माण-** नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा सभी तटीय राज्यों की समुद्री पुलिस को आवधिक सामुद्रिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- क्षेत्रीय स्तर पर प्रासंगिक सामुद्रिक मुद्दों पर चर्चा के लिए खुला और समावेशी मंच प्रदान करने हेतु **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी।**

26/11 के बाद से तटीय सुरक्षा तंत्र में सुधार

- तटीय सुरक्षा के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत **शीर्ष स्तर पर "समुद्री और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय समिति"** शामिल है। इसके सहयोग से समुद्री और तटीय सुरक्षा संबंधित सभी मामलों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है तथा सभी हितधारकों सहित समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले खतरों के विरुद्ध तटीय सुरक्षा की आवधिक समीक्षा भी की जाती है।
- **भारतीय तटीय क्षेत्रों की त्रि-स्तरीय सुरक्षा** को सुदृढ़ता प्रदान की गई है और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निरुपित किया गया है, यथा:
  - **भारतीय नौ-सेना:** 200 समुद्री मील (नॉटिकल माइल) से आगे;
  - **भारतीय तट रक्षक बल:** 12 से 200 समुद्री मील (नॉटिकल माइल); तथा
  - **समुद्री पुलिस:** तट से 12 समुद्री मील (नॉटिकल माइल) तक।
- **तटीय निगरानी नेटवर्क की स्थापना की गई है।** इस निगरानी नेटवर्क में तटों के साथ स्टैटिक सेंसर, स्वचालित पहचान प्रणाली (automatic identification systems), लंबी दूरी तक निगरानी, दिन-रात निगरानी करने वाले कैमरे और संचार उपकरण शामिल हैं। निगरानी कार्य हेतु सभी प्रमुख और गौण बंदरगाहों पर **पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (Vessel Traffic Management System) रडारों** को भी स्थापित किया गया है।
- जागरूकता में अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु शिपिंग डेटा के सहज संग्रहण एवं प्रसार हेतु गुरुग्राम में **सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC)** की स्थापना।
  - नौसेना ने वाणिज्यिक पोत परिवहन के संबंध में 24x7 आधार पर क्षेत्रीय सूचना के आदान-प्रदान हेतु सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) में **"सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR)"** की स्थापना की गई है।
- **समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों को अब और अधिक विनियमित किया गया है**: (i) सभी मछुआरों, समुद्री नौकाओं और तटीय गांवों हेतु बहु-उद्देश्यीय पहचान-पत्र (ID) जारी किए गए हैं, (ii) मत्स्यन नौकाओं के लिए एक समान लाइसेंसिंग प्रणाली और (iii) निगरानी हेतु GPS तथा ट्रांसपोंडर्स इत्यादि।
- वर्तमान में बंदरगाहों की सुरक्षा **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)** द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, नौसैन्य अड्डों (नेवल बेस) की सुरक्षा के लिए नौसेना के एक विशेष बल के रूप में **सागर प्रहरी बल** का गठन किया गया है।
- 26/11 के पश्चात् भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के मध्य समन्वय को बेहतर बनाने हेतु **सागर कवच अभियान** का परिचालन किया गया है।

तटीय सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दे

- **मानवशक्ति का अभाव: मानवशक्ति के अभाव** और अवरोधक नौकाओं (interceptor boats) की कमी के कारण समुद्री पुलिस स्टेशन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

VISION IAS

- **समुद्री पुलिस हेतु अपर्याप्त प्रशिक्षण:** हालांकि समुद्री पुलिस को समग्र तटीय सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है परन्तु उन्हें आतंकवाद-रोधी गतिविधियों हेतु प्रशिक्षित नहीं किया गया है।
- **सहयोगात्मक तंत्र का अभाव**: नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस और अन्य प्राधिकरणों जैसी कई एजेंसियों को तटीय सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है। इसलिए सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा समन्वय एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
- **राज्य स्तर पर अपर्याप्त तंत्र:** राज्य स्तरीय निगरानी व्यवस्था बेहतर नहीं है।
  - इसके अतिरिक्त राज्य नियंत्रित समुद्री पुलिस को केंद्रीय बल द्वारा प्रतिस्थापित करने से स्थानीय आसूचना एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित कौशल का अभाव तथा इनके मध्य संघर्ष की स्थिति बना रहना आदि जैसी संरचनात्मक बाधाओं की उपेक्षा होती है।
- **अपर्याप्त गश्ती व्यवस्था (पेट्रोलिंग)**: विशेष रूप से रात्रि के समय **गश्ती संबंधी कार्यों में निरंतर गिरावट (90 प्रतिशत से अधिक)** और तटीय पुलिस द्वारा मत्स्यन पोतों की स्वयं द्वारा जांच न किया जाना।

26/11 के हमलों के बाद अन्य परिवर्तन

- **आसूचना तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन:**
  - सभी सरकारी डाटाबेस को संबद्ध (लिंक) करने हेतु **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (NATGRID)** की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य सभी एजेंसियों हेतु प्राप्य व्यापक आसूचना के एकल स्रोत का सृजन करना है। यह एजेंसियों को सामरिक रूप से एकत्रित की गई वृहद् सूचनाओं की गहन जांच करने, उसका आकलन करने तथा महत्वपूर्ण आसूचना स्रोतों की पहचान करने की अनुमति प्रदान करेगा।
  - **इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन मल्टी-एजेंसी सेंटर्स (MACs) को "आसूचना संलयन केन्द्रों" के** रूप में कार्य करने तथा रियल टाइम में 24X7 कार्रवाई योग्य आसूचना प्रदान करने हेतु सुदृढ़ किया गया है।
  - भारत की विस्तृत तटरेखा की निगरानी हेतु भारतीय नौसेना द्वारा **संयुक्त परिचालन केन्द्रों** का गठन किया गया है।
- **अन्वेषण प्रणाली में सुधार:**
  - ऐसे मामलों को अपने संज्ञान में लेने हेतु राज्यों की विशेष अनुमति की आवश्यकता के बिना आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक **विशेषीकृत सांविधिक एजेंसी** के रूप में **वर्ष 2008 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की स्थापना** की गई थी। आतंकवाद से संबंधित मामलों को त्वरित निपटान हेतु **विशेष NIA न्यायालयों** की स्थापना की गई है।
  - **संशोधित गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)** ने सुरक्षा एजेंसियों को नवीन शक्तियां प्रदान की हैं, जिनमें बिना आरोप के किसी आतंकी अभियुक्त को 6 माह तक हिरासत में रखने की शक्ति शामिल है।
- **प्रतिक्रिया तैयारी:**
  - आतंकी हमलों के प्रित त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)** के लिए **4 नए परिचालन केंद्रों** के साथ इसकी (NSG) **तैनाती** को भी **विकेन्द्रीकृत** किया गया है।
  - उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने **राम प्रधान समिति** की अनुशंसाओं के आधार पर **'फ़ोर्स वन'** नामक एक **'इलीट कमांडो फ़ोर्स'** गठित किया है तथा इसे NSG के समान ही विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

आगे की राह

- **तटीय पुलिस की पूर्ण भागीदारी: राज्य पुलिस एजेंसियों** को समुद्री अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें पकड़ने हेतु एकीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही, मछुआरों और स्थानीय समुदायों तक इनकी विशिष्ट पहुँच को सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण मानव आसूचनाओं के प्रवाह को सुगम बनाया जा सकता है।
- **एक विधायी ढांचे की आवश्यकता:** पोत परिवहन और बंदरगाह दोनों को शामिल करते हुए भारत की सामुद्रिक अवसंरचना के संरक्षण में प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु व्यापक कानून अधिनियमित किए जाने चाहिए।
- **तटरक्षक बल (CG) का सुदृढ़ीकरण:** तटरक्षक अधिनियम में विद्यमान सभी अस्पष्टताओं के निराकरण द्वारा तटरक्षक बल को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। तटीय सुरक्षा के संदर्भ में एक सुस्पष्ट कमांड श्रृंखला और परिभाषित मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए।
- **राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज:** सरकार को वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा सम्बन्धी अपने रणनीतिक विज़न को स्पष्ट करने हेतु एक राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज जारी करना चाहिए।

VISION IAS

2.2. भारत में क्षेत्रीय प्रवासन और सुरक्षा संबंधी मुद्दे

(Regional Migration in India and Security Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि **विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण (Foreigners' Tribunal's: FTs)** द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध प्रवासी (विदेशी) घोषित करने का आदेश बाध्यकारी होगा और इसे असम में **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC)** में किसी व्यक्ति के नाम को शामिल करने या हटाने के सरकारी निर्णय पर वरीयता प्राप्त होगी।

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात् अवैध आव्रजन के मुद्दे से निपटने हेतु, 1951 की जनगणना के बाद NRC को सर्वप्रथम असम के लिए तैयार किया गया था। परन्तु यह प्रक्रिया वोट बैंक की राजनीति के कारण अप्रभावी हो गई।
- वर्ष 2014 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 1951 के NRC को समयबद्ध रीति से अद्यतन करने का आदेश दिया गया था। वर्तमान में यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जा रही है।
- जब वर्ष 2018 में NRC के प्रारूप को प्रकाशित किया गया था, तब लगभग 40.7 लाख लोग NRC से बाहर हो गए थे। एक बार अंतिम NRC प्रकाशित होने के पश्चात्, बाहर किए गए लोग विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण (FTs) में जा सकते हैं।

विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण के बारे में

- विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण (FTs) **अर्द्ध-न्यायिक** निकाय हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति **विदेशी विषयक अधिनियम, 1946** (Foreigner's Act, 1946) के अधीन विदेशी है या नहीं।
- FT का गठन **सर्वप्रथम वर्ष 1964 में किया गया था और यह केवल असम में ही लागू** हैं। इसके विपरीत देश के शेष भागों में, अवैध रूप से निवास करने वाले किसी विदेशी नागरिक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और स्थानीय न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जाता है तथा तत्पश्चात उसे या तो निर्वासित कर दिया जाता है या कैद में रखा जाता है।
    - पूर्व में, ऐसे न्यायाधिकरणों के गठन की शक्ति केवल केंद्र सरकार में ही निहित थीं। हाल ही में संशोधित **विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 2019** द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला दंडाधिकारियों (मजिस्ट्रेट) को ऐसे न्यायाधिकरण गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया है जो यह निर्धारित करे कि भारत में अवैध रूप से निवास कर रहा कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है या नहीं।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

- यह असम के सभी वास्तविक (bona fide) भारतीय नागरिकों की सूची है। असम इस प्रकार के दस्तावेज़ वाला एकमात्र राज्य है।
- NRC को **नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों** के अनुसार अद्यतन किया जा रहा है।
- इसमें उन **व्यक्तियों और उनके वंशजों के नामों** को शामिल किया जायेगा, **जिनके नाम 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक किसी भी मतदाता सूची अथवा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 में दर्ज था।**
- सत्यापन की प्रक्रिया के अंतर्गत घर-घर जाकर सत्यापन करना, दस्तावेजों की प्रामाणिकता का निर्धारण, पितृत्व और संबंधों के गलत दावों को अस्वीकार करने से पहले वंशावली (family tree) की जांच करना तथा विवाहित महिलाओं के लिए अलग सुनवाई प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है।

VISION IAS

प्रवासन और सुरक्षा

- **अवैध प्रवासन में प्रेरक प्रमुख कारक**
  - अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण **बांग्लादेश में भूमि पर बढ़ता दबाव और बढ़ती बेरोजगारी।**
  - 4,096 किलोमीटर की **छिद्रिल भारत-बांग्लादेश सीमा,** जिसकी बाड़बंदी का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।
  - **सीमा पार बेहतर आर्थिक अवसर एवं संभावनाएं।**
- **सुरक्षा चुनौतियाँ**
  - **अवैध मतदाता:** अधिकांश बांग्लादेशी अप्रवासियों ने अपना नाम अवैध रूप से मतदाता सूची में सम्मिलित करा लिया है और इस आधार पर वे स्वयं को राज्य का नागरिक होने का दावा करते हैं।
    - यद्यपि अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है कि प्रवासन राष्ट्रीय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परन्तु यह असम जैसे सीमावर्ती राज्यों के लिए अत्यधिक प्राथमिकता का विषय बना हुआ है और राज्य तथा स्थानीय राजनीति में समर्थन जुटाने के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
  - **आतंकवाद का मुद्दा:** पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI असम में उग्रवादी गतिविधियों की सहायता करने हेतु बांग्लादेश में सक्रिय है। यह आरोप भी लगाया गया है कि अवैध आप्रवासियों में आतंकवादी भी सम्मिलित हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों के संचालन हेतु असम में प्रवेश करते हैं।
    - प्रवासन का राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक सुरक्षा के समक्ष खतरे के रूप में चिन्हांकित करके, राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता जोखिम को परिवर्तित कर देते हैं जो अधिकांशत: एक सुरक्षा समस्या में एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी है।
    - ऐसा करते हुए, वे प्रवासियों और नागरिकों को मूल अधिकारों से वंचित कर देते हैं तथा पहले से ही सुभेद्य आबादी को घृणित विदेशियों के रूप में तब्दील कर देते हैं।
  - **स्थानीय तनाव:** कभी-कभी प्रवासन राजनीतिक हिंसा की सीमा और गहनता में वृद्धि कर देता है और राज्य की सुरक्षा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है।
    - अवैध प्रवासन के मुद्दे पर सरकार की विफलता असमिया लोगों के आंदोलन का कारण बना है और परिणामस्वरूप वर्ष 1985 का असम समझौता हुआ।

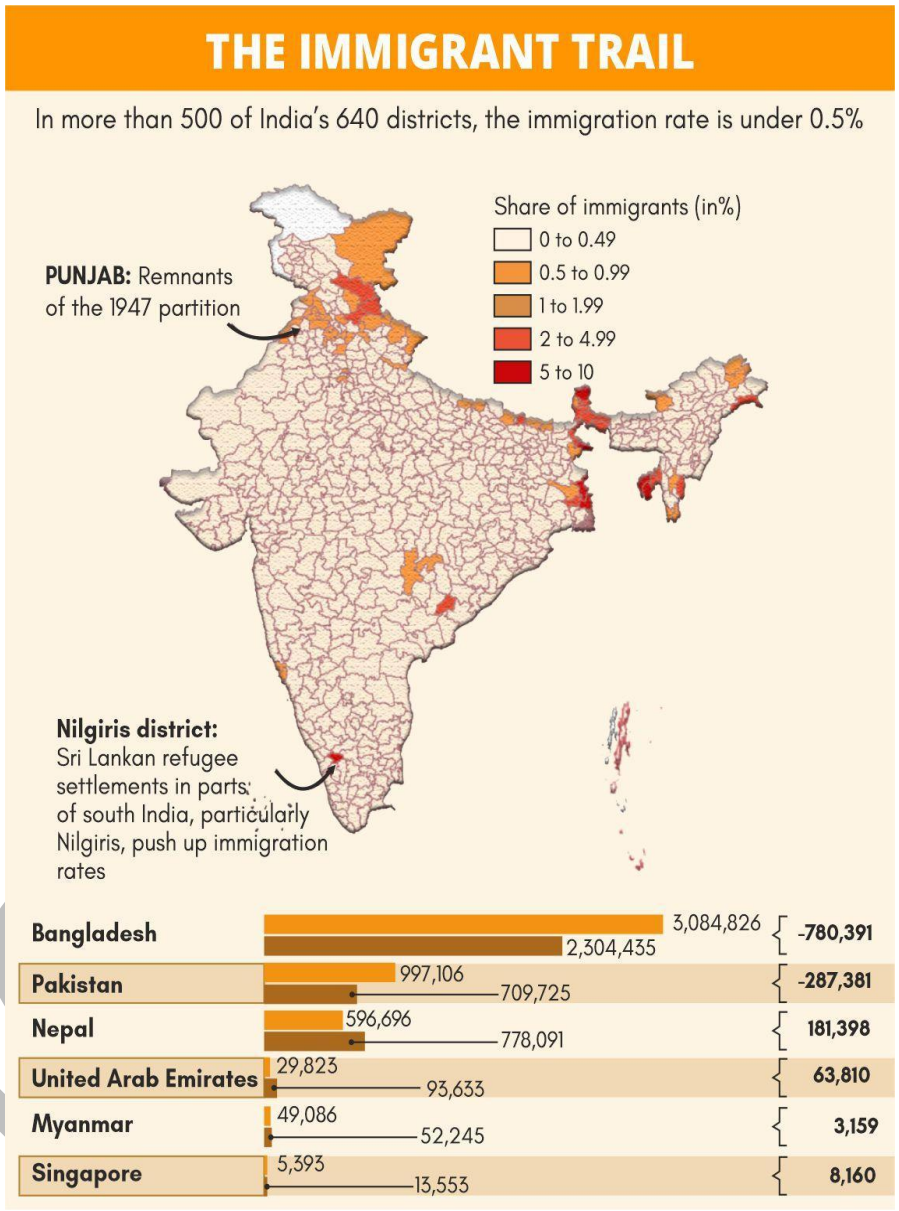

भारत के लिए विकल्प

- **कूटनीतिक प्रयास:** बांग्लादेश से सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत को कूटनीतिक प्रयास करना चाहिए क्योंकि जब तक मूल देश सहयोग नहीं करता है तब तक अवैध प्रवासन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अपने नागरिकों के साथ डिजिटल डेटाबेस साझा करने से इस समस्या का निराकरण करना और आसान होगा।

- **बेहतर सीमा प्रबंधन:** बाड़बंदी, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और सीमा के उचित प्रबंधन इस समस्या के समाधान में बेहतर योगदान प्रदान कर सकता है। जैसे भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अग्रसक्रिय पेट्रोलिंग (गश्त)।
- **विशिष्ट पहचान संख्या (UID) योजना:** आंकड़ों का संकलन नए अवैध प्रवासियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने सम्बन्धी संभावनाओं को कम करेगा।
- **मताधिकार से रोकना:** जो बांग्लादेशी पहले से ही यहां हैं, उन्हें रोजगार की अनुमति तो दी जा सकती है, परन्तु उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इससे उनकी राजनीतिक बल के रूप में सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने सम्बन्धी उनकी क्षमता कम होगी।
- **क्षेत्रीय मंचों का उपयोग:** पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्यों से समर्थन एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए BIMSTEC जैसे मंचों का उपयोग किया जा सकता है।
- **द्विपक्षीय वार्ता:** भारत को अभी भी वर्तमान मानवीय संकट का समाधान खोजने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए।

3. उग्रवाद (Extremism)

3.1. भारत में नक्सली हिंसा

(Naxal Violence In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में IED विस्फोट के कारण 15 सुरक्षाकर्मियों और उनके वाहन चालक की मृत्यु ने इस गंभीर चुनौती की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि नक्सल आंदोलन किस प्रकार देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी भी एक खतरा बना हुआ है।

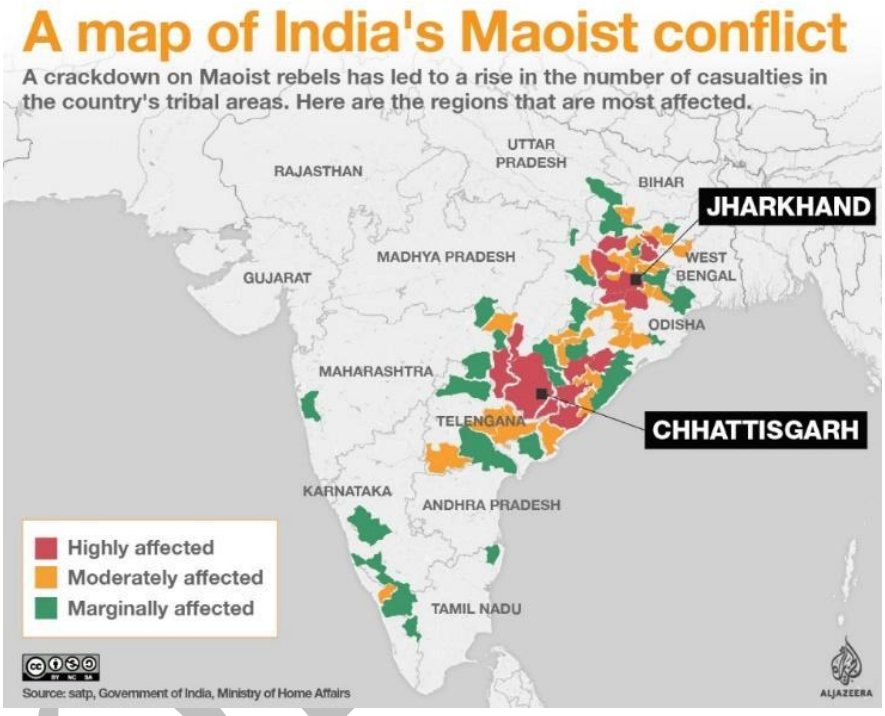

भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE)

- भारत में **नक्सली विद्रोह का उद्भव वर्ष 1967 में** भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में किए गए विद्रोह से हुआ था। यह **चीनी राजनीतिक नेता माओत्से तुंग के विचारों से** प्रभावित राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोगों का समूह है।
- ज्ञातव्य है कि नक्सलियों द्वारा भारत में उत्पीड़ित लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया जाता रहा है, जो प्राय: भारत की विकास प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं तथा साथ ही उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भी उपेक्षित कर दिया गया है।
- यह विद्रोह देश के पूर्वी भाग, विशेष रूप से **लाल गलियारे (रेड कॉरिडोर)** के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र में केंद्रित है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों में विस्तारित है।
- इसका उद्देश्य जन-संघर्ष के माध्यम से सरकार को हटाना है।
- ये इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे सरकार के कार्यों के समक्ष बाधाएं उत्पन्न होती हैं और 'नियंत्रण स्थापित करने' के अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सक्रिय रूप से विकास गतिविधियों को बाधित करते हैं। ये कानून का पालन करने वाले नागरिकों में भय उत्पन्न करते हैं।
- LWE या नक्सलवाद की समस्या भारत में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों में शीर्ष पर बनी हुई है। परन्तु विगत कुछ वर्षों में **LWE की हिंसक गतिविधियों में पर्याप्त कमी देखी गई है, यथा:**
  - LWE की कुल हिंसक घटनाओं की संख्या **वर्ष 2016 की 1048 से घटकर वर्ष 2017 में 908** हो गई।
  - इन घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु में 2013 की तुलना में 2017 में **34%** की गिरावट देखी गई है जो सरकार के प्रयासों की सफलता का द्योतक है।
  - आत्मसमर्पण करने वाले **LWE** कार्यकर्ताओं की संख्या में 2013 की तुलना में 2016 में 411 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
  - हताहत होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या में **43%** की कमी हुई है।
  - हाल ही में, **गृह मंत्रालय** ने **लाल गलियारे को पुनर्रेखांकित** करते हुए 11 राज्यों के नक्सल हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 106 से घटाकर 90 कर दी है तथा सर्वाधिक गंभीर रूप से प्रभावित जिलों की संख्या को भी 36 से घटाकर 30 कर दी है।

- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार को **LWE** से गंभीर रूप से प्रभावित घोषित किया गया है।
- जिलों को हटाने और नए जिलों को सम्मिलित करने का **मुख्य मानदंड के रूप में "हिंसक घटनाओं"** को आधार बनाया जाता है।

- **हिंसा में कमी के कारण**
  - **LWE** प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की अधिक से अधिक तैनाती।
  - गिरफ्तारियों, आत्मसमर्पण और परित्याग के कारण नक्सलवादियों के कैडर/नेताओं की अनुपस्थिति।
  - सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम।
  - प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी।
  - माओवादी कैडरों के मध्य विद्रोह का शिथिल होना।
  - धन, हथियारों और गोला-बारूद का अभाव होना।
- हालांकि, **LWE** द्वारा नए राज्यों को लक्ष्यित किया जा रहा है। इनके द्वारा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर नए ठिकानों के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं।
- **शहरी नक्सलवाद** के कारण भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह एक पुरानी माओवादी रणनीति है, जिसके अंतर्गत नेतृत्व, जनता को संगठित करने, संयुक्त मोर्चे का निर्माण करने तथा कर्मियों, सामग्री और अवसंरचना उपलब्ध कराने जैसे सैन्य कार्यों में संलग्नता हेतु शहरी केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- माओवादी विद्रोही और सुरक्षा बल दोनों ही हिंसा के एक दुष्चक्र में संलग्न प्रतीत होते हैं, जिसमें **आम नागरिकों** द्वारा जीवन, आजीविका एवं निवास संबंधी हानि को वहन करते हुए भय और दहशत के माहौल में जीवन यापन किया जा रहा है।

वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के कारण

भूमि संबंधी कारक • भूमि हदबंदी कानूनों का परिहार। • विशेष भू-स्वामित्व का अस्तित्व (भू-हदबंदी कानूनों के अंतर्गत छूट का लाभ प्राप्त करने वाले)। • समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा सरकारी और सामुदायिक भूमि (यहां तक कि जल-निकायों का भी) पर अतिक्रमण और आधिपत्य करना। • भूमिहीन निर्धनों द्वारा कृषित सार्वजनिक भूमि पर स्वत्वाधिकार का अभाव। • पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जनजातियों की भूमि को गैर-जनजातियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने वाले कानूनों का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन। • पारंपरिक भूमि अधिकारों का अनियमितीकरण।	**शासन संबंधित कारक** • भ्रष्टाचार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निम्न व्यवस्था / व्यवस्था न होना। • अक्षम, कुप्रशिक्षित और असंतोषजनक ढंग से अभिप्रेरित सरकारी कार्मिक जो अधिकांशत: अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहते हैं। • पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग और विधिक मानदंडों का उल्लंघन। • चुनावी राजनीति की विकृति और स्थानीय सरकारी संस्थानों की असंतोषजनक कार्यप्रणाली। • **वर्ष 2006** में वन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। परन्तु वन अधिकारियों ने इसके प्रति अपनी उदासीनता को बनाए रखा है।
विस्थापन और बलात निष्कासन • परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली भूमि से जनजातियों का निष्कासन। • पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था के बिना खनन, सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के कारण होने वाला विस्थापन। • उचित क्षतिपूर्ति या पुनर्वास के बिना 'सार्वजनिक उद्देश्यों' के लिए वृहद् पैमाने पर भूमि अधिग्रहण।	**आजीविका संबंधी कारण** • खाद्य सुरक्षा का अभाव - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जो प्राय: क्रियाशील नहीं होती हैं) में व्याप्त भ्रष्टाचार। • पारंपरिक व्यवसायों का लोप और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव। • साझा संपत्ति वाले संसाधनों से संबंधित पारंपरिक अधिकारों से वंचित करना।

VISION IAS

समाधान (SAMADHAN)

यह LWE से निपटने के लिए अल्पावधिक और दीर्घकालिक नीतियां बनाने की गृह मंत्रालय की एक रणनीति है। इसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं:

S- स्मार्ट लीडरशिप (स्मार्ट नेतृत्व)

A- एग्रेसिव स्ट्रेटेजी (आक्रामक रणनीति)

M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग (अभिप्रेरणा और प्रशिक्षण)

A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस (कार्रवाई योग्य आसूचना)

D- डैशबोर्ड आधारित KPIs (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) और KRAs (मुख्य परिणाम क्षेत्र) {Dashboard Based KPIs (Key Performance Indicators) and KRAs (Key Result Areas)}

H- हर्नेस्सिंग टेक्नोलॉजी (तकनीक का उपयोग करना)

A- एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर (प्रत्येक संघर्ष क्षेत्र हेतु कार्य योजना)

N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग (वित्तपोषण तक कोई पहुंच नहीं)

LWE प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण पहलें

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची का विषय होने के कारण, वामपंथी उग्रवाद (LWE) की चुनौती का सामना करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। हालाँकि, गृह मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाएं, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे सुरक्षा प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करती हैं जैसे कि:

- MHA द्वारा वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने हेतु वर्ष 2015 से कार्यान्वित "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" वस्तुतः सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार व स्वामित्वाधिकार आदि सुनिश्चित करने संबंधी एक बहु-आयामी रणनीति है।
- **"पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्ब्रेला योजना - 2017-20"** के अंतर्गत प्रमुख **उप-योजनाएँ** निम्नलिखित हैं:
  - **सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना (2017 में अनुमोदित):** इसका उद्देश्य LWE समस्या को प्रभावी ढंग से निपटने हेतु LWE प्रभावित राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करना है।
  - **35 (वर्तमान में 30) सर्वाधिक LWE प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA)।**
  - **LWE** प्रभावित राज्यों में 250 सुदृढ़ीकृत पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित **विशेष अवसंरचना संबंधी योजना (SIS)।**
  - **LWE प्रबंधन योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता।**
  - व्यक्तिगत अंतरक्रिया के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के मध्य अंतराल को कम करने के लिए **सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP)।**
  - **मीडिया प्लान स्कीम:** माओवादी प्रचार का विरोध करने के लिए।
- **अवसंरचना विकास पहलें**
  - **8** राज्यों के **LWE** प्रभावित 34 जिलों में सड़क संपर्क में सुधार करने हेतु **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** द्वारा वर्ष 2009 से **सड़क आवश्यकता योजना-I (Road Requirement Plan: RRP-I)** को कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - **LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RRP-II)**: इस योजना को **LWE** प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में सड़क संपर्क में सुधार करने हेतु वर्ष 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)** इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है।
  - **LWE** क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क बेहतर बनाने के लिए **LWE मोबाइल टावर परियोजना।**

VISION IAS

- LWE-प्रभावित राज्यों के 96 जिलों में मोबाइल सेवाएँ प्रदान करने हेतु **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)** समर्थित योजनाओं के अंतर्गत **परियोजनाओं की स्वीकृति।**
- **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन** (NTRO) द्वारा मानवरहित विमान (UAV) उपलब्ध करके नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों की सहायता की जा रही है।

- **कौशल विकास से संबंधित योजनाएँ**
  - **रोशनी (ROSHNI),** पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एक विशेष पहल है। इसमें **27 LWE** प्रभावित जिलों के ग्रामीण निर्धन युवाओं के प्रशिक्षण और नियोजन (प्लेसमेंट) की परिकल्पना की गई है।
  - वर्ष 2011-12 से क्रियान्वित **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास** का उद्देश्य **LWE** प्रभावित जिलों में ITIs और कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।
- **आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियाँ:** राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की नीतियों का निर्माण किया गया है, जबकि केंद्र सरकार की **LWE** प्रभावित राज्यों के लिए **सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE)** योजना, राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए एक पूरक का कार्य करती है। हथियारों/गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अधिकतम 36 माह की अवधि हेतु मासिक वृत्ति के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
- **संस्थागत उपाय**
  - **ब्लैक पैंथर काम्बैट फोर्स -** यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड्स यूनिट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष नक्सल-विरोधी युद्धक बल है।
  - **बस्तरिया बटालियन -** महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सरकार की नीति के अनुरूप पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व के साथ छत्तीसगढ़ के 4 अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों के 534 से अधिक जनजातीय युवाओं वाली **CRPF** की एक नवगठित बटालियन है। यह किसी भी अर्द्धसैनिक बल में प्रथम संयुक्त बटालियन है।
  - वामपंथी उग्रवाद (LWE) से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की जाँच करने के लिए **NIA में एक पृथक शाखा** के गठन की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है
  - **नक्सलियों के वित्तपोषण की रोकथाम के लिए बहुविषयक समूह का गठन -** केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माओवादियों के वित्तीय प्रवाह को अवरूद्ध करने के लिए एक बहुविषयक समूह का गठन किया है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों जैसे **IB, NIA, CBI, ED (प्रवर्तन निदेशालय)** और **DRI (राजस्व आसूचना निदेशालय)** सहित राज्य पुलिस के अधिकारी भी सम्मिलित हैं।
- **शिक्षा के माध्यम से युवाओं की रचनात्मक भागीदारी:** दंतेवाड़ा जिले में शैक्षिक केंद्र और आजीविका केंद्र की सफलता को देखते हुए, सरकार द्वारा अब सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज नामक **आजीविका केन्द्रों** की स्थापना की जा रही है।
- **अन्य उपाय:** वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए और अधिक बैंक शाखाएँ खोले गए हैं। बस्तर के तीन दक्षिणी जिलों में मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करने हेतु ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित किया जायेगा। साथ ही बस्तर में एक नई रेल सेवा की शुरुआत की गई है, जो काष्ठ कलाकृतियों एवं बेल मेटल के लिए एक नए बाजार का मार्ग प्रशस्त करेगी।

LWE से निपटने में आने वाली समस्याएँ

- कई बार **स्थापित मानक परिचालन प्रक्रियाओं के प्रति लापरवाही** के परिणामस्वरूप सुरक्षा कर्मियों के बहुमूल्य जीवन को क्षति पहुंचती है।
- त्रुटिपूर्ण योजना निर्माण, अपर्याप्त संख्या, अपर्याप्त आसूचना सहायता जैसी **कुछ कमियाँ** अभी भी विद्यमान हैं।
- **संरचनात्मक अक्षमताएं और कमियां** जैसे कि बल के भीतर संबंधित अधिकारियों के दशकों के अनुभव की अनदेखी करते हुए IPS अधिकारियों को CRPF के लगभग प्रत्येक वरिष्ठ पद पर प्रतिनियुक्त करना।
- **पुलिस बलों का शिथिल क्षमता निर्माण,** उदाहरणार्थ - छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस के विभिन्न पदों से संबंधित लगभग 10,000 रिक्तियां विद्यमान हैं और साथ ही स्वीकृत 23 पुलिस थानों की अभी तक स्थापना नहीं की गई हैं।

VISION IAS

- **LWE** छापामार (गुरिल्ला) युद्ध पद्धति से भलीभांति प्रशिक्षित हैं।
- **बारूदी सुरंगो का पता लगाने की अप्रभावी तकनीक:** वर्तमान तकनीक सड़क के नीचे गहराई में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने में अप्रभावी है।
- **प्रौद्योगिकी अधिग्रहण में विलंब:** उदाहरणार्थ आयुध निर्माणी बोर्ड (Indian Ordnance Factories: OFB) द्वारा अब तक CAPF को स्वीकृत 157 बहुद्देशीय वाहनों (MPVs) में से केवल 13 की ही आपूर्ति की गई है।
- **धन शोधन:** बिहार और झारखंड में सक्रिय नक्सली नेता चल और अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करके उगाहे गए धन का शोधन कर रहे हैं।

आगे की राह

- **छत्तीसगढ़ पुलिस से सीख प्राप्त करना:** चूंकि छत्तीसगढ़ पुलिस को बस्तर में माओवादियों से निपटने से संबंधित बेहतर अनुभव प्राप्त है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अब आसूचना और जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु समीपवर्ती राज्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार के उपाय नए क्षेत्रों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में भी अपनाए जा रहे हैं जहां माओवादी स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **समस्या के मूल कारणों को समाप्त करना,** जिसके चलते आदिवासी लोगों माओवादी गतिविधियों की ओर प्रेरित हो रहे हैं। किन्तु वर्तमान सड़कों के निर्माण, जनजातियों की प्रशासनिक और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने, सरकारी योजनाओं की पहुंच में सुधार करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **केंद्र-राज्य सहयोग:** केंद्र और राज्यों को अपने समन्वित प्रयासों को जारी रखना चाहिए। एक ओर जहां केंद्र को समर्थनकारी भूमिका और वहीं राज्य पुलिस बलों को नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।
- **तकनीक आधारित समाधानों का उपयोग:** जैसे सुरक्षा कर्मियों की जीवन क्षति को कम करने हेतु माइक्रो या मिनी-UAVs या छोटे ड्रोन का उपयोग करना।
- **विश्वास निर्माण करना:** माओवादियों से मनोवैज्ञानिक स्तर पर विजय प्राप्त करना अभी शेष है। इस विश्वास अंतराल के निराकरण हेतु, ग्रामीणों के विकास के अधिकार को सकारित करने में नागरिक समाज को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **जागरूकता सृजन:** सरकार को जागरूकता एवं पहुँच (आउटरीच) आधारित कार्यक्रमों के साथ-साथ समावेशी विकास से संबंधित कार्यक्रमों की शुरुआत करनी चाहिए।
- **वन अधिकार:** अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का प्रभावी कार्यान्वयन।
- **वित्तीय सशक्तीकरण:** ऋण और विपणन तक पहुँच में सुधार करने और वंचित लोगों के सशक्तिकरण हेतु **'स्वयं सहायता समूहों (SHG)'** के गठन को प्रोत्साहित करने वाले उपायों को आरंभ करना चाहिए।
- **फंडिंग को अवरूद्ध करना:** उग्रवाद आंदोलन को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले अवैध खनन/वन ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों एवं उग्रवादियों के मध्य गठजोड़ को राज्य पुलिस द्वारा **"स्पेशल एंटी-एक्सटॉर्शन एंड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सेल"** की स्थापना के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए।
- **अवसंरचना विकास:** विशाल अवसंरचना परियोजनाओं विशेष रूप से सड़क नेटवर्क (जिसका उग्रवादियों द्वारा प्रबलता से विरोध किया जाता हैं) का कार्यान्वयन स्थानीय ठेकेदारों की बजाय **सीमा सड़क संगठन** जैसी विशेषीकृत सरकारी एजेंसियों की सहायता से आरंभ किया जाना चाहिए।
- हिंसक वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के प्रति सुभेद्य वर्गों के असंतोष को कम करने हेतु संवैधानिक और सांविधिक रक्षोपायों, विकास योजनाओं तथा भूमि सुधार पहलों के **कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।**

विकास संबंधी प्रयासों के साथ-साथ सुरक्षा बलों द्वारा की गई प्रत्यक्ष कार्रवाई से संबंधित **द्विआयामी नीति** के परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। अधिकांश प्रभावित जिलों में इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रभावी कार्य किए जा चुके हैं तथा माओवादियों के विस्तार को रोकने हेतु सरकार दृढ़ संकल्पित भी है। **अग्रसक्रिय पुलिसिंग और समग्र विकास** आधारित प्रतिमानों को भविष्य में इसी प्रकार के और अधिक महत्वपूर्ण परिणामों को सुनिश्चित करना चाहिए।

VISION IAS

3.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद का सीमा पारीय लिंकेज

(Cross-Border Linkages in Northeast Insurgency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत और म्यांमार** की सेनाओं द्वारा अपने संबंधित सीमा क्षेत्रों में **ऑपरेशन सनराइज 2** नामक एक समन्वित ऑपरेशन का संचालन किया गया। इसमें **मणिपुर, नागालैंड और असम** में सक्रिय कई उग्रवादी समूहों को लक्षित किया गया।

ऑपरेशन सनराइज 2 के बारे में

- उग्रवादी संगठनों के शिविरों को नष्ट करने हेतु दोनों राष्ट्रों की सेनाओं ने समन्वयित प्रयास किए। इन संगठनों में **कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (I), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड** आदि शामिल थे।
- फरवरी 2019 में भारत-म्यांमार सीमा पर **"ऑपरेशन सनराइज"** के प्रथम चरण को संचालित किया गया था। इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित उग्रवादी समूहों के कई शिविरों को नष्ट किया गया था।

पृष्ठभूमि

- पूर्वोत्तर भारत का लगभग 90% भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न है, जिसने आतंकी संगठनों को भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और यहां तक कि चीन एवं नेपाल में भी अपने शिविर स्थापित करने हेतु सुगमता प्रदान की है।
- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात् से ही उग्रवादी समूहों ने अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज विकसित करना प्रारंभ कर दिया था।
- भारत की म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगभग 5,800 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा **असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** राज्यों में विस्तृत है। इन सभी राज्यों ने सीमा पारीय आतंकवाद एवं अलगाववाद की चुनौतियों का सामना किया है। ये राज्य अभी भी इन समस्याओं से ग्रस्त हैं।

सीमा पारीय उग्रवाद के कारण

- **सुरक्षित आश्रय स्थल:** भारतीय उग्रवादी समूहों को सीमा पार से मिलने वाला आश्रय और सहायता सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जो उग्रवादियों को उनकी आतंकी गतिविधियों को जारी रखने में सहायता करता है।
- **आर्थिक सहायता:** गोल्डन ट्राएंगल (इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं) ने उग्रवादी समूहों को स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आर्थिक आधार प्रदान की है।
- **हथियारों की उपलब्धता:** बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में छोटे हथियारों की सुगम उपलब्धता इस क्षेत्र में उग्रवाद के निरंतर बने रहने के पीछे एक और कारक रहा है।
- **नृजातीय संबंध:** इस क्षेत्र के कई नृजातीय समूह, विशेष रूप से वे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संलग्न क्षेत्रों में निवासित हैं, अपने देश के नागरिकों की तुलना में सीमा पार रहने वाली जनसंख्या के साथ अधिक जुड़े हुए हैं।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा संबंधी मुद्दे**
    - **सीमावर्ती क्षेत्र का भू-भाग:** उत्तर पूर्व में विभिन्न देशों के सीमावर्ती भाग दुर्गम क्षेत्र वाले हैं, जो परिवहन और संचार साधनों के विकास को कठिन बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्र निम्न आर्थिक विकास के साथ अत्यंत विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र बना हुआ है।
        - **ऊंचे पर्वत, गहरी नदी धाराएँ** व हरे-भरे वन, म्यांमार के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेषताएं हैं।
        - **असम-भूटान सीमा के साथ दुर्गम वन क्षेत्र** उग्रवादी समूहों के लिए अस्थायी अड्डों और सुरक्षित स्थलों के रूप में कार्य करते हैं।
        - **बांग्लादेश में नदी सीमाएं,** नदी के प्रवाह मार्ग में होने वाले परिवर्तन के साथ-साथ आवधिक रूप से परिवर्तित होती रहती हैं। इससे नव सृजित क्षेत्रों के स्वामित्व को लेकर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से सम्बंधित अनेक विवादों को बढ़ावा मिलता है।
- **सीमा संबंधी मुद्दा:** हालांकि सीमा समझौते का अनुसरण करते हुए मार्च 1967 में भारत और म्यांमार जैसे देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का औपचारिक रूप से निर्धारण एवं सीमांकन किया गया था, किन्तु ज़मीनी स्तर पर दो संप्रभु देशों को अलग करने वाली एक निश्चित सीमा को स्थापित नहीं किया जा सका है।
- **फ्री मूवमेंट रिजीम:** भारत-म्यांमार सीमा पर एक विशिष्ट व्यवस्था विद्यमान है, जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) कहा जाता है। FMR के तहत यहाँ सीमा से संलग्न क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों को वीज़ा प्रतिबंधों के बिना सीमा के दोनों तरफ 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

आगे की राह

- **लोगों को संवेदनशील बनाना:** सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले समुदायों को निरंतर चलने वाले सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
    - दक्षिण एशियाई देशों के लिए जॉब परमिट और वर्क वीजा के प्रावधान सहित सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन एवं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट (परस्पर लोगों के मध्य संपर्क) में वृद्धि की जानी चाहिए।
- **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का बेहतर प्रबंधन तब होता है जब पड़ोसी देश एक दूसरे की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक पहलों को क्रियान्वयित करने हेतु इस तरह की सहयोगात्मक पहलों को सावधानीपूर्वक विकसित करने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय संगठनों का सुदृढ़ीकरण:** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), बे ऑफ़ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC), बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार (BCIM) जैसे क्षेत्रीय समूह, इन देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। इससे पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने में सहयोग मिलेगी तथा सामान्य जन लाभान्वित होंगे।
- **स्मार्ट बॉर्डर के माध्यम से प्रभावी सीमा प्रबंधन:** यह चेकपॉइंट्स पर अवसंरचना और अन्य सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया के माध्यम से नियमित गतिशीलता बनाए रखते हुए लोगों एवं वस्तुओं के त्वरित, सुगम तथा वैध प्रवाह को सुनिश्चित करता है।
- **संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास:** चीन के साथ **"हैंड इन हैंड",** भारत और बांग्लादेश के मध्य **"ऑपरेशन सम्प्रीति"** जैसे सैन्य अभ्यास आतंकवाद से निपटने में सहायता कर सकते हैं।
    - भूटान का **ऑपरेशन ऑल क्लियर,** भूटान के दक्षिणी क्षेत्रों में असम के अलगाववादी उग्रवादी समूहों के विरुद्ध संचालित किया गया एक ऐतिहासिक ऑपरेशन था। इस प्रकार के संयुक्त अभियान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता कर सकते हैं।

VISION IAS

4. बाह्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका (Role of External State and Non-State Actors)

4.1. तकनीक तथा उग्रवाद

(Technology and Extremism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में हुई लोगों की हत्या के सीधे प्रसारण ने इस चिंतनीय मुद्दे को प्रकट किया है कि किस प्रकार आतंकवादियों द्वारा स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- आधुनिक आतंकवाद तात्क्षणिक (instantaneous) तथा अप्रत्याशित स्वरुप ग्रहण कर चुका है। यह अपने लक्ष्यों पर निशाना साधने वाला एक वैश्विक ख़तरा होने के साथ-साथ तकनीकों के उपयोग के द्वारा विशाल जनसमूह को भी प्रभावित करने वाला बन चुका है।
- आतंकवादियों द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने, प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों को संचालित करने तथा संपूर्ण विश्व में कहीं भी अपने शत्रुओं पर हमला करने के लिए साइबर स्पेस का उपयोग किया जा रहा है।
- सोशल मीडिया आधुनिक आतंकवाद का एक आवश्यक तत्व बन गया है। इन शक्तिशाली मंचों के कारण आतंकवादी संचार एवं संपर्क स्थापित करने, प्रचार-प्रसार करने तथा नव समर्थकों की भर्ती करने के साथ-साथ प्रयोगकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने में भी सफल हो रहे हैं।

चरमपंथ के प्रसार में तकनीक का किस प्रकार उपयोग हो रहा है?

- **प्रचार-प्रसार:** यह प्रायः आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में विचारधारात्मक अथवा व्यावहारिक निर्देशन, स्पष्टीकरण, औचित्य या बढ़ावा देने हेतु मल्टीमीडिया संचार का रूप ग्रहण करता है। इसका उपयोग हिंसा को बढ़ावा देने, युवाओं को भर्ती करने, लोगों को उकसाने तथा उनमें कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार करने हेतु किया जाता है।
- **वित्त पोषण:** समर्पित वेबसाइट्स या संचार संबंधी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदत्त ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं से विविध पक्षों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन का अंतरण करना आसान हो जाता है। धर्मार्थ संस्थाओं जैसे यथोचित रूप से स्थापित विधिसम्मत संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का उपयोग अवैध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है।
- **प्रशिक्षण:** तकनीक के प्रयोग द्वारा निर्देशात्मक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका उपयोग प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ, आसूचना-रोधी तथा हैकिंग संबंधी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है।
- **योजना निर्माण:** तकनीकी, संचार चैनलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आतंकी संगठनों के भीतर एवं उनके मध्य आतंकी गतिविधियों की तैयारियों में सहयोग करती है।
- **कार्यान्वयन:** इंटरनेट के माध्यम से संचालित संचार प्रक्रिया का उपयोग आतंकवाद से संबंधित भौतिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करने हेतु भी किया जा सकता है।
- **साइबर हमले:** इन हमलों का प्रयोजन कंप्यूटर सिस्टम्स, सर्वर या अंतर्निहित अवसंरचना जैसे लक्ष्यों की समुचित कार्य-प्रणाली में अवरोध उत्पन्न करना है।

चरमपंथ का सामना करने हेतु तकनीकी संरचना का सुदृढ़ीकरण

- ऑनलाइन चरमपंथ का सामना करने और इंटरनेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार तथा ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं द्वारा एक सामूहिक पहल आरम्भ करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में, **'क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन'** नामक एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए तथा भारत सहित 26 देशों द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। इसमें निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

VISION IAS

- **ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं की भूमिका:**
  - **प्रयोग की शर्तें:** आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ से जुड़ी सामग्री के वितरण पर स्पष्ट रूप से अंकुश लगाने के लिए उपयोग की शर्तों, सामुदायिक मानकों, आचार संहिता एवं स्वीकार्य उपयोग नीतियों को अद्यतन करना।
  - **आतंकवादी और हिंसक चरमपंथ से जुड़ी सामग्री की उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्टिंग:** ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सेवाओं में अनुचित सामग्री पर आपत्ति दर्ज करने अथवा सूचित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सरल विधियां उपलब्ध कराना।
  - **प्रौद्योगिकी को उन्नत करना:** आतंकवादी एवं हिंसक चरमपंथी सामग्री के अपलोड एवं प्रसार को रोकना तथा इनके स्वचालित पहचान और तात्कालिक एवं स्थायी रूप से इस सामग्री को हटाने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना।
  - **लाइव-स्ट्रीमिंग:** एकाउंट गतिविधि और रेटिंग जैसी पुनरीक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से विनियमित करना व ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर चरमपंथी सामग्री के विरुद्ध नियमित, पारदर्शी रिपोर्ट प्रकाशित करना।
  - **पारदर्शिता रिपोर्ट:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी या हिंसक चरमपंथी कंटेंट का पता लगाने और हटाने के बारे में एक नियमित आधार पर पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करना।
- **सरकार तथा नागरिक समाज की भूमिका**
  - **साझा प्रौद्योगिकी विकास:** अन्य उद्योगों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझा प्रौद्योगिकी, जैसे- डेटा सेट और ओपन सोर्स कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन टूल।
  - **संकटकालीन नियमावली या प्रोटोकॉल:** उभरती हुई या सक्रिय घटनाओं के विरुद्ध तात्कालिक आधार पर कार्यवाही हेतु एक संकटकालीन प्रोटोकॉल का निर्माण करना ताकि प्रासंगिक सूचना को शीघ्रता और कुशलता से साझा व संसाधित किया जा सके और सभी हितधारकों द्वारा न्यूनतम विलंब के साथ कार्रवाई किया जा सके।
  - **शिक्षा:** लोगों को आतंकी एवं चरमपंथी हिंसक सामग्री के बारे में शिक्षित करने एवं रिपोर्ट करने में सहायता करने के लिए उद्योग, सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।
  - उद्योगों के मध्य प्रयास समन्वित और सुदृढ़ करने हेतु एक साथ मिलकर कार्य करना तथा सरकारों एवं नागरिक समाज के साथ सहयोग करना, जैसे- GIFCT में निवेश करना और इसका प्रसार करना।
    - **ग्लोबल इंटरनेट फ़ोरम टू काउंटर टेररिज़्म (GIFCT):** यह औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व में संचालित एक पहल है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकवादियों की क्षमता को काफी हद तक बाधित करने तथा हिंसक उग्रवादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए "यू. एन. काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट (UNCTED)" के साथ घनिष्ठ भागीदार के रूप में कार्यरत है।
  - **घृणा और धर्मांधता से निपटना:** चरमपंथ एवं ऑनलाइन घृणित सामग्री के प्रचार के मूल कारणों तथा उनकी बेहतर समझ हेतु अनुसंधान व अकादमिक प्रयासों का समर्थन करना और बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की क्षमता एवं योग्यता में वृद्धि करना।

क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन

- यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को बनाए रखते हुए, ऑनलाइन हिंसक चरमपंथी सामग्री के मुद्दे और इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकारों एवं ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं की ओर से सामूहिक तथा स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है।
- **इसके तहत, सरकारें निम्नलिखित हेतु प्रतिबद्ध हैं:**
  - समाजों की सुनम्यता (resilience) और समावेशिता को सुदृढ़ कर आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ विरोधी गतिविधियों का संचालन करना।
  - विधियों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करना।
  - आतंकवादी घटनाओं के ऑनलाइन प्रसारण के दौरान नैतिक मानकों को लागू करने के लिए मीडिया आउटलेट्स को प्रोत्साहित करना।
  - अपेक्षाकृत छोटे ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के मध्य जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना।
  - उद्योग संबंधी मानकों या स्वैच्छिक ढांचे का विकास करना।
  - इंटरनेट को निःशुल्क, मुक्त और सुरक्षित बनाए रखते हुए, चरमपंथी सामग्री के प्रसार को रोकने हेतु नीतिगत उपाय।
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य व उनके साथ उचित सहयोग सुनिश्चित करना।

VISION IAS

4.2. भारत में ISIS द्वारा उत्पन्न चुनौतियां

(Challenge of ISIS in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ के दौरान कथित तौर पर इस संगठन से जुड़े एक आतंकवादी के मारे जाने के पश्चात् आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट (IS) ने पहली बार यह दावा किया है कि उसने भारत में अपने एक **"प्रांत"** की स्थापना की है।

पृष्ठभूमि

- **इस्लामिक स्टेट** को मूलतः **इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS)** के नाम से जाना जाता था। यह एक आतंकी समूह है जो "शरिया कानून या इस्लामी खिलाफत" पर आधारित "इस्लामी राज्य" स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
- IS की **अमाक न्यूज़ एजेंसी** ने भारत में अपने नए प्रांत की घोषणा की है, जिसे उसने **"विलायाह ऑफ़ हिंद (विलायत अल हिंद)"** कहा है, किंतु इसमें इसकी भौगोलिक सीमा के बारे में विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया था।
- अतीत में, IS ने भारत को **खुरासान** राज्य में परिवर्तित करने की प्रतिज्ञा की थी, जो उस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक नाम है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के कुछ भाग एवं आसपास के अन्य देश सम्मिलित थे।

इस्लामिक स्टेट, भारत के लिए एक चुनौती क्यों है?

- **अन्य राज्य अभिकर्ताओं की संलग्नता:** भारत को भय है कि अपने हितों की पूर्ति हेतु पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI), इस्लामिक स्टेट को अपना व्यवस्थित खुफिया और लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रदान कर सकती है। NIA ने 2014 में IS से संबद्ध पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-तालिबान (TTP) द्वारा 300 से अधिक भारतीय युवकों को भर्ती किए जाने के संबंध में सूचना दी थी।
- **अन्य देशों में IS का सिमटता क्षेत्राधिकार:** मध्य पूर्व तथा अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं की मौजूदगी वाले स्थानों पर IS के प्रभाव में कमी आई है, जिसके कारण IS अपने वैश्विक प्रसार को सुदृढ़ता प्रदान करना चाहता है। ISIS प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी द्वारा भी इस प्रकार की रणनीतियों को समर्थन प्रदान किया गया था। साथ ही ISIS द्वारा भारत को इसकी जनांकिकीय संरचना के कारण कट्टरपंथ के प्रसार के लिए एक संभावित प्रमुख स्थल के रूप में देखा जा रहा है।
- **कट्टरपंथ के प्रसार हेतु IS का प्रयास:** IS ने अपनी भर्ती संबंधी सामग्री हिंदी, उर्दू, तमिल और भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में प्रकाशित की है। वर्ष 2015 में, इसके द्वारा अपने प्रचार प्रसार संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ई-पुस्तक को प्रकाशित किया गया था और भारतीय प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए उन पर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया। अब तक, भारत में ISIS समर्थक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों (संदेह के आधार पर) से संबंधित जांच के 82 सक्रिय मामले सामने आए हैं।

संबंधित तथ्य - हाल ही में अलकायदा द्वारा कश्मीर पर पहला वीडियो जारी किया गया

यद्यपि अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय रहा है {अलकायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (AQIS) की स्थापना 2014 में हुई थी}, परन्तु यह भारत में वृहद् पैमाने पर हमले करने में विफल रहा है। पुनः पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य स्थानों से समर्थन प्राप्त करने में इसे कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

- **भारत में अलकायदा के संभावित हितों हेतु उत्तरदायी कारण:**
  - अलकायदा का पुराना होता नेतृत्व नवयुवा उग्रवादियों की भर्ती हेतु इस्लामिक स्टेट (IS) के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। चूँकि पश्चिम एशिया में IS का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है, अतः यह कारक अलकायदा को अपनी रणनीति को एशिया के पूर्वी अथवा दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में "नियोजित" करने हेतु बाध्य करता है।
  - उल्लेखनीय है कि भारत ने तालिबान के पतन के पश्चात् से अफगानिस्तान में अपनी संलग्नता (भागीदारी) में काफी हद तक वृद्धि की है। इसलिए, अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता प्रभाव वहां की सत्ता पर पुनः काबिज होने में अलकायदा के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता है।

VISION IAS

IS के विरुद्ध संघर्ष में भारत का सामर्थ्य

- शुरूआती उत्साह के बावजूद, ISIS भारत में बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाया है।
- हाल ही में, भारत में 1,000 से अधिक मुस्लिम नेताओं ने इस आतंकी समूह को **"गैर-इस्लामिक और अमानवीय"** बताते हुए एक फतवा जारी किया था।
- भारत में अधिकाँश मुसलमानों ने ऐतिहासिक रूप से इस्लाम की **उदार एवं आध्यात्मिक आस्था** का अनुसरण किया है - यह इस्लाम के बाह्य पक्षों पर आधारित नहीं है बल्कि इसकी मूलभूत मान्यताओं पर केंद्रित है।
- **सिन्धु-गंगा क्षेत्र** में सदियों से चले आ रहे सह-अस्तित्व और सांस्कृतिक अंतर्मिश्रण के कारण मिश्रित एवं समन्वित हिंदू-मुस्लिम संस्कृतियों (लोकप्रिय रूप से जिसे **गंगा-जमुनी तहज़ीब के नाम से जाना** जाता है) का उदय हुआ।
- ISIS को भर्ती के लिए भारत में यूरोप के समान अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त नहीं हुई हैं। यूरोप में ISIS के अनेक कैडर मादक पदार्थों के आदती, नए धर्मान्तरित लोग तथा अवसाद ग्रस्त युवा हैं। साथ ही इनमें से अनेक सामाजिक समर्थन से वंचित, कमजोर पारिवारिक संबंध वाले व्यक्ति तथा सांस्कृतिक रूप अपने मूल स्थान से पृथक अनुभव करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, कमोबेश, भारत के सभी नागरिकों को प्रदत्त संवैधानिक मूल अधिकारों ने प्रत्येक नागरिक में विश्वास उत्पन्न किया है।

भारत में सुभेद्यताएँ

- **सशक्त आसूचना तंत्र का अभाव**
  - प्राधिकृत मुख्य एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), अपर्याप्त मानव शक्ति और उपकरणों के कारण असमर्थ हो जाती है।
  - विशेष रूप से आतंकी मामलों की जांच करने के लिए 2008 में गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई है और अक्सर राज्य पुलिस बलों (जो स्वयं इसके हस्तक्षेप के कारण असंतुष्ट हैं) से इसे समुचित सहयोग नहीं मिलता है।
  - डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) की स्थापना 2002 में की गई थी, किंतु एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अनुपस्थिति में इसका उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। इसने मुख्यतः रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) द्वारा किए जा रहे बाह्य खुफिया कार्यों का ही दोहराव किया है।
- **अपर्याप्त तकनीकी अनुसंधान क्षमता:** नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (NTRO), शमी विटनेस (ShamiWitness) जैसे ट्विटर एकाउंट्स को बंद करने में विफल रहा, जो कथित तौर पर इंटरनेट पर ISIS के सबसे मुखर प्रचारकों में से एक बन गया था। नैटग्रिड, एक राष्ट्रीय स्तर का कम्प्यूटरीकृत सूचना साझा करने वाला नेटवर्क है, जिसे सर्वप्रथम 2001 में प्रस्तावित किया गया था (किन्तु 2008 तक यह आरम्भ नहीं हुआ), अभी भी इसका पूर्णतया परिचालन प्रारंभ नहीं हो सका है।
- **पड़ोसी क्षेत्र में कट्टरपंथ से प्रभावित युवाओं की उपस्थिति:** एक संगठित इकाई का निर्माण करने हेतु समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक विस्तृत आधार निर्मित करने के लिए ISIS समर्थक कुछ बांग्लादेशी एवं भारतीय युवाओं के इन्टरनेट पर सक्रिय होने के उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं।
- **अन्य आतंकी समूहों की उपस्थिति:** इंडियन मुजाहिदीन के विभाजन के साथ, कई उग्र चरमपंथी समूह एक वैकल्पिक पहचान की तलाश में हैं। ऐसे में ISIS इसे एक वांछित रूप प्रदान कर सकता है।
  - प्रधानमंत्री की यात्रा से पूर्व जम्मू-कश्मीर में काले झंडे का प्रदर्शन एक ऐसा ही उदाहरण था, जहां स्थानीय विद्रोही संगठन ध्यान आकर्षित करने के लिए ISIS के नाम का प्रयोग कर रहे थे।

आगे की राह

- **360 डिग्री दृष्टिकोण:** भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी आंतरिक सुरक्षा संरचना में बदलावों को प्रभावी करे। साथ ही, इसे संपूर्ण उपमहाद्वीप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कुछ कूटनीतिक उपायों के साथ, परिष्कृत तैयारी हेतु अपनी खुफिया एवं जांच एजेंसियों को और सशक्त बनाना होगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - सोशल मीडिया, बिग डेटा एनालिसिस, आतंकी वित्तपोषण और तकनीकी आसूचना से निपटने वाले **विशेषज्ञों की अंतरा मंच (क्रॉस प्लेटफॉर्म) नियुक्ति।**
  - इंटरनेट पर ISIS के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु आसूचना साझा करने, संयुक्त ऑनलाइन परिचालनों और डेटाबेस अभिसरण हेतु एक **बेहतर रूप से संचालित ऑनलाइन आसूचना नेटवर्क** का विकास करना।

VISION IAS

- **प्रारंभिक रोकथाम व चरमपंथ का समापन:** प्रारंभिक रोकथाम, लक्षित दमन एवं हस्तक्षेप की एक व्यापक रणनीति जिसमें सरकारी व गैर-सरकारी अभिकर्ता शामिल हों।
    - **प्रभावी अल्पसंख्यक धार्मिक नेताओं** को कट्टरपंथी प्रचार (विशेष रूप से सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आने वाले) के विरुद्ध युवाओं से अपील करने के लिए संलग्न करना चाहिए।
    - **सरकार को सामाजिक समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और छात्र निकायों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए**, जो राज्य संस्थानों की तुलना में बड़े पैमाने पर जनसामान्य तक सुगम पहुँच स्थापित कर सकते हैं।

4.3. आतंकी गतिविधियां और भारत-पाकिस्तान संबंधों में परस्पर अविश्वास की स्थिति

(Terror Activities and Mutual Distrust in India-Pakistan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले के कारण भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो विगत कुछ वर्षों के संदर्भ में सर्वाधिक तनावपूर्ण स्थिति थी।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में आतंकवाद की पृष्ठभूमि

- पाकिस्तान के **द्वि-राष्ट्र सिद्धांत** से उत्पन्न संघर्ष की स्थिति के बाद से, जम्मू और कश्मीर (मुस्लिम बहुल राज्य) पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर दोनों देशों के मध्य कई युद्ध एवं संघर्ष की घटनाएँ हो चुकी हैं।
- किन्तु 1971 में बांग्ला भाषी मुस्लिम आबादी द्वारा एक नए देश बांग्लादेश के गठन के पश्चात् इस द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का त्याग कर दिया गया था।
- 1971 के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा अपनी इस नीति में परिवर्तन किया गया। पाकिस्तान की **सैन्य अक्षमता**, भारत के विरुद्ध **असममित युद्ध** (asymmetric warfare) लड़ने की स्वयं की नीति में परिवर्तन करने का कारण बनी। पाकिस्तानी डीप स्टेट (सेना और ISI) ने भारत से निपटने के लिए अपनी **राज्य नीति के रूप में आतंकवाद** को पोषित किया।
- इस नीति के कारण ही दोनों देशों के मध्य **परस्पर अविश्वास** उत्पन्न हुआ है।
- जब भी दोनों देशों की सरकारों ने विश्वास बहाली उपायों (जैसे- बस कूटनीति, खेल, शिखर सम्मेलन, करतारपुर कॉरिडोर) को स्वीकृति प्रदान करने का प्रयास किया, सीमा पार आतंकी गतिविधियों ने इस प्रकार के भारत-पाक संवाद के समक्ष बाधा उत्पन्न की है।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **सैन्य प्रयास -** भारत द्वारा 2016 और 2019 में पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर हमला किया गया। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में अभी आतंकवादियों को समाप्त करने हेतु **मिशन ऑल आउट** प्रारम्भ किया गया है।
- **आर्थिक प्रयास -** भारत सरकार ने पाकिस्तान से **"मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)"** का दर्जा वापस ले लिया है।
- **रणनीतिक परिवर्तन -** भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में **बलूच स्वतंत्रता संग्राम** का प्रत्यक्ष रूप से अभूतपूर्व संदर्भ दिया था।
- **कूटनीतिक प्रयास -**
    - अमेरिका, रूस, फ्रांस, यू.के. और ऑस्ट्रेलिया सहित सभी **प्रमुख देशों द्वारा** भारत की आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का समर्थन किया गया है। हाल ही में, सऊदी अरब और इस्लामिक देशों के संगठन ने भी आतंक पर भारत के पक्ष का समर्थन किया है।
    - भारत ने जम्मू और कश्मीर में बांध बनाकर **सिंधु जल संधि** के तहत अपने हिस्से के जल का पूर्णतः उपयोग करना आरंभ कर दिया है।
    - 2016 में उरी हमले के पश्चात्, भारत ने **19वें SAARC सम्मेलन** में पाकिस्तान को सफलतापूर्वक अलग-थलग कर दिया था। तब से लेकर अब तक, SAARC के सम्मेलनों का आयोजन नहीं किया गया है।
- **आतंकवाद रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास -** भारत द्वारा आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा को अपनाने और इससे निपटने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी-संधि पर व्यापक अभिसमय (CCIT)** के तहत आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया है।

VISION IAS

- जम्मू और कश्मीर में आतंकी वित्त-पोषण तथा आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध सहक्रियात्मक और संगठित कार्रवाई को सुनिश्चित करने हेतु **एक बहु-विषयक आतंकी निगरानी समूह (MDTMG) की स्थापना।**

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों का प्रभाव

- **क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में बाधा -** जैसे भारत, अफगानिस्तान और ईरान में हुए हालिया हमले। इसके कारण पीपल-टू-पीपल संपर्क बहाली बाधित होती है। साथ ही यह क्षेत्र आज परमाणु शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा केंद्र (hotbed) बन गया है।
- **SAARC और व्यापार के समक्ष अवरोध -** संबंधों में अवरोध उत्पन्न करने की पाकिस्तान की नीति एवं आतंक की राजनीति के कारण, दक्षिण एशियाई उप-महाद्वीप यूरोपीय संघ और अन्य सगठनों के समान क्षेत्रीय व्यापार, बाजार पहुंच और समृद्धि से वंचित रह गया है।
- **संसाधनों का उपयोग हथियारों की खरीद के लिए -** दोनों देशों के मध्य बढ़ती हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा के कारण, संसाधनों का व्यय किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इन संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र में अन्य मानव जनसांख्यिकीय चुनौतियों, जैसे- निर्धनता, रोगों आदि का समाधान करने हेतु किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 2000-2016 की अवधि के दौरान, जम्मू और कश्मीर को 1.14 ट्रिलियन रुपये का अनुदान प्रदान किया जा चुका है और इसका अधिकांश भाग सुरक्षा पर व्यय किया गया है।
- **छोटे निर्वाचन क्षेत्र द्वारा बहुसंख्यक हितों के समक्ष अवरोध उत्पन्न करना -** इसके अंतर्गत, पाकिस्तान का डीप स्टेट और कश्मीर घाटी का एक छोटा क्षेत्र शामिल है जिनके द्वारा क्षेत्र में संचालित होने वाले समग्र संवादों को बाधित किया गया है।
- **विकास के अभाव** के कारण इस **क्षेत्र में तनाव की स्थिति में वृद्धि** हो रही है जो एक ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करता है जिससे इस क्षेत्र के युवाओं की उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बनी रहती है।

समग्र आतंकी अवसंरचना की समाप्ति हेतु बहु-आयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता

- **पाकिस्तान आधारित आतंक से निपटने हेतु -**
  - **आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही -** एक सुदृढ़ नीति विकसित की जानी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के डीप स्टेट द्वारा भारत के विरुद्ध आतंक को प्रायोजित किए जाने पर कठोर कार्यवाही की जा सके, जैसे- हाल ही में बालाकोट पर किया गया हवाई हमला।
  - **रक्षा अवसंरचना को सतर्क बनाना -** भारतीय रक्षा बलों को सभी स्तरों (चाहे नियंत्रण रेखा हो या जम्मू और कश्मीर या कोई अन्य क्षेत्र) पर अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
  - पाकिस्तान पर दबाव बनाने हेतु **उसे आतंकी राज्य घोषित करना**। इसके लिए यह आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत का समर्थन करे।
  - **आर्थिक उपाय -** पाकिस्तान के पास बहुत कम विदेशी मुद्रा भंडार है और साथ ही उस पर अत्यधिक विदेशी ऋणों का भार भी बना हुआ है। यदि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) द्वारा पाकिस्तान को **ब्लैक लिस्ट** की सूची में शामिल कर दिया जाता है, तो उसके समक्ष गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार के दबाव को पाकिस्तान पर बनाए रखा जाना चाहिए।
  - **पाकिस्तान के निकट सहयोगी देशों के साथ वार्ता करना -** आतंकवाद (आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाना या आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों पर कार्य करना) पर भारत के पक्ष का समर्थन करने हेतु चीन, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों के साथ वार्ता करने की आवश्यकता है।
  - **चौतरफा बहिष्कार (Cohesive Boycott) -** पाकिस्तान प्रायोजित किसी भी आतंकी गतिविधि का जवाब संपूर्ण देश को संगठित रूप में देना चाहिए। बॉलीवुड, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के माध्यम से भी पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का सॉफ्ट एंगेजमेंट चैनल (मृदु संपर्क) नहीं होना चाहिए।
- **भारत की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु**
  - **कश्मीर में पहुँच बढ़ाना-** लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा (जैसे- **उड़ान** योजना), उग्रवादी गतिविधियों में शामिल युवाओं के साथ वार्ता करना आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **आसूचना का संग्रहण -** विभिन्न एजेंसियों, सुरक्षा बलों और लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ व्यापक आसूचना सुधारों की आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (NCTC) -** NCTC पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। इसका प्रस्ताव 2008 के मुंबई हमलों के पश्चात् रखा गया था, जो कि एक संघीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- **डी-रेडिकलाइज़ेशन**- ISIS के खतरों को देखते हुए लोन वुल्फ अटैक एवं डी-रेडिकलाइज़ेशन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं।
- **आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करना -** आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु उपयोग किए जाने वाले धन के सभी स्रोतों को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में जमात-ए-इस्लामी पर की गई कार्रवाई के समान इसी प्रकार के अन्य संगठनों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

पाकिस्तान की एक राजकीय नीति के रूप में आतंकवाद

- डीप स्टेट वस्तुतः सरकारी एजेंसियों अथवा सेना के कुछ विशिष्ट व प्रभावशाली सदस्यों का एक ऐसा निकाय है जो सरकारी नीतियों को गुप्त रूप से परिचालित करने या उन्हें नियंत्रित करने में शामिल है।
- पाकिस्तान में डीप स्टेट द्वारा इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों (मुजाहिदीन) को, अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले रणनीतिक साधन के रूप में पोषित किया गया है।
- इस रणनीति को अफगानिस्तान में USSR के विरुद्ध अमेरिका द्वारा वित्त पोषित मुजाहिदीनों की सफलता के बाद तीव्रता से अपनाया गया था।
- ऐसे समूह मुख्यतः तीन प्रकार के हैं-
  - **भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले समूह -** उदाहरण के लिए, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आदि।
  - **अफगानिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले समूह -** उदाहरण के लिए, अल-कायदा और तालिबान।
  - **पाकिस्तानी तालिबान** (तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान) - यह समूह घातक रूप ले चुका है और इसके द्वारा स्वयं पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध ही संघर्ष किया जा रहा है।
- **आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का अभाव -** पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई का अनिच्छुक रहा है अर्थात् उदासीन बना हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय दबावों को कम करने हेतु आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध दिखावटी कार्रवाई करता है।
- इसके अतिरिक्त, यदि सशस्त्र विद्रोह होता है तो पाकिस्तान सैन्य रूप से आतंकवाद से निपट नहीं पाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि इन समूहों का पाकिस्तान में कुछ क्षेत्रों पर उल्लेखनीय प्रभाव है।

पाकिस्तान-आधारित आतंकवाद के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन

- 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एक वाहन के माध्यम से आत्मघाती हमला किया गया जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे।
- इस हमले का संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद से था।
- 26 फरवरी को, भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट स्थित प्रशिक्षण शिविर केन्द्रों के समूह पर वायु हमला किया गया।
- यह भारत द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया से संबंधित दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह आतंक से लड़ने के लिए गैर-सैन्य, गैर-नागरिक लक्ष्य आधारित एक प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक (निवारक कार्रवाई) थी।
- यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ही तत्कालीन दशाओं को युद्ध में परिणत होने से रोकने के लिए लिया गया एक परिपक्व निर्णय था।

VISION IAS

पाकिस्तान स्थित आतंकवाद की अवसंरचना से निपटने से जुड़े मुद्दे

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लंबे समय तक पाकिस्तान को पूर्णतः अलग-थलग करना कठिन है, क्योंकि इसके पास -
  - बृहत् जनसंख्या है;
  - परमाणु क्षमता है; तथा
  - पाकिस्तान का समर्थन करने वाले इस्लामिक राष्ट्र हैं।
- पाकिस्तानी राज्य के अंगों (चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायपालिका या सिविल सोसाइटी) को उसके डीप स्टेट द्वारा निष्प्रभावी बना दिया गया है। अतीत में भी जब कभी किसी अन्य अंग द्वारा आवाज उठाने का प्रयास किया गया है, उनकी शक्ति को डीप स्टेट द्वारा निष्प्रभावी बना दिया गया है।
- पाकिस्तान में डीप स्टेट उस रोग के समान बन गया है, जिसका उपचार करना संभव नहीं है। यदि परमाणु हथियार आतंकवादी समूहों के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बन सकता है।

4.4. आतंकवाद-विरोधी वैश्विक समन्वय

(Global Coordination for Countering Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा **"संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी समन्वय समझौते"** (UN Global Counter Terrorism Coordination Compact) नामक एक नए फ्रेमवर्क को लांच किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी समन्वय समझौते के बारे में

- यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासचिव, 36 संगठनात्मक इकाईयों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL) और विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के मध्य संपन्न एक समझौता है।
- **उद्देश्य**
  - यह सुनिश्चित करता है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी रणनीति और अन्य प्रासंगिक प्रस्तावों** को कार्यान्वित करने के लिए सदस्य देशों को उनके अनुरोध पर समन्वित क्षमता-निर्माण सहायता प्रदान की जाए।
  - सुरक्षा परिषद के अधिदेशित निकायों और संयुक्त राष्ट्र की अन्य प्रणालियों के मध्य घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना।
  - संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी समन्वय समिति द्वारा इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-विरोधी कार्यालय के अवर-महासचिव द्वारा की जाएगी।
  - यह आतंकवाद-विरोधी कार्यान्वयन कार्यबल को प्रतिस्थापित करेगा। इस कार्यबल की स्थापना वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के व्यापक समन्वय और आतंकवाद-विरोधी प्रयासों के सामंजस्य को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी।

वैश्विक आतंकवाद-विरोधी रणनीति (Global Counter-Terrorism Strategy)

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा इसे वर्ष 2006 में अपनाया गया था। यह आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट वैश्विक साधन है।
- UNGA द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में इस रणनीति की समीक्षा की जाती है, जो इसे सदस्य राज्यों की आतंकवाद-विरोधी प्राथमिकताओं के अनुरूप एक जीवंत दस्तावेज़ बनाती है।
- **वैश्विक रणनीति के चार स्तंभों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - आतंकवाद के प्रसार के लिए उपस्थित अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तन करने के उपाय।
  - आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने के उपाय।
  - आतंकवाद को रोकने एवं मुकाबला करने और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रों की क्षमता निर्माण के उपाय।
  - आतंकवाद के विरुद्ध मुकाबला करने के मूलभूत आधार के रूप में विधि के शासन और सभी के लिए मानवाधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने के उपाय।

VISION IAS

वैश्विक समन्वय की आवश्यकता

- **आतंकवाद के परिवर्तित होते स्वरूप के कारण आतंकी खतरों के वैश्विक प्रसार में वृद्धि हुई है:** हाल के वर्षों में ऐसे कई आतंकी नेटवर्कों का विकास हुआ है जो राज्य प्रायोजित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में ऐसे कई खतरनाक समूह या व्यक्ति हैं, जो गैर-राज्य अभिकर्ता के रूप में कार्यरत हैं।
  - जहाँ कुछ आतंकी समूहों ने स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीतिक आयामों पर ही ध्यान केन्द्रित किया हुआ है, वहीं कुछ अन्य समूहों ने वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया है।
  - आतंकवाद की सर्वसम्मत परिभाषा के निर्धारण के संबंध में सार्वभौमिक समझौते का अभाव भी एक संगठित वैश्विक प्रतिक्रिया के निर्माण के प्रयासों को बाधित करता है।
- **खंडित दृष्टिकोण (Fragmented approach):** बहु-पक्षीय कार्रवाई, मौजूदा साधनों के अपर्याप्त अनुपालन और प्रवर्तन से बाधित हो रही है।
  - वैश्विक आतंकवाद विरोधी समन्वय सहित असहयोगी राज्यों की कार्रवाइयों का समाधान किया जा सकता है और क्षमता-निर्माण के प्रयासों (वर्तमान में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप में खंडित) को एकल संरचना के अधीन लाया जा सकता है।
- **छिद्रिल सीमाएं और अंतः-संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियां:** छिद्रिल सीमाओं और अंतः-संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों (वित्त, संचार और पारगमन) का लाभ उठाते हुए आतंकवादी समूह विश्व में किसी भी स्थान से अपने कार्यों का संचालन कर सकते हैं। साथ ही, गैर-राज्य अभिकर्ता जो सीमाओं को आसानी से पार कर सकते हैं तथा नागरिक क्षेत्रों में परिचालन कर सकते हैं, भी एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं।
- **आतंकवादी खतरों को नियंत्रित करने के लिए देशों की अक्षमता:** बहुपक्षीय पहलें, गतिविधियों की एक श्रृंखला (जिसमें पुलिसिंग से लेकर काउंटर रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम तक) को सुदृढ़ करने हेतु संस्थानों और कार्यक्रमों के निर्माण हेतु राज्यों की क्षमता में वृद्धिं करती हैं।
- **उभरती चुनौतियां:** उभरती तकनीकों के दुरुपयोग के विरुद्ध सतर्कता, जैसे - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence), ड्रोन और 3-D प्रिंटिंग तथा साथ ही चरमपंथी एवं आतंकवादी समूहों द्वारा हेट स्पीच के उपयोग एवं धार्मिक विश्वासों को विरूपित किया जाना।

आतंकवाद-विरोधी विभिन्न वैश्विक कार्रवाईयां

- **संयुक्त राष्ट्र** उन विभिन्न अभिसमयों की निगरानी करता है, जो आतंकवाद के विविध पहलुओं (जैसे- आतंकवाद के वित्तीयन, अपहरण (hijacking), जनसंहार हेतु शस्त्रों की प्राप्ति तथा बंधक बनाना) को लक्षित करते हैं।
  - उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2006 में सर्वसम्मति से**वैश्विक आतंकवाद-विरोधी रणनीति** को अपनाया गया था।
  - **आतंकवाद-विरोधी कार्यान्वयन कार्य बल (Counterterrorism Implementation Task Force: CTITF) -** 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सृजित निकायों के मध्य एक समझौता है। वर्तमान में इसमें इंटरपोल सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 30 निकाय शामिल हैं। इसका गठन UN के अंतर्गत आतंकवाद-विरोधी प्रयासों को सुव्यवस्थित तथा समन्वित बनाने हेतु किया गया है।
  - UNSC द्वारा आतंकवाद विरोधी समिति (Counterterrorism Committee: CTC) की स्थापना की गई है।
  - ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (GCTF) के तत्वाधान में **टेररिस्ट ट्रेवल इनीशिएटिव** की शुरुआत की गई थी।
    - यह राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सीमा अनुवीक्षण पेशेवरों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। इसके माध्यम से आतंकवाद का सामना करने हेतु एक प्रभावी निगरानी सूची तथा अनुवीक्षण उपकरणों को विकसित एवं कार्यान्वित करने सम्बन्धी विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा।

VISION IAS

- यह पहल बेहतर प्रथाओं का एक समुच्चय विकसित करेगी। यह समुच्चय टेररिस्ट ट्रेवल (आतंकवादियों के आवागमन) को रोकने के लिए UNSC रिजोल्यूशन 2396 में निर्धारित सीमा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए देशों और संगठनों को सुदृढ़ बनाएगा।

- **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) और ग्रुप ऑफ़ एट (G8) का आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई समूह (CTAG)।**
- यूरोपीय संघ की **यूरोपीय संघ न्यायिक सहयोग इकाई (EUROJUST) तथा यूरोपीय संघ का पुलिस बल (EUROPOL).**

आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र में भारत की भागीदारी

- भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक **अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क** को अपनाने को प्राथमिकता प्रदान की है।
- भारत ने वर्ष 1996 में **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism: CCIT)** प्रस्तुत किया। इसने आतंकवाद को परिभाषित किया और "आतंकवादियों के अभियोजन और प्रत्यर्पण के लिए मानक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया।"
- आतंकवाद-विरोधी कई चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी; जैसे कि
  - वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक **वैश्विक आतंकवाद-विरोधी रणनीति तैयार करना,**
  - **वैश्विक आतंकवाद-विरोधी मंच (GCTF)** के संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य करना
  - **काउंटर-टेररिज्म कमेटी** की स्थापना करने वाला **प्रस्ताव 1373** और आतंकवादी संगठनों को सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार को सुनिश्चित करने वाला **प्रस्ताव 1540.**

4.5. "लोन वुल्फ" अटैक

("Lone Wolf" Attacks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि "लोन वुल्फ" हमलावरों और "डू इट योरसेल्फ" आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरे सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

लोन वुल्फ अटैक

- "लोन वुल्फ" वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कमांड संरचना के बाहर रहते हुए और किसी भी समूह से भौतिक सहायता लिए बिना अकेले ही हिंसक कार्यवाही की योजनाओं को तैयार करता है और उन्हें अंजाम देता है।

परंपरागत आतंकी हमले	लोन वुल्फ आतंकी हमले
इसमें अधिकांशतः कई अपराधकर्ता शामिल होते हैं।	इसमें एक ही अपराधी शामिल होता है।
इसमें एक निश्चित कमांड संरचना होती है।	इसमें पदानुक्रमिक कमांड संरचना का अभाव होता है।
पारिवारिक सदस्यों, सामाजिक समूह आदि के इससे अवगत होने या इसमें शामिल होने की संभावना होती है।	संभवतया परिवार के सदस्य व्यक्ति के चरमपंथ से प्रभावित होने से अवगत नहीं होते हैं।

- यह संगठित आतंकवादी समूहों के लिए दुर्लभ पहुँच वाले स्थानों पर आतंक का प्रसार करने का एक प्रभावी तरीका है।
- विश्व भर में इसके हालिया उदाहरणों में शामिल हैं: 2013 में बोस्टन मैराथन के दौरान बम विस्फोट, 2014 का सिडनी बंधक संकट, न्यूयॉर्क और लंदन में हुए हालिया हमले जहां वाहनों का प्रयोग लोगों को कुचलने और उन्हें मारने के लिए किया गया आदि।

VISION IAS

लोन वुल्फ अटैक के कारण

- **समुदायों का अलगाव:** जब कोई समुदाय मुख्य धारा से पृथक हो जाता है तथा कानून पर उनका विश्वास कम हो जाता है तो उसमें अलगाव की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में वे अलगाव की भावना से ग्रस्त समुदायों के व्यक्तियों का इस तरीके से उपयोग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति (कट्टरपंथी विचारधाराओं वाले) ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच स्थापित कर स्व-उग्रवादी (सेल्फ-रेडिकलाइज्ड) हो जाएं।
- **मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकार** भी प्रायः व्यक्तियों को यादृच्छिक हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- **शिथिल बंदूक नियंत्रण व्यवस्था** (जैसे कि USA में) भी लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने हेतु एक सहायक आधार प्रदान करती है।

चुनौतियां

- **समझने में कठिनाई:** कमांड और नियंत्रण वाले पारंपरिक आतंकी समूहों को नियंत्रित करना "सरकार के लिए आसान" होता है। परन्तु लोन वुल्फ अटैक जैसे "नेतृत्व विहीन विरोध" (Leaderless Resistance) किसी भी खुफिया तंत्र के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं।
- **आतंकवादी समूहों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग:**
  - उल्लेखनीय है कि IS सीरिया में युद्ध के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सफलतापूर्वक भारतीयों की भर्ती करने में सफल रहा है। अतः ऐसे में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि वह समय दूर नहीं जब यह समूह भारत में हमला/हिंसा करने के इच्छुक व्यक्तियों की भी जल्द ही भर्ती करेगा।
  - 'भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के अल-कायदा प्रमुख ने भारतीय मुसलमानों से कहा है कि वे भारत में आतंकी हमलों के लिए यूरोप में हुए हमलों की तरह लोन वुल्फ अटैक का अनुसरण करें।
- **एक जटिल नेटवर्क की संभावनाएं:** हालिया जांचों से ज्ञात होता है कि अक्सर ये हमले पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनके प्रमुख, हिंसा को अंजाम देने के लिए दूर बैठे ही अभिप्रेरक की भूमिका निभाते हैं और ऐसे संभावित हमलावरों को गुमराह कर उन्हें लोन वुल्फ आतंकी हमले करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

आगे की राह

- **ऑनलाइन सामग्री की निगरानी:**
  - इस चुनौती का सामना करने के लिए आतंकवादी समूहों द्वारा ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन किये जाने संबंधी कृत्यों के बारे में बेहतर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
  - कट्टरपंथ के कारण भर्ती हुए संभावित लोगों के रेडिकलाइजेशन के स्तर, उनके नेटवर्क और सूचना के स्रोत, वित्तपोषण और नेतृत्व को समझने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे रेडिकलाइजेशन की जड़ों तक पहुँचने में सहायता मिल सकती है।
- **सामाजिक पूंजी में वृद्धि:** विभिन्न समूहों के मध्य अलगाव की भावना उत्पन्न करने देने के बजाय "अपनेपन की भावना" को बढ़ावा देना अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। उदाहरणार्थ, प्रभावी सामाजिक एकीकरण के माध्यम से धार्मिक या नृजातीय ध्रुवीकरण को रोकने की आवश्यकता है।
- किसी भी प्रकार के आतंकवादी समूह की विचारधारा के प्रति युवा व्यक्तियों के रेडिकलाइजेशन को पहले से ही रोकने के लिए **राज्य द्वारा परिवार और सहकर्मियों के प्रभाव** का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और परामर्श प्रदान करना।**
  - किसी मित्र या परिवार के सदस्य द्वारा रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् पेशेवर सलाहकारों द्वारा रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध सलाह देने के लिए हेल्पलाइन बनाई जानी चाहिए।
- **समन्वय:**
  - ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए IB, NIA, राज्य पुलिस इत्यादि जैसी एजेंसियों के मध्य समन्वय और खुफिया आसूचना को साझा करना आवश्यक है।
  - IS जैसे आतंकी संगठनों द्वारा प्रस्तुत खतरे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं। अतः आसूचना साझाकरण, सूचना अनुरोधों का तीव्रता से प्रसंस्करण, वित्तीय तंत्र को ध्वस्त करने और प्रत्यर्पण व्यवस्था को सरल बनाने की भी आवश्यकता है।

VISION IAS

- **पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना:** राज्य पुलिस बलों में आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वस्तुतः हमले होने पर सबसे पहले वे ही जवाबी कार्यवाही करते हैं।

भारत में लोन वुल्फ हमले

- आतंकवाद के मौजूदा केंद्र के रूप में कार्यरत **भारत का अस्थिर पड़ोसी देश; तेजी से बढ़ती जनसंख्या,** विशेषकर युवाओं की, जिनकी मास मीडिया और सोशल मीडिया तक आसान पहुंच है; **सीमित सुरक्षा वाले सार्वजनिक क्षेत्रों में लोगों की अत्यधिक भीड़ तथा पुलिस बल की अपर्याप्त क्षमताओं** ने लोन वुल्फ अटैक के लिए भारत की सुभेद्यता में वृद्धि की है।
- हालांकि भारत में लोन वुल्फ हमलों की सम्भावनाओं को सीमित करने में कई अन्य कारक सहायक हैं, जैसे कि:
  - अमेरिका में सामान्य नागरिकों द्वारा भी परिष्कृत हथियारों को सुगमतापूर्वक खरीदा जा सकता है। इसके विपरीत भारत में ऐसे हथियारों तक पहुंच स्थापित करना अत्यंत कठिन है।
  - भारतीयों में उच्च जोखिम वाले हमले करने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति नगण्य रूप से प्रदर्शित हुई है।
  - भारत में लोन वुल्फ हमलों के उदाहरणों की अनुपस्थिति संभावित हमलावरों के दिमाग में अज्ञात भय उत्पन्न करती है।

भारत द्वारा उठाए गए कुछ कदम

- **शिक्षा और कौशल:** मदरसों का आधुनिकीकरण, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल संबंधी योजनाएं, जैसे- नई मंजिल, हिमायत आदि।
- **विशिष्ट कार्यक्रम:** IB के 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' जैसे विशिष्ट कार्यक्रम जिसमें अधिकारियों का एक समर्पित समूह वेब आधारित गतिविधियों पर नजर रखता है। ये उन युवाओं की गतिविधियों का पता लगाता है जो आतंकियों/आतंकी गुटों के संपर्क में हैं।
- NATGRID को विस्तृत किए जाने की प्रक्रिया जारी है।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)** को भारत में साइबर सुरक्षा और ई-निगरानी एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।
- **विनिंग हार्ट एंड माइंड (WHAM):** यह अलगाव की भावना को कम करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अपनाया गया एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।
- **निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती:** मॉल, होटल और स्कूलों जैसे हमले की अधिक संभावना वाले स्थलों पर निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती को अपग्रेड किया गया है। ये कर्मी किसी एकल हमलावर के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं।

4.6. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

(Armed Forces Special Powers Act: AFSPA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

32 वर्षों तक प्रभावी रहने के पश्चात् **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)** को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों से आंशिक रूप से हटा दिया गया है। इससे पूर्व, AFSPA राज्य के कुल नौ जिलों में लागू था।

AFSPA के बारे में

- वर्ष 1958 में अधिनियमित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम "अशांत क्षेत्रों" में लोक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने हेतु **सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियां एवं उन्मुक्ति प्रदान करता है।**
- "विभिन्न धार्मिक, नृजातीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों अथवा जातियों या समुदायों के सदस्यों के मध्य विद्यमान मतभेद या विवाद के कारण" किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र माना जाता है।
- AFSPA **राज्य/संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल** को संपूर्ण राज्य या आंशिक क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषित करने हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिसूचना के पश्चात् केंद्र सरकार यह निर्धारित करती है कि उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सशस्त्र बलों को तैनात किया जाए अथवा नहीं।

VISION IAS

- सशस्त्र बलों को प्रदान की गई कुछ असाधारण शक्तियों में शामिल हैं:
  - यदि किसी व्यक्ति द्वारा अशांत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था के विरुद्ध कोई कृत्य किया जा रहा हो, बिना चेतावनी दिए उस पर गोली चलाना।
  - बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना।
  - किसी भी वाहन या पोत को रोककर उसकी छानबीन करना।
  - सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके कार्यवाहियों के लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
- वर्तमान में AFSPA **पूर्वोत्तर के पांच राज्यों** (अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों, असम, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड) तथा **जम्मू एवं कश्मीर** में प्रभावी है।

AFSPA को लागू किए जाने के पक्ष में तर्क

- **प्रभावी कार्यप्रणाली:** यह विप्लव (insurgency) एवं आतंकवाद (militancy) से प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों का प्रभावी कार्यसंचालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।
- **राष्ट्र की सुरक्षा:** इस अधिनियम के प्रावधानों ने अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस प्रकार **राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के संरक्षण** हेतु यह अधिनियम अत्यावश्यक है।
- **सशस्त्र बलों के सदस्यों का संरक्षण:** यह सशस्त्र बलों के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जिनके जीवन के समक्ष विद्रोहियों और आतंकवादियों के हमले का खतरा निरंतर बना रहता है। इसके निरसन के परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों के सदस्यों के **मनोबल का ह्रास** हो सकता है।
  - सशस्त्र बलों के लिए असाधारण शक्तियों की आवश्यकता भी है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ असामान्य युद्ध विधियों का सामना किया जाता है, जैसे- छापा मारना (raids), घात लगाकर हमला (ambushes), बारूदी सुरंगें और विस्फोटक उपकरण, विध्वंसक गतिविधियाँ (sabotage) आदि।

AFSPA के विपक्ष में तर्क

- **शक्तियों का दुरुपयोग:** यह आरोप लगाया जाता है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त **उन्मुक्तियों ने** सशस्त्र बलों को **शक्तियों का दुरुपयोग करने** तथा बलपूर्वक किसी व्यक्ति को लापता करने, फर्जी मुठभेड़ों एवं यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को करने हेतु प्रोत्साहन दिया है।
  - **न्यायमूर्ति वर्मा समिति** द्वारा (संघर्ष ग्रस्त क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में) कहा गया है कि AFSPA यौन हिंसा के लिए दंडाभाव को वैधता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, कुनन-पोशपोरा की घटना; मणिपुर में थंगजाम मनोरमा मामला आदि।
  - मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों की जांच के लिए गठित **न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े समिति** ने इसे "उत्पीड़न के प्रतीक" के रूप में संबोधित किया है।
  - **न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति** ने AFSPA के तहत प्रदत्त पूर्ण उन्मुक्ति को हटाए जाने की अनुशंसा की है।
- **मूल अधिकारों को खतरा:** यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रत्याभूत **मूल अधिकारों** और स्वतंत्रता के **उल्लंघन** का कारण बनता है। इस प्रकार, यह लोकतंत्र को कमजोर करता है।
  - AFSPA प्रभावी क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की **जाँच एवं पर्याप्त कार्रवाई नहीं** की जाती है। अतः, यह **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।**
- **लोकतंत्र की विश्वसनीयता का ह्रास: अलगाववादियों** और आतंक के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था न रखने वाले **व्यक्तियों का उपयोग** किया जाता है, जो एक दुष्चक्र का सृजन करते हुए हिंसा एवं प्रति हिंसा को प्रोत्साहित करता है।
- **अप्रभावी:** आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम लगभग 50 वर्षों से अशांत क्षेत्रों में प्रभावी रहने के बावजूद वहां सामान्य स्थिति को पुनर्बहाल करने के अपने **उद्देश्य में विफल** रहा है।

आगे की राह

- **मानवाधिकारों का अनुपालन:** इस तथ्य पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि मानवाधिकार अनुपालन और परिचालनात्मक प्रभावशीलता (operational effectiveness) परस्पर विरोधी पहलू नहीं हैं। वास्तव में, मानवाधिकार के सिद्धांतों का अनुपालन सैन्य बल की उग्रवाद विरोधी क्षमता को सुदृढ़ता प्रदान करता है।
- **सुदृढ़ रक्षोपाय:** सशस्त्र बलों का संरक्षण उन प्रावधानों के साथ किया जाना चाहिए जो विधि के मानदंडों के अंतर्गत उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। यहीं कारण यह है कि मौजूदा या किसी नवीन कानून में सुदृढ़ रक्षोपायों को

समाविष्ट करना अत्यावश्यक है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का सिद्धांत एवं व्यवहार में पालन किया जाना चाहिए, यथा:

- एक अशांत क्षेत्र में सैन्य बलों द्वारा होने वाली प्रत्येक मृत्यु (चाहे वह एक सामान्य व्यक्ति की हो एक अपराधी की) की पूर्णतया जांच की जानी चाहिए।
- यदि जांच में यह ज्ञात होता है कि पीड़ित एक शत्रु था तो भी उक्त जांच में यह देखना चाहिए कि अत्यधिक या प्रतिशोधी बल का उपयोग किया गया था या नहीं।
- अपराध में संलिप्त सैन्य कर्मियों के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा का प्रावधान नहीं होना चाहिए।

- **कानून में अस्पष्टता का निराकरण:** अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु "अशांत", "खतरनाक" और "भूमिगत सैन्य-बलों" जैसे पदों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** सेना और सरकार की वेबसाइटों पर मौजूदा मामलों की स्थिति को दर्शाने में अत्यधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  - मानवाधिकार उल्लंघन के पुराने मामलों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में याचिकाकर्ताओं को अग्रसक्रिय फीडबैक प्रदान करना चाहिए।

5. धन-शोधन (Money Laundering)

5.1. धन शोधन निवारण अधिनियम

(Prevention of Money Laundering Act: PMLA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने 2019 के वित्त अधिनियम के माध्यम से "**धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002"** के प्रावधानों में संशोधन कर इसे और अधिक कठोर बना दिया है।

नवीन संशोधन

- **"अपराध से अर्जित लाभ" की परिभाषा और अधिक व्यापक बनाया गया है।** अब इसमें किसी भी आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित संपत्तियों और परिसंपत्तियों को भी शामिल किया गया है, भले ही ये गतिविधियां धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा इसे **"संबंधित अपराध (relatable offence) के रूप में स्वीकार किया जाएगा।**
- **PMLA अधिनियम में अस्पष्टता और अन्य संशयात्मक स्थिति को समाप्त करने हेतु इसमें** अन्य और भी संशोधन किए गए हैं।

धन शोधन के बारे में

- इंटरपोल (INTERPOL) के अनुसार, **धन शोधन (मनी-लॉन्ड्रिंग) का अर्थ अवैध रूप से अर्जित धन की पहचान को गुप्त रखना या उसके स्वरुप को परिवर्तित करना है** ताकि ऐसा प्रतीत हो कि उसका सृजन वैध स्रोतों से ही हुआ है।
- यह **मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली जैसे अन्य अति गंभीर अपराधों** का भी एक घटक है।
- धन शोधन की कुछ सामान्य विधियों में **अत्यधिक मात्रा में नकदी की तस्करी (बल्क कैश स्मगलिंग), शेल कम्पनियाँ और न्यासों, राउंड ट्रिपिंग, हवाला, फर्जी रसीदें तैयार करना आदि सम्मिलित** हैं।
- बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के प्रचलन के कारण इस प्रकार की गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

धन शोधन के प्रभाव

- **वित्तीय संस्थाओं तथा बाज़ार की प्रतिष्ठा को क्षति:**
  - यह समाज की "लोकतांत्रिक संस्थानों" को कमज़ोर करता है।
- **आपराधिक गतिविधियाँ:** यह अपराधियों को निजीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के अवसर प्रदान करता है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  - यह आर्थिक संकट उत्पन्न कर देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाता है।
  - यह माप की त्रुटि एवं संसाधनों के दोषपूर्ण आवंटन के कारण नीतियों को विरूपित करता है।
  - इससे विदेशी निवेशक हतोत्साहित होते हैं।
  - इससे कर अपवंचन (tax evasion) की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
  - इससे ब्याज दरों तथा विनिमय दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के बारे में

- **उद्देश्य**
  - धन शोधन की रोकथाम एवं नियंत्रण;
  - धन शोधन द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त एवं अधिग्रहित करना; तथा
  - भारत में धन शोधन से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे से निपटना।
- **यह धन शोधन के अपराध को परिभाषित करता है।**
- **विभिन्न विधानों के अंतर्गत कई अपराधों को शामिल कर इस अधिनियम की पहुँच में वृद्धि करना:** इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC), स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, आयुध अधिनियम, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि के तहत कुछ अपराधों की पहचान की गई है। साथ ही, इन अपराधों से अर्जित धन को भी इस अधिनियम के तहत सम्मिलित किया जाएगा।

VISION IAS

- **सीमा पार धन शोधन संबंधी गतिविधियों से निपटना**: यह PMLA के प्रावधानों को लागू करने तथा PMLA के अंतर्गत किसी भी अपराध की रोकथाम के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार को किसी भी अन्य देश के साथ समझौता करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **विशेष न्यायालय:** केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में धन शोधन संबंधी अपराधों पर अभियोग चलाने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।
- **यह बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों तथा मध्यस्थों के दायित्वों का भी निर्धारण करता है।**

धन शोधन के निवारण हेतु संरचना

- **संस्थागत ढांचा:** इसमें मुख्य रूप से दो निकाय सम्मिलित हैं:
  - **प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate: ED):** PMLA के अंतर्गत मामलों की जाँच तथा उनके अभियोजन हेतु; तथा
  - **वित्तीय आसूचना इकाई – भारत (Financial Intelligence Unit - India : FIU-IND):** इसका कार्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेनों से संबंधित सूचना प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के साथ-साथ धन शोधन के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आसूचना, अन्वेषण तथा प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के साथ सहयोग करना और उन्हें सुदृढ़ करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय:**
  - **वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF):** यह एक अंतर-सरकारी निकाय है और इसकी स्थापना का उद्देश्य धन शोधन व आतंकी वित्तपोषण तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के समक्ष उत्पन्न खतरों से निपटने हेतु मानक निर्धारित करना एवं कानूनी, नियामकीय व परिचालन संबंधी उपायों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना है।
  - **एशिया प्रशांत समूह:** यह धन शोधन रोधी नीतियों एवं पहलों के क्रियान्वयन और अपेक्षाकृत अधिक स्थायी क्षेत्रीय धन शोधन रोधी निकाय की स्थापना हेतु व्यापक क्षेत्रीय प्रतिबद्धता के सृजन के लिए एशिया-प्रशांत देशों के साथ कार्य करता है।
  - **बैंकिंग विनियमन तथा पर्यवेक्षण प्रथाओं पर बेसल समिति** द्वारा सिद्धांतों का एक वक्तव्य जारी किया गया है जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त निधियों को छिपाने अथवा उनका शोधन करने से बचाने हेतु बैंकों को एक समान व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  - भारत द्वारा **आतंकवाद का वित्तपोषण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (1999); संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (2000) तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (2003)** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

धन शोधन से निपटने के मार्ग में चुनौतियां

- **प्रेडीकेट-ऑफेंस-ओरिएंटेड-लॉ (Predicate-offence-oriented law):** इसका अर्थ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी मामला केवल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), आयकर विभाग या पुलिस जैसी प्राथमिक एजेंसियों द्वारा अनुसरण किए गए मामलों की नियति पर ही निर्भर करता है। (प्रेडीकेट-आफेंस से तात्पर्य उस अपराध से है जो अपेक्षाकृत अधिक गंभीर अपराध का घटक है।)
- **तकनीकी प्रगति:** प्रवर्तन एजेंसियाँ तीव्र गति से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय स्थापित करने में असमर्थ हैं जिसके परिणामस्वरूप नियोजन, स्तरीकरण तथा समेकन जैसी प्रक्रियाएं और अधिक जटिल हो जाती हैं।
- **नो योर कस्टमर (KYC) मानकों के उद्देश्यों की पूर्ति न हो पाना:** KYC मानक हवाला कारोबार की समस्याओं को समाप्त करने या उन्हें नियंत्रित करने में असक्षम हैं, क्योंकि RBI इन्हें विनियमित नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मानक केवल दिखावा मात्र हैं क्योंकि उन्हें कार्यान्वित करने वाली एजेंसियाँ इनके प्रति उदासीन हैं। साथ ही, बाज़ार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा बैंकों को अपने सुरक्षा उपायों को शिथिल करने हेतु बाध्य करती हैं। इस प्रकार, धन शोधनकर्ता के लिए उनके आपराधिक कृत्यों को आगे बढ़ाने हेतु बैंकों का अवैध उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **व्यापक स्तर पर तस्करी:** कई आयातित उपभोक्ता वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक आदि जैसी वस्तुओं की बिक्री के प्रयोजनार्थ भारत में कालाबाजारी से संबंधित अनेक चैनल विद्यमान हैं। ज्ञातव्य है कि इन्हें नियमित रूप से बेचा जाता हैं।

VISION IAS

- **व्यापक प्रवर्तन एजेंसियों का अभाव:** धन शोधन, साइबर अपराधों, आतंकी अपराधों, आर्थिक अपराधों आदि से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पृथक-पृथक अंगों के मध्य परस्पर समन्वय का अभाव है।
- **टैक्स हेवन देश:** ये देश दीर्घकाल से धन शोधन संबंधी गतिविधियों में संलग्न हैं क्योंकि उनके वित्तीय गोपनीयता संबंधी क़ानून, बेनामी खाते (anonymous accounts) खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा साथ ही वित्तीय सूचनाओं के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित भी करते हैं।

हवाला तथा धन शोधन

"हवाला" शब्द का अर्थ होता है विश्वास। यह पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग न करते हुए, एक समानांतर व्यवस्था के माध्यम से धन तथा सम्पत्ति के हस्तांतरण का एक तरीका है।

यह कैसे कार्य करता है?

हवाला लेन-देन में, नकद राशि का भौतिक संचरण नहीं होता। यह हवालादारों या हवाला डीलरों के नाम से जाने जाने वाले संचालकों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। धन के हस्तांतरण का इच्छुक व्यक्ति किसी हवाला परिचालक से मूल अवस्थिति पर संपर्क करता है तथा इसके पश्चात् वह हवाला परिचालक उस व्यक्ति से धन ले लेता है। तत्पश्चात, वह हवाला परिचालक गंतव्य अवस्थिति पर अपने साथी हवाला परिचालक से संपर्क करता है जो उस व्यक्ति को धन हस्तांतरित कर देता है जिसके नाम पर हस्तांतरण किया गया था। इस प्रकार यह लेन-देन पूरा होता है।

भारत में हवाला की स्थिति

- हवाला को भारत में अवैध माना जाता है क्योंकि यह धन शोधन का एक तरीका है।
- चूँकि हवाला लेन-देन बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता, इसी कारण RBI तथा सरकारी एजेंसियाँ इन लेनदेनों को विनियमित करने में असमर्थ होती हैं।
- भारत में, FEMA (विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम), 2000 तथा PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 ऐसे दो मुख्य विधान हैं जो ऐसे लेन-देन को गैर-कानूनी सिद्ध करते हैं।

हवाला नेटवर्क का सम्पूर्ण विश्व में काले धन के परिसंचरण तथा आतंकवाद के वित्त पोषण, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।

आगे की राह

- **सामान्य विधेय (predicate) अपराधों को सूचीबद्ध करना:** विशेषतया धन शोधन के अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करने हेतु।
- **जागरूकता एवं शिक्षा:** धन शोधन के दृष्टान्तों के प्रति सतर्कता में वृद्धि करने हेतु जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार, जिससे क़ानून के बेहतर प्रवर्तन में भी सहायता प्राप्त होगी क्योंकि इससे यह सार्वजनिक अवलोकन का विषय हो जाएगा।
- **विभिन्न हितधारकों के मध्य उचित समन्वय:** उदाहरण के लिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य उचित समन्वय आवश्यक है। साथ ही, विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अभिसरण तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान आवश्यक है।
- **धन शोधन गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठ:** इसे अनन्य रूप से धनशोधन-रोधी (एंटी-मनी लॉन्डरिंग: AML) अनुसंधान तथा विकास के प्रबंधन हेतु आर्थिक आसूचना परिषद (EIC) की तर्ज़ पर सृजित किया जाना चाहिए। इस विशेष प्रकोष्ठ को इंटरपोल तथा AML से संबद्ध अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी संबद्ध करना चाहिए। RBI, SEBI इत्यादि जैसे सभी महत्वपूर्ण हितधारकों को इसका भाग होना चाहिए।
- **विभिन्न अभिसमयों के अनुसरण में क़ानून:** देशों को स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन, 1988 (विएना अधिवेशन) तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन, 2000 (पालेरमो अधिवेशन) के आधार पर धन शोधन को अपराध घोषित करना चाहिए।

5.2. काले धन पर रिपोर्ट

(Report on Black Money)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्तीय मामलों संबंधी स्थायी समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसका शीर्षक **'स्टेटस ऑफ अनएकाउंटेड इनकम/वेल्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री - ए क्रिटिकल एनालिसिस'** था।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- हालांकि, बेहिसाबी (अनएकाउंटेड) आय या **काले धन की कोई एक समान परिभाषा नहीं** है, किन्तु सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह उन आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय होती है जो सरकारी विनियमनों और कराधान से छलपूर्वक या किसी अन्य प्रकार से बचकर अर्जित की गई होती है।
- सभी अवैध आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ इसमें उन वैध आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है जिनमें कर अपवंचन किया गया हो।
- स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक काले धन का संचरण हो रहा है उनमें रियल एस्टेट, खनन क्षेत्र, फार्मास्युटिकल्स उद्योग, पान मसाला, गुटखा एवं तंबाकू उद्योग, सर्राफा एवं जिंस बाजार, फिल्म उद्योग, शैक्षणिक संस्थान तथा पेशेवर संस्थान शामिल हैं।
- इस रिपोर्ट में काले धन के आकलन से संबंधित कठिनाईयों का भी उल्लेख है:
  - जैसा कि रिपोर्ट में यह उल्लिखित है, कि काले धन की उत्पत्ति या संचय के बारे में न तो कोई विश्वसनीय आकलन किया गया है और न ही इस प्रकार के आकलन हेतु कोई सटीक एवं पूर्णतया स्वीकृत पद्धति उपलब्ध है।
  - स्थायी समिति के आकलन के अनुसार, संपूर्ण प्रणाली के अंदर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 7% से 120% के मध्य काला धन विद्यमान है। यह काले धन के आकलन की विधियों में विद्यमान व्यापक भिन्नता को रेखांकित करता है।

बेहिसाबी/काले धन के आकलन की आवश्यकता

- अर्थव्यवस्था में बेहिसाब धन या काले धन की बढ़ती प्रवृत्तियां, **देश के संभावित राजस्व आकार में कमी** कर देती हैं।
- **प्रभावी मौद्रिक नीति, श्रम नीति और राजकोषीय नीति को तैयार** करने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख आँकड़ों, जैसे - उत्पादन, कीमत-स्तर एवं बेरोजगारी के स्तर का सटीक आकलन करना महत्वपूर्ण होता है। अतः, बेहिसाबी आर्थिक गतिविधियों के आकलन के माध्यम से आधिकारिक राष्ट्रीय लेखाओं के आंकड़ों को पूरकता प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- कुछ बेहिसाबी आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे - स्वापक द्रव्यों एवं हथियारों का अवैध व्यापार, न केवल अर्थव्यवस्था के लिए ही हानिकर हैं बल्कि ये समाज के लिए भी सही नहीं हैं।
- इसका परिणाम:
  - बजट घाटे या कर दरों में वृद्धि के दुष्चक्र
  - आभासी अर्थव्यवस्था (शैडो इकोनॉमी) में वृद्धि के रुप में हो सकता है।
  - सामाजिक कल्याण को भी प्रभावित कर सकता है।

बेहिसाबी/काले धन की समस्या से निपटने हेतु उठाए गए कदम

विधायी तंत्र

- वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अधिनियमों को लागू करना;
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 का अधिनियमन;
- "बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988" में व्यापक संशोधन;
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018;
- कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी बेहिसाबी आय को नकली लेन-देनों का सहारा लेकर छूट प्राप्त दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के रुप में घोषित कर दिया जाता है। छूट के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 10 (38) में संशोधन किया गया है; तथा
- शेल कंपनियों (जो भारत से बाहर निगमित एवं भारत से नियंत्रित होती हैं) के निर्माण को रोकने के क्रम में किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र के तहत निगमित कंपनी की स्थापना के वास्तविक स्थान के निर्धारण हेतु वित्त अधिनियम, 2016 में **'प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट' (POEM)** की अवधारणा को शामिल किया गया है।

प्रशासनिक तंत्र और प्रणाली में सुधार

- अधिक-से-अधिक लेन-देनों की निगरानी हेतु TDS (स्रोत पर कर की कटौती) प्रावधानों के दायरे का विस्तार करना।
- आक्रामक कर नियोजन (जिसमें जटिल संरचनाओं का उपयोग किया जाता है) से निपटने हेतु सामान्य कर अपवंचन-रोधी नियम (GAAR) को लागू किया गया है।
- नकद लेन-देन को कम करने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं।

VISION IAS

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी तंत्र

- कर संधियों के तहत सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु भारत विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है। भारत सरकार ने 146 राष्ट्रों के साथ कर संधि ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे - अमेरिका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA)।
- भारत सरकार साझा रिपोर्टिंग मानकों (CRS) के अनुरुप सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के लिए बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौते (MCAA) में भी शामिल हो गई है।
- भारत ने कर अपवंचन (tax evasion) और कर परिहार (tax avoidance) से संबंधित उपायों को सक्षम बनाने हेतु मॉरीशस एवं सिंगापुर के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौतों (Double Taxation Avoidance Agreements: DTAA) में संशोधन किया है।

न्यायिक प्रयास

उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश पर, सरकार द्वारा मई 2014 में काले धन के संबंध में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। उक्त SIT द्वारा अब तक माननीय उच्चतम न्यायालय को सात रिपोर्टें सौंपी जा चुकी हैं।

आगे की राह

इन सभी उपायों के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र में **नैतिकता के मानकों** में वृद्धि की जानी चाहिए। इस संदर्भ में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के अन्य प्रमुख अभिकर्ताओं के साथ-साथ राजनीतिक एवं नौकरशाही के नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

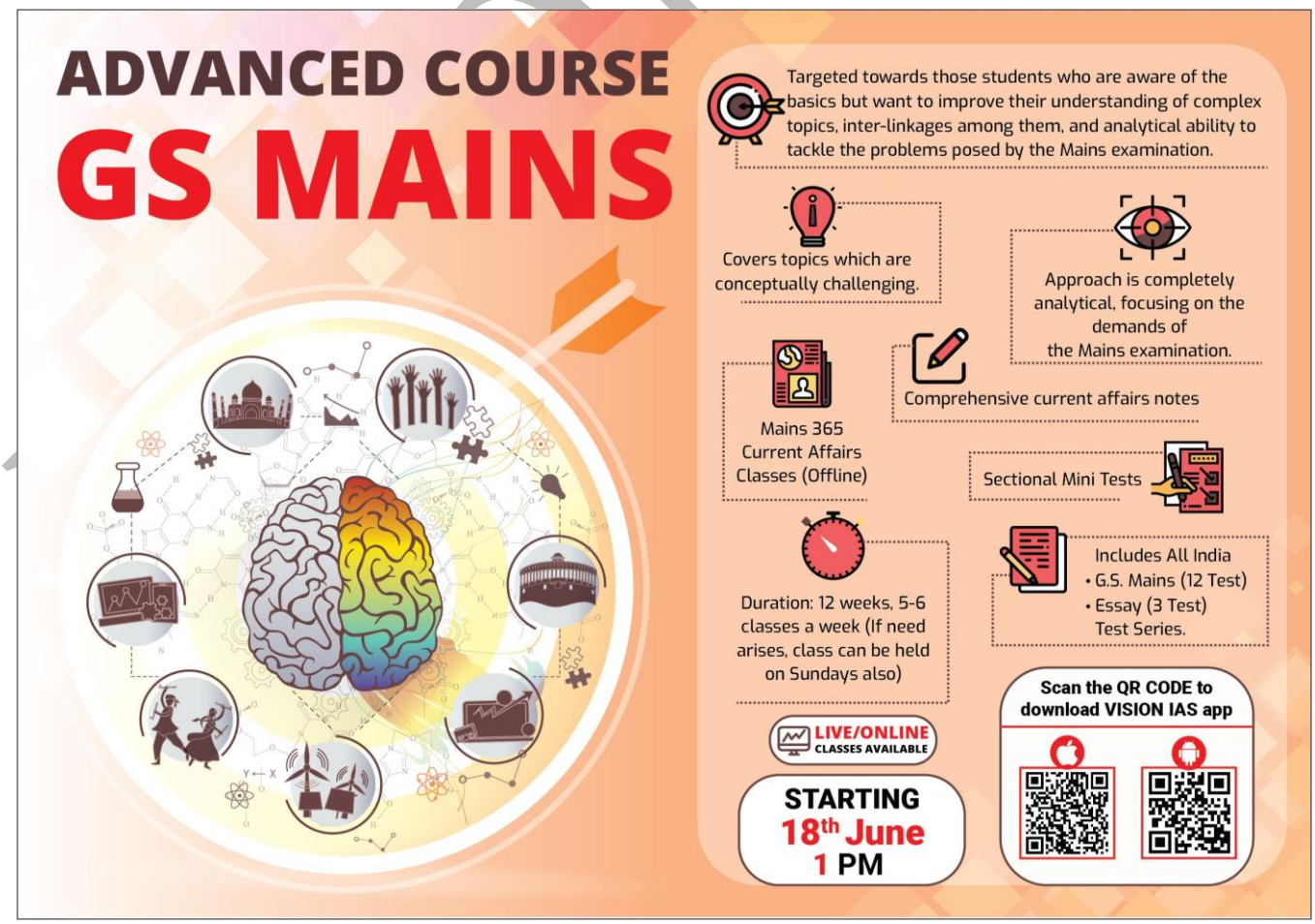

6. सैन्य आधुनिकीकरण (Military Modernisation)

6.1. भारत में रक्षा अधिप्राप्ति

(Defence Procurement in India)

भूमिका

- भारत पारंपरिक रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक देशों में से एक है। यह अपने कुल रक्षा बजट का लगभग 31.1% पूंजीगत अधिग्रहण पर व्यय करता है।
- भारत की लगभग 70% रक्षा आवश्यकताएं आयात के माध्यम से पूरी होती है।
- हालांकि, भारत में रक्षा अधिप्राप्ति (खरीद) से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे विद्यमान हैं:
  - **सार्वजनिक क्षेत्रक का एकाधिकार** और रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी।
  - विदेशी राष्ट्रों के साथ **सुविचारित रणनीतिक योजनाओं का अभाव**, जो प्राय: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बाधित करता है।
  - **संस्थागत तंत्र का अभाव** जो रक्षा उद्योग के लिए दीर्घकालिक रोडमैप प्रस्तुत कर सकता है।
  - **प्रौद्योगिकी को अपनाने/आत्मसात करने की सीमित क्षमता।**
  - **सीमित R&D आधार और पर्याप्त कुशल कार्यबल की कमी।**

भारत में रक्षा विनिर्माण की संभावना

- **रणनीतिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति -** ताकि भारत को आवश्यक परिचालन संबंधी तैयारियों में महारत प्राप्त हो सके तथा भारत की विदेशी राष्ट्रों पर निर्भरता को कम किया जा सके।
- **लागत प्रभावी रक्षा उपकरण -** विदेशी खरीद पर महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा व्यय करने के बजाय, इन्हें सैन्यबलों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
- **रोजगार सृजन -** भारतीय नीति का लक्ष्य 2025 तक रक्षा क्षेत्र में 70,000 करोड़ रूपये के अतिरिक्त निवेश करने के साथ ही 1.7 ट्रिलियन रूपये के टर्नओवर को प्राप्त करना है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 20-30 लाख रोजगार अवसर सृजित होंगे।
- **रक्षा निर्यात -** सरकार द्वारा 35,000 करोड़ रुपये मूल्य वाले रक्षा संसाधनों को अर्जित किया गया है। साथ ही, इससे भारत की सॉफ्ट पावर और अन्य देशों के साथ समझौता करने की क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है।

भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सुधार करने संबंधी पहलें

- सरकार द्वारा **दो रक्षा औद्योगिक गलियारों** (उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु) की स्थापना की जा रही है।
- **'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति'** की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- इस क्षेत्रक में निवेश से संबंधित आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने हेतु मंत्रालय के अधीन **"रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ"** का निर्माण किया गया है।
- उद्योगों, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, R&D संस्थानों और शैक्षणिक समुदाय को जोड़ने हेतु **"रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)"** की शुरुआत की गई है।
- सरकार द्वारा रक्षा प्लेटफॉर्म में उपयोग किए जाने वाले **घटकों और पुर्जों के स्वदेशीकरण हेतु एक नीति** अधिसूचित की गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसे औद्योगिक परिवेश का निर्माण करना है जो रक्षा उपकरणों के लिए आयातित घटकों का स्वदेशीकरण करने में सक्षम हो।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति** को स्वचालित मार्ग से 49% तक और सरकारी मार्ग से 49% से अधिक के FDI को अनुमति प्रदान करने हेतु संशोधित किया गया है।
- अनुदान-व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक/निजी उद्योगों विशेषकर MSMEs की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक **प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF)** की स्थापना की गई है।

VISION IAS

- समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु **रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs)** के साथ किये जाने वाले अधिमान्य व्यवहार को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

रक्षा अधिप्राप्ति (खरीद) में निजी क्षेत्र की भूमिका

- **रक्षा बजट का प्रभावी उपयोग:** वर्तमान में, रक्षा बजट का बड़ा भाग **बिना किसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के** विदेशी उपकरणों के आयात पर व्यय किया जाता है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप स्वदेशी क्षमता निर्माण और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इससे आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।
- **अर्थव्यवस्था में वृद्धि:** एक प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र होने के कारण, रक्षा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक गुणक (multiplier) के रूप में कार्य करता है। यह उद्यमशीलता, निवेश और रोजगार का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **अधिप्राप्ति को सुव्यवस्थित करना:** विदेशी अभिकर्ताओं पर निर्भरता से खरीद प्रक्रिया में विलंब होता है और कई बार उनके द्वारा निम्न गुणवत्ता प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त, कलपुर्जों को प्राप्त करने को लेकर भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **सामरिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता:** यह युद्ध जैसी संवेदनशील स्थितियों में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान, अमेरिका द्वारा अपनी GPS सहायता को वापस ले लिया गया था, जिसका इस स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

रक्षा अधिप्राप्ति में सुधार हेतु उपाय

- निजी क्षेत्र की क्षमता की सही पहचान करना तथा तदनुसार उनके विकास में सहयोग किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों के निर्माण के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की **क्षमता का विकास करना**।
- **उन्नत अधिप्राप्ति प्रक्रिया -**
  - **अधिप्राप्ति प्रक्रिया में तेजी,** समय की बचत करने हेतु स्व-प्रमाणन व्यवस्था और तकनीकी प्रक्रियाओं के साथ अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को समेकित करना।
  - पूर्ण रूप से परिभाषित जवाबदेही और समयसीमाओं के साथ-साथ **एंड-टू-एंड डिजिटलीकृत खरीद प्रणाली** का समावेशन करना।
  - समयबद्ध उत्पादन लक्ष्य, बजटीय सहायता सहित **समय पर अधिप्राप्ति द्वारा समर्थित होने** चाहिए।
- रक्षा क्षेत्र के लिए, विशेषकर नई प्रौद्योगिकियों के विकास के संबंध में **भारत के सुदृढ़ IT उद्योग** का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
- केवल आत्मनिर्भरता के बजाय **अत्याधुनिक तकनीकों को प्राप्त करने** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। केवल आत्मनिर्भरता की प्राप्ति निम्न गुणवत्ता वाले स्वदेशी उत्पादों तक सीमित होगी।
- **नियमों को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए** ताकि राफेल सौदे जैसे घोटालों से बचने के लिए निर्णय-निर्माण प्रक्रिया और सार्वजनिक नीति में सामंजस्य बना रहे।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (DPP)-2016

- DPP का उद्देश्य आवंटित बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से (प्रदर्शन क्षमता और गुणवत्ता मानकों को ध्यान में रखते हुए) सशस्त्र बलों हेतु आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों व प्लेटफॉर्मों की समयानुसार खरीद सुनिश्चित करना है।
- DPP का लक्ष्य रक्षा उपकरणों, प्लेटफॉर्मों, प्रणालियों व उप-प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित कर **"मेक इन इंडिया"** पहल को बढ़ावा देने के लिए **रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को संस्थागत, सुव्यवस्थित तथा सरलीकृत** करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- DPP के अधीन पूंजीगत अधिग्रहण योजनाओं को व्यापक रूप से निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:
  - **बाई (Buy):** इसके अंतर्गत अधिप्राप्ति को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: बाई {इंडियन-IDDM (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)}, बाई (इंडियन) तथा बाई (ग्लोबल)। इसके अंतर्गत आने वाली ये तीनों श्रेणियां उपकरणों की प्रत्यक्ष अधिप्राप्ति को संदर्भित करती हैं।
    - **बाई (इंडियन-IDDM)** श्रेणी को पूंजीगत उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
  - **बाई एंड मेक (Buy and Make):** इसके अंतर्गत अधिप्राप्तियों को **बाई एंड मेक (इंडियन) और बाई एंड मेक** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें उपकरणों की प्रारंभिक खरीद और तत्पश्चात प्रौद्योगिकी के वृहत हस्तांतरण के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन करना सम्मिलित है।

VISION IAS

- **मेक:** इसका उद्देश्य दीर्घकालिक रक्षा क्षमताओं को विकसित करना है।
  - **10 करोड़ रूपये (सरकार द्वारा वित्तपोषित) से कम विकास लागत वाले भारतीय उद्योगों एवं आरक्षित परियोजनाओं तथा 3 करोड़ रूपये (उद्योगों द्वारा वित्तपोषित) से कम विकास लागत वाले MSMEs** को सरकार द्वारा विकास लागत के 90% का वित्तपोषण करने संबंधी प्रावधानों सहित 'मेक (make)' प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

- DPP के तहत **रक्षा ऑफसेट नीति** का भी प्रावधान किया गया है। इस नीति का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी उद्यमों के विकास को बढ़ावा देकर भारतीय रक्षा उद्योग को विकसित करने हेतु पूंजी अधिग्रहण का लाभ उठाना है। साथ ही, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए क्षमता में वृद्धि करना तथा सिविल एयरोस्पेस और आंतरिक सुरक्षा जैसे सहक्रियाशील क्षेत्रों के विकास को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है।
  - ऑफसेट कई माध्यमों से संपादित किया जा सकता है जैसे कि पात्र उत्पादों / सेवाओं की प्रत्यक्ष खरीद, संयुक्त उपक्रमों में FDI तथा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की दिशा में निवेश।

6.1.1. सामरिक भागीदारी नीति

(Strategic Partnership Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा अंगीकृत नवीन **"सामरिक भागीदारी नीति"** के तहत रक्षा अवसंरचना का अधिग्रहण आरंभ किया गया है।

सामरिक भागीदारी नीति के बारे में

- इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक खंड एक भारतीय निजी कंपनी का चयन किया जाएगा, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारत में विनिर्माण हेतु सूचीबद्ध वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (Original Equipment Manufacturer: OEM) के साथ सहयोग स्थापित करेंगी। इससे रक्षा विनिर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- इस नीति के संबंध में सर्वप्रथम 2015 में **धीरेन्द्र सिंह समिति** द्वारा सुझाव दिया गया था। रक्षा खरीद प्रक्रिया- 2016 के तहत इसे शुरू भी किया गया था।
- इसके तहत कुछ भारतीय कंपनियां सामरिक भागीदार (SP) के रूप में नामित की जाएंगी। ये सिस्टम इंटीग्रेटर की भूमिका को धारित करेंगी, साथ ही एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार का भी निर्माण करेंगी। सरकार द्वारा 'खरीद और निर्माण' ('Buy and Make) तथा सरकार से सरकार (Government-to-Government) तक खरीद कार्यक्रमों हेतु उनका चयन किया जाएगा।
- डिफेन्स प्लेटफॉर्म्स के निर्माण हेतु इस नीति के तहत उपक्रमों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 49% निर्धारित की गई है। कंपनियों को भारतीय संस्थाओं के नियंत्रण के अधीन रखा गया है।
- सरकार ने सामरिक भागीदारी नीति के तहत रक्षा उपकरणों का अधिग्रहण आरम्भ कर दिया है। इसके अंतर्गत 111 नौसैन्य उपयोग हेलीकाप्टर्स (Naval Utility Helicopters: NUH) तथा 6 P-75 (I) पनडुब्बियों का अधिग्रहण किया गया है।

सामरिक भागीदारी मॉडल का महत्व

- यह आयात पर निर्भरता में कमी लाने हेतु स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करेगा तथा रक्षा क्षेत्रक को मेक इन इंडिया पहल के साथ संबद्ध कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।
- प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता बढ़ाने के साथ ही तकनीक के तीव्र और बेहतर समावेशन की सुविधा में सहायता प्रदान करेगा।
- एक स्तरीय औद्योगिक परिवेश के सृजन, व्यापक कौशल आधार का विकास सुनिश्चित करने, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी को सक्षम बनाएगा।
- यह भारतीय निजी क्षेत्रक और रक्षा मंत्रालय के मध्य लंबे समय से विद्यमान विश्वास अंतराल को समाप्त कर सकता है।
- यह खरीद प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाएगा क्योंकि विदेशी प्रतिभागियों पर निर्भरता के कारण खरीद में विलम्ब होता है और कई बार उनके द्वारा घटिया गुणवत्ता प्रदान की जाती है। साथ ही स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करने के संबंध में भी समस्याएं आती हैं।

VISION IAS

6.2. युद्धक भूमिका में महिलाएं

(Women in Combat Role)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **सैन्य पुलिस बल में अधिकारी पद से नीचे के कार्मिकों (Personnel Below Officer Rank: PBOR) में पहली बार** महिलाओं को भर्ती करने का निर्णय लिया है। महिलाओं को श्रेणीबद्ध रीति में भर्ती करते हुए अंततः कुल बल (Corps) के 20% तक शामिल करना है।

सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- वर्तमान में सेना में कुल कार्यबल का 3.80 प्रतिशत महिलाएं हैं। वायु सेना में 13.09 प्रतिशत और नौसेना में 6 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- वर्तमान में महिलाएं सेना के चिकित्सा, विधिक, शैक्षणिक, सिग्नल और इंजीनियरिंग विंग जैसे चयनित क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
- भारतीय वायु सेना भारत में एकमात्र सशस्त्र बल है जिसमें महिलाओं को युद्धक भूमिका प्रदान की गई है। इसमें लगभग पांच महिला फाइटर जेट पायलटों की भर्ती की गई है। वर्तमान में ये सभी प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों से गुजर रही हैं।
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना में महिलाओं की नाविकों के रूप में भर्ती करने का निर्णय लिया है।

युद्धक भूमिका में महिलाओं के पक्ष में तर्क

- **लैंगिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि:** यह विश्व के सर्वाधिक पुरुष वर्चस्ववादी संव्यवसायों में से एक में लैंगिक समता हेतु एक सुधारवादी कदम सिद्ध होगा। विश्व स्तर पर भी यह प्रवृत्ति प्रचलित है।
- **सैन्य तत्परता:** एक मिश्रित लैंगिक बल को अनुमति प्रदान करना सेना को सुदृढ़ करेगा। सभी स्वैच्छिक बल प्रतिधारण और भर्ती दरों में गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। सभी नौकरियों हेतु आवेदक पूल का विस्तार अधिक स्वैच्छिक भर्तियों को प्रत्याभूत करता है।
- **प्रभावशीलता:** महिलाओं पर व्यापक प्रतिबंध युद्ध क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाने के लिए सर्वाधिक सक्षम व्यक्ति के चयन की कमांडरों की क्षमता को सीमित करता है।
- **परंपरा:** युद्धक इकाइयों में महिलाओं के समेकन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। समय के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहते हैं और पुरुषवादी उपसंस्कृति में भी परिवर्तन हो सकता है। विगत सदी में अनेक पूर्ववर्ती पुरुषवादी संव्यवसाय महिलाओं हेतु सफलतापूर्वक खोले गए हैं।
- **सांस्कृतिक विभिन्नताएं और जनसांख्यिकी:** महिलाओं को सेवा में शामिल करने से संकटपूर्ण और संवेदनशील कार्यों (जिनके लिए आवश्यक अंतर्वैयक्तिक कौशल की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक सैनिक में नहीं होता) हेतु प्रतिभा पूल में वृद्धि होगी। एक व्यापक कार्मिक आधार अर्थात् महिलाओं की भागीदारी से सेनाओं को संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने हेतु सर्वोत्तम और अत्यधिक कूटनीतिक सैनिकों की उपलब्धता में सहायता प्राप्त होगी।
- **करियर में उन्नति:** सामान्यतया वरिष्ठ अधिकारी पद पर पदोन्नत होने के लिए युद्धक कर्तव्य को अनिवार्य माना जाता है, अतः महिला कार्मिकों को इस अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान न करना यह सुनिश्चित करता है कि बहुत कम महिलाएं सेना में उच्चतम पदों तक पंहुच पाएंगी।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी:** आधुनिक युद्ध का परिदृश्य अधिक परिष्कृत हथियारों के साथ परिवर्तित हो गया है। युद्ध के क्षेत्र के रूप में साइबर स्पेस के उद्भव और खुफिया जानकारी एकत्र करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। कठोर बल प्रयोग, जो कि प्रायः महिलाओं को शामिल न करने का एक कारण रहा है, वर्तमान में कम प्रासंगिक हो गया है।

युद्धक भूमिका में महिलाओं के विपक्ष में तर्क

- **सेना में स्थिति:** सेना में फील्ड परिस्थितियां अत्यधिक विषम हैं तथा लड़ाकों और शत्रु से निकटता के कारण अपेक्षाकृत अधिक कठिन चुनौतियां का करना सामना पड़ता है।
- **शारीरिक क्षमता:** परंपरागत रूप से महिलाओं को कुछ कार्यों के लिए शारीरिक रूप से अनुकूल नहीं माना जाता है। शारीरिक फिटनेस के मानकों को पुरुषों के अनुरूप निर्धारित किया गया है तथा महिलाओं को उन मानकों तक पहुंचने में अधिक प्रयास करना पड़ता है।

VISION IAS

- **सैन्य तत्परता:** गर्भावस्था जैसी कुछ परिस्थितियां उस दशा में किसी सैन्य टुकड़ी की तैनाती हेतु उपयुक्तता को प्रभावित कर सकती हैं जब उसमें महिलाओं की संख्या एक असंगत अनुपात में मौजूद हो अथवा उसमें आवश्यक संख्या से कम लोग मौजूद हों।
- **परंपरा:** पुरुष, विशेष रूप से वे जो सेना में नियोजित होते हैं, प्रायः पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को बनाए रखते हैं। एक उच्च पुरुषवादी सैन्य उपसंस्कृति में महिलाओं की उपस्थिति पर रोष और उत्पीड़न की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- **शत्रु द्वारा दुर्व्यवहार:** पुरुष और महिला, दोनों ही प्रकार के युद्ध बंदियों को यातना का सामना करना पड़ता है, इसलिए यातना एवं बलात्कार महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के संबंध में प्रश्न उठाते हैं।

देश की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर **निरपेक्ष तरीके से** विचार किया जाना चाहिए। इसलिए सैन्य सेवाओं में महिलाओं को शामिल करने की संपूर्ण अवधारणा को **समग्र और वस्तुनिष्ठ तरीके** से देखा जाना चाहिए, न कि तथाकथित 'पुरुष वर्चस्व के अंतिम क्षेत्र' में प्रवेश के प्रश्न के रूप में। इसलिए पुरुष और महिला, दोनों प्रकार के सैनिकों की निरंतर और **आवधिक प्रदर्शन ऑडिटिंग** के साथ, सैन्य सेवाओं में महिलाओं का **क्रमिक रूप से समेकन** किया जाना चाहिए। इससे भावी सेनाएं सर्व समावेशी होने के साथ अधिक सशक्त हो सकती हैं।

6.3. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना

(National Security Architecture in India)

विभिन्न संगठनों के कार्य

- **सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Security: CCS)**
  - यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर कार्यकारी कार्रवाई करने वाला एक सर्वोच्च निकाय है।
  - CCS नागरिकों के लोकतांत्रिक सिद्धांत और प्रणालियों (apparatus) पर राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय हेतु उत्तरदायी है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और CCS दोनों में उभयनिष्ठ सदस्य शामिल होते है, जिसके कारण निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। फलस्वरूप उसका कार्यान्वयन भी आसान हो जाता है।

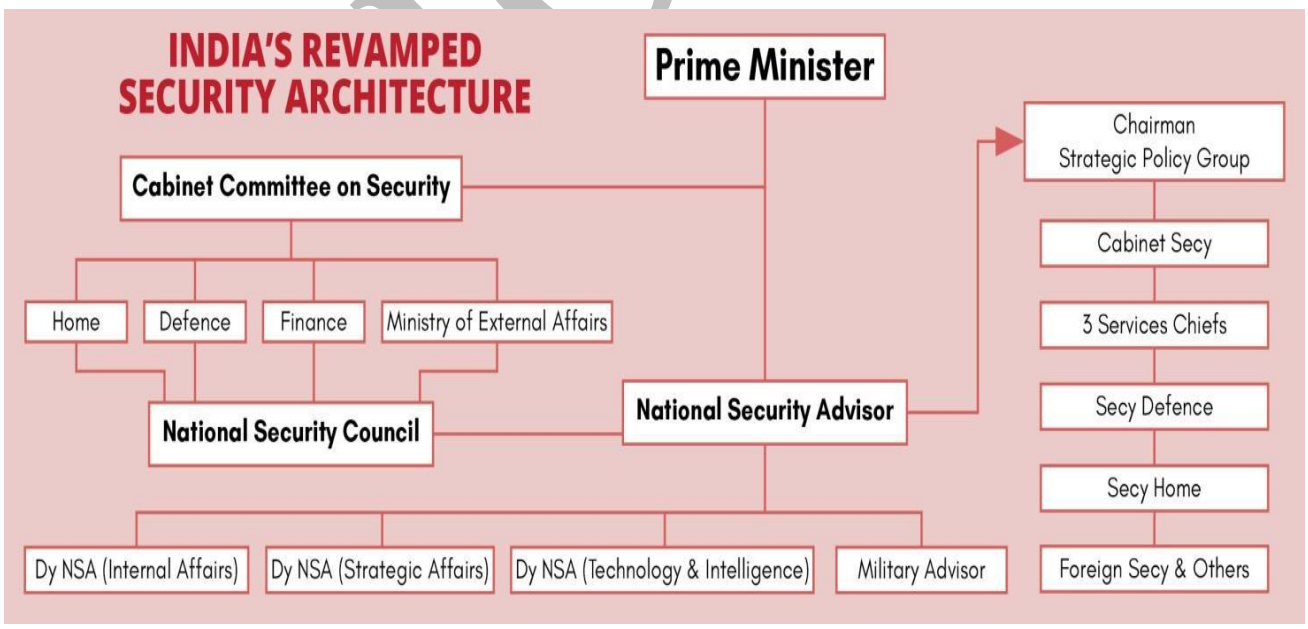

- **रणनीतिक नीति समूह (Strategic Policy Group: SPG)**
  - इसे NSC के विचाराधीन अल्पकालिक व दीर्घकालिक सुरक्षा खतरों और रक्षा मामलों के मसौदे को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
  - अंतर-मंत्रालयी समन्वय और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के निर्माण के दौरान प्रासंगिक सुझावों के एकीकरण के लिए SPG प्रमुख तंत्र होगा।

- SPG के निर्णयों के क्रियान्वयन के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय का कार्य कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाएगा।

- **रक्षा योजना समिति (Defence Planning Committee: DPC)**
  - सामान्य रूप से इसे भारत की रक्षा क्षमता एवं तैयारियों तथा सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करने हेतु नीतिगत उपायों की अनुशंसा करने का कार्य सौंपा गया है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संलग्नता रणनीति, रक्षा विनिर्माण परिवेश का निर्माण करने के लिए रोडमैप, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु रणनीति और प्राथमिकता क्षमता विकास योजनाओं के निर्माण में सहायता करना।

संरचना से संबंधित समस्याएँ

- **राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी दृष्टिकोण का न होना:** आदर्श रूप से, देश के पास राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक समग्र दस्तावेज होना चाहिए, जिसके माध्यम से विभिन्न एजेंसियों और सशस्त्र बलों के अंग उत्तरदायित्व प्राप्त कर सके तथा स्वयं से संबंधित एवं संयुक्त सिद्धांतों का निर्माण कर सके, जो तत्पश्चात सामरिक संलग्नता के लिए परिचालन संबंधित सिद्धांतों के रूप में परिलक्षित हो सके।
- **नियमित रूप से बैठकों का संचालन न होना:** यह अनुभव किया गया है कि NSC और CCS के सदस्य एक ही होने के बावजूद, NSC द्वारा शायद ही कभी बैठकों का आयोजन किया जाता है। यह देश के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को कमजोर बनाता है।
- **विधिक शक्ति और संसद के प्रति जवाबदेही का न होना:** सरकार के कार्य आवंटन नियमों के अनुसार NSA को कोई विधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है और यह संसद के प्रति जवाबदेह भी नहीं है।
- **समन्वय का अभाव:** सशस्त्र बलों और राजनीतिक वर्ग के मध्य बहुत ही कम वार्ताएं संपन्न होती हैं, और साथ ही सेना के विभिन्न अंगों के मध्य भी कम ही विमर्श होता है।
- **सशस्त्र बलों के कार्यों का राजनीतिकरण।**

आगे की राह

- **अधिक जवाबदेही और विधिक औपचारिकता:** राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर इसके कार्य को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है।
  - 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में **के. सी. पंत कार्य दल** ने NSA को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की अनुशंसा की थी।
- **NSC को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्रदान करना:** यदि NSC को अधिक उपयोगी बनाना है, तो NSC और रणनीतिक नीति समूह जैसे उसके अधीनस्थ संगठनों को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करना होगा।
- **व्यावसायिकता में वृद्धि करना:** भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) एवं भारतीय रक्षा लेखा सेवा (IDAS) संवर्ग को विशेषज्ञता प्रदान करना और अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता वाले एक विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्ग का निर्माण करना।
- **समन्वय केंद्र का निर्माण:** आतंकी गतिविधियों से संबंधित खुफिया सूचनाओं के प्रभावी संचालन के लिए एक समन्वय केंद्र का निर्माण करना। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसके लिए राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र (NCTC) की स्थापना की मांग की गई थी।
- **कार्यबल संबंधी नीति:** सरकार की कार्यबल नीति के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति:** भारत को व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विकसित करके सुरक्षा-प्रशासन के संबंध में द्विदलीय नीति विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में हुए हालिया सुधार

- केवल एकल के स्थान पर **तीन उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों** की नियुक्ति की गई है, वहीं सैन्य सलाहकार का पद पुनर्सृजित किया गया है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और रक्षा संसाधनों को एक साथ एकल निर्णयन व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए NSA की

VISION IAS

अध्यक्षता में **एक रक्षा योजना समिति (DPC)** का गठन किया गया है।

- हाल के महीनों में प्रमुख नियुक्तियों के साथ **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड** को पुनर्सृजित किया गया है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) की सहायता करने हेतु रणनीतिक नीति समूह (SPG) का गठन किया गया था। ज्ञातव्य है कि NSC को इसके अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नियुक्ति के साथ पुनर्गठित किया गया है।

6.3.1. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष

(Permanent Chairman of the Chiefs of Staff Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की तीनों सेनाओं ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष (Permanent Chairman of the Chiefs of Staff Committee: PCCoSC) की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की है।

भारत में वर्तमान संरचना

- चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) में सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख शामिल होते हैं।
- इसकी अध्यक्षता तीनों प्रमुखों में से **वरिष्ठतम** द्वारा सेवानिवृत्त होने तक **चक्रानुक्रम** के आधार पर की जाती है।
- यह एक ऐसा मंच है जहां तीनों सेना प्रमुख महत्वपूर्ण सैन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
- यह रक्षा मंत्री को परामर्श प्रदान करती है। रक्षा मंत्री के माध्यम से ही सेना से संबंधित सभी मामलों का **राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति** द्वारा आगे पर्यवेक्षण किया जाता है।

PCCoSC के बारे में

- इसका नेतृत्व **फ़ोर स्टार रैंक के सैन्य अधिकारी** द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। वह सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों के समकक्ष होगा।
- वह सैनिकों के प्रशिक्षण, हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण और सेवाओं के संयुक्त संचालन जैसे **सेनाओं के संयुक्त मामलों पर ध्यान केन्द्रित** करेगा।
- वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में **त्रि-सेवा कमान का प्रभारी** भी होगा।
- इस पद को **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** के रूप में भी संदर्भित किया गया है।
- वह **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता** करेगा।
- के. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली **कारगिल समीक्षा समिति** और वर्ष 2011 में गठित **नरेश चंद्र समिति** जैसी विभिन्न समितियों ने स्थायी अध्यक्ष की अनुशंसा की थी।

PCCoSC के पक्ष में तर्क

- **बेहतर समन्वय:** यह परियोजनाओं और संसाधन साझाकरण में एकीकरण से सैन्य कमान की संयुक्तता में सुधार करेगा। उदाहरण के लिए, वर्ष 1962 और 1965 के दौरान सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को परस्पर समन्वय स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
- **एकीकृत मत:** PCCoSC की परिकल्पना सरकार के लिए एक-सूत्री सैन्य सलाहकार के रूप में की गई है।
- **बेहतर रक्षा अधिग्रहण:** यह समय और लागत की अधिकता को समाप्त कर रक्षा अधिग्रहण में सशस्त्र बलों की क्षमता में भी सुधार करेगा।
- **युद्ध के दौरान त्वरित निर्णय-निर्माण:** प्रायः युद्ध के दौरान एक कठिन निर्णय केवल विशेष रूप से चयनित रक्षा प्रमुख द्वारा ही लिया जा सकता है न कि CoSC जैसी समिति द्वारा जो 'लीस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर' के सिद्धांत पर कार्य करती है।

PCCoSC की स्थापना से संबंधित चुनौतियां

- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा:** यह आशंका है कि रक्षा सेवाएं अधिक शक्तिशाली हो जाएँगी। इससे यह सेना पर सिविल नियंत्रण को समाप्त कर सैन्य तख्तापलट की संभावनाएं भी उत्पन्न कर सकती हैं।

VISION IAS

- **वर्तमान स्थिति (Status Quo):** चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) की वर्तमान व्यवस्था ने हमें वर्षों से बेहतर सेवाएं प्रदान की हैं, इसलिए "अनावश्यक परिवर्तन" का प्रतिरोध किया जा रहा है।
- **सशस्त्र बलों के भीतर प्रतिरोध:**
  - यह कहा जाता है कि वर्षों से सेना प्रमुखों के मध्य यह धारणा रही है कि यदि CDS नियुक्त किया जाता है तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी।
  - सेना की लघु सेवाओं, विशेषकर वायु सेना में यह भावना रही है कि रक्षा नीति निर्माण में थल सेना का प्रभुत्व है। कुछ लोगों को भय है कि CDS के कारण वर्ष 1947 से पूर्व की स्थिति के समान स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस समय थल सेना सर्वाधिक प्रभुत्वपूर्ण सेवा होती थी।
- **नौकरशाही के भीतर प्रतिरोध:** यह माना जा रहा है कि सिविल नौकरशाही द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि इससे उच्च रक्षा व्यवस्था पर उनका नियंत्रण कम हो जाएगा।
- **औपचारिक पद:** एक चिंता यह भी है कि यह पद बिना किसी स्पष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व के मात्र एक औपचारिक पद बन सकता है।

6.4. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

(Central Armed Police Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा गठित पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कार्य स्थितियों** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

सीमा रक्षक बल	गैर-सीमा रक्षक बल
असम राइफल्स: यह भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र की रक्षा करता है।	**केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force: CISF):** यह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है।
सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force: BSF): यह भारत-पाकिस्तान एवं भारत-बांग्लादेश की रक्षा करता है।	**केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force: CRPF):** यह आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किया जाता है।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (Indo-Tibetan Border Police: ITBP): यह भारत-चीन सीमा की रक्षा करता है।	**राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard: NSG):** इसे आतंकवाद-रोधी गतिविधियों में तैनात किया जाता है।
सशस्त्र सीमा बल (SSB): यह भारत-भूटान एवं भारत-नेपाल सीमा की रक्षा करता है।	

रिपोर्ट द्वारा पहचान किए गए मुद्दे:

- **सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण:** शीर्ष पदानुक्रम के उच्च पदों पर मुख्य रूप से प्रतिनियुक्तियां (IPS अधिकारियों की) की जाती हैं। ऐसे अफसर अधिकांशतः कैडर अधिकारियों के कल्याण हेतु पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहते हैं।

VISION IAS

- **अत्यधिक रिक्तियां तथा पदोन्नति की संभावनाओं का अभाव:** CAPFs के सभी कैडरों में गंभीर निष्क्रियता विद्यमान है, जो बलों के मनोबल एवं दक्षता को प्रभावित करती है तथा भावी जटिलताओं सम्बन्धी दूरदर्शिता, योजना तथा अग्र-सक्रिय अनुमानों के अभाव को प्रतिबिंबित करती है।
- **एक सुदृढ़ आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का अभाव**, इसने वर्ष 2017 में BSF के एक सैनिक को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया था।
- **राज्य पुलिस एवं CAPF नेतृत्व के मध्य अप्रभावी समन्वय:** राज्य कानून एवं व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए CRPF पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। प्रशिक्षण कंपनियों की निरंतर तैनाती CRPF की परिचालन क्षमता को प्रभावित करती है, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण एवं विश्राम से भी वंचित करती है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना: बॉर्डर आउट पोस्ट्स (BOPs)** के विभिन्न स्थलों पर **विद्युत का अभाव**, कर्मियों की कार्य परिस्थितियों के साथ-साथ CAPF के परिचालन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
    - पूर्व पुलिस महानिदेशक ई. एन. राममोहन द्वारा अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा की घटना (जिसमें CRPF के 76 जवान माओवादी हमले में शहीद हो गए थे) की जांच में पाया गया कि CRPF के कैंप में आधारभूत सुविधाओं का अभाव था। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था उचित नहीं थी एवं जवानों के ठहरने अथवा रहने हेतु उचित प्रबंध नहीं थे।
    - ये परिस्थितियाँ सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के मनोबल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं तथा उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करती हैं। यहीं कारण है कि कई जवान आत्महत्या कर लेते हैं या अपने सहयोगियों को गोली मार देते हैं।
- **सड़क संपर्क और गतिशीलता:** सड़क परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब होता है, जो कर्मियों की गतिशीलता को प्रभावित करता है। इसके मुख्य कारणों में- वन / वन्यजीवों सम्बन्धी अर्थात् पर्यावरणीय स्वीकृति, कठोर चट्टानों का विस्तार, सीमित कार्यशील मौसम, निर्माण सामग्री की उपलब्धता में विद्यमान कठिनाई इत्यादि सम्मिलित हैं।
- **आयुध और गोला-बारूद का अभाव:** युद्ध हेतु तैयार उपकरणों की खरीद में अत्यधिक विलंब तथा अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, विशेषकर तब जब कर्मियों को युद्धक परिवेश में तैनात किया गया हो।

अनुशंसाएं

- **IPS वर्चस्व को समाप्त करना:** CRPF की कार्य पद्धति भी सशस्त्र बलों के समान है तथा प्रतिनियुक्ति के रूप में सशस्त्र बलों से अधिक अधिकारियों को नियुक्त करना वांछनीय हो जाता है।
    - हालांकि गृह मंत्रालय (MHA) ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक CAPF में IPS अधिकारियों की उपस्थिति विभिन्न CAPFs एवं राज्य के मध्य अंतर-विभागीय समन्वय में वृद्धि करेगी, अतः IPS अधिकारी CAPFs का अधिक प्रभावी, कुशल व निष्पक्ष नेतृत्व करने तथा पर्यवेक्षी निर्देशन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं।
- **बल के आधुनिकीकरण** को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इन बलों द्वारा न केवल सीमा-पार से आने वाले शत्रुओं बल्कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है।
- ***वन-साइज़ फ़िट्स ऑल अप्रोच* के स्थान पर समस्या विशिष्ट काउंटर प्लान:**
    - **जम्मू एवं कश्मीर के लिए:** गृह मंत्रालय को एक बहु-आयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जो युवाओं को उग्रवाद में शामिल होने से रोक सके, आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगा सके, साथ ही आतंकवाद-रोधी अभियान आरंभ कर सके।
    - **वामपंथी क्षेत्र के लिए:** गृह मंत्रालय को माइन-प्रतिरोधी वाहनों की खरीद के लिए प्रयास करना चाहिए। यह 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत आयात या घरेलू विनिर्माण के माध्यम से किया जा सकता है।

VISION IAS

- इन बलों की **कैडर समीक्षा त्वरित रूप से की जानी चाहिए**, क्योंकि यह उनकी संगठनात्मक संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा समयबद्ध तरीके से परियोजना की पूर्ति को सुनिश्चित करती है।
- **समर्पित अनुसंधान एवं विकास (R&D) विंग की स्थापना:** इसके द्वारा अनुशंसा की गई है कि CRPF द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट मुद्दों, जैसे कि वृहत आकार और तैनाती के क्षेत्रों इत्यादि, को देखते हुए इसकी स्वयं की एक समर्पित R&D इकाई का गठन किया जा सकता है ताकि CRPF से संबंधित मुद्दों जैसे कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (IED) और वाहनों को बुलेट प्रूफ बनाने आदि से सम्बंधित मुद्दों का समाधान खोजा जा सके।

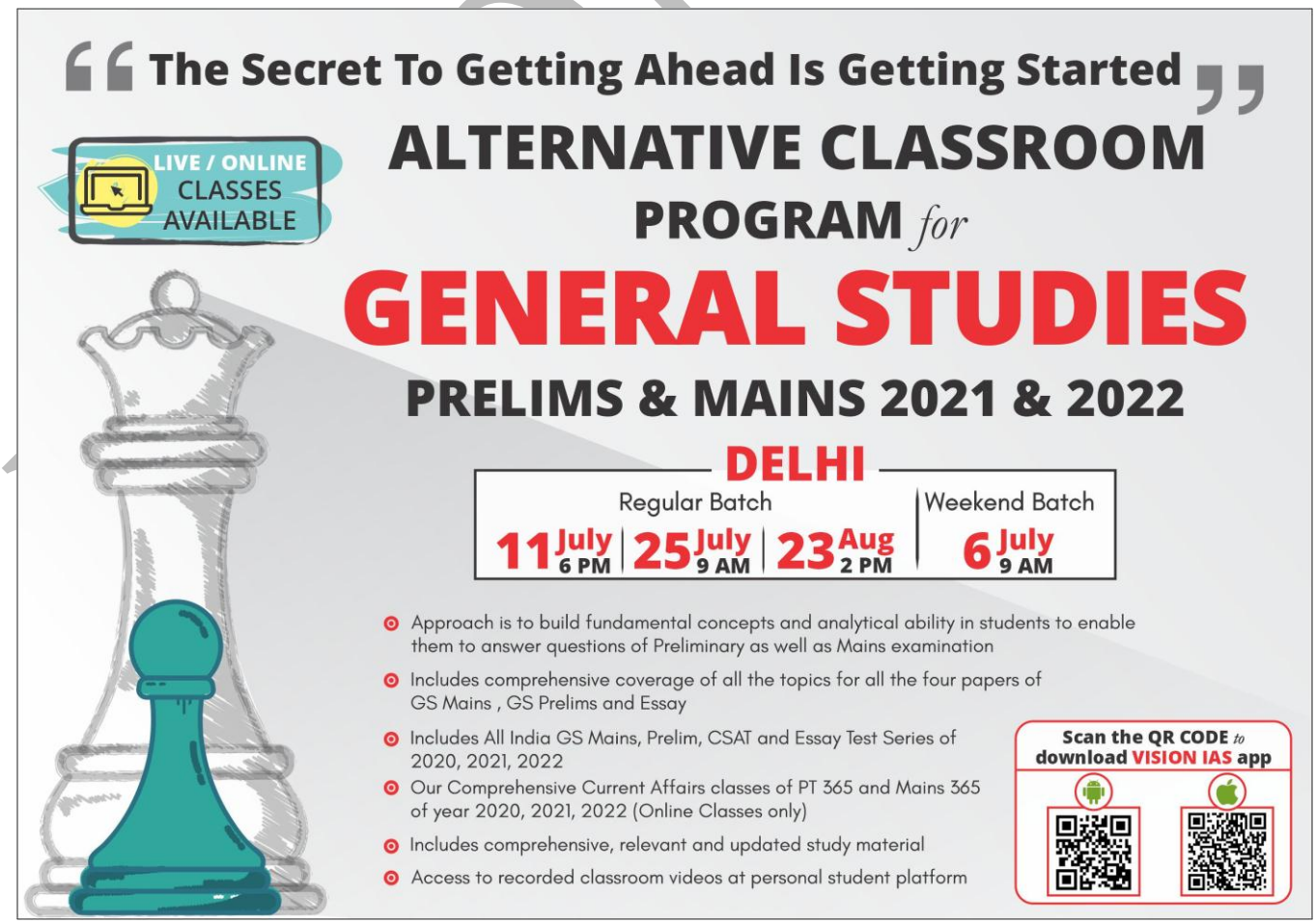

7. विविध (Miscellaneous)

7.1. जलवायु परिवर्तन- एक सुरक्षा मुद्दा

(Climate Change- A Security Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में **जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित** करने की बढ़ती मांग पर प्रश्नचिन्ह उठाया।

संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर का अनुच्छेद 39

सुरक्षा परिषद शांति, शांति का उल्लंघन या आक्रामक कृत्यों के किसी भी खतरे के अस्तित्व का निर्धारण करेगी और अनुशंसाएँ करेगी, अथवा यह तय करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि

- कई विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन को **वार्मिंग वार** के रूप में घोषित किया, जिसके लिए UN चार्टर के **अनुच्छेद 39** के तहत इसके अधिदेश के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **वार्मिंग वार** एक रूपक (शीत युद्ध की तरह) है जो यह बताता है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार ऐसे विवादों के चालक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके प्रभाव संचित होते जाते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जीवन की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं।

जलवायु परिवर्तन एक सुरक्षा मुद्दा क्यों है?

- भोजन, जल और ऊर्जा की मांग बढ़ने के कारण **पृथ्वी के सीमित संसाधनों** पर दबाव बढ़ गया है। विस्तृत बेरोजगारी, तीव्र शहरीकरण और पर्यावरणीय निम्नीकरण अस्थिरता तथा विवादों को बढ़ाते हुए निरंतर असमानता, राजनीतिक सीमान्तीकरण और गैर-प्रतिक्रियात्मक सरकारों का कारण बन सकते हैं।
- उपर्युक्त संदर्भ में **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** ने सात कारकों की पहचान की है जिनमें जलवायु परिवर्तन देशों और समाज की सुरक्षा तथा शांति के लिए खतरों के गुणक के रूप में कार्य करता है।
  - **स्थानीय संसाधन प्रतिस्पर्धा**: जैसे-जैसे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा, अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है और यहाँ तक कि उचित विवाद समाधान की अनुपस्थिति में विवाद को हिंसक बना सकती है।
  - **आजीविका असुरक्षा और प्रवास**
    - **जलवायु परिवर्तन उन किसानों की असुरक्षा** को बढ़ा देगा जो आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। यह उन्हें प्रवासन के लिए मजबूर करेगा तथा आय के अनौपचारिक और अवैध स्रोतों को अपनाने हेतु विवश कर सकता है।
    - **विश्व बैंक के 2050 तक के आंकलनों के अनुसार** दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लगभग 140 मिलियन लोग अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होंगे।
  - **चरम मौसमी घटनाएँ और आपदाएँ:** आपदाएँ संवेदनशील स्थिति में वृद्धि कर सकती हैं और विशेष रूप से संघर्षों से प्रभावित देशों में लोगों की सुभेद्यता और शिकायतों को बढ़ा सकती हैं।
  - **अस्थिर खाद्य कीमतें**
    - जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न होने, कीमतों में वृद्धि होने एवं बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना है। इससे हिंसा, दंगों और नागरिक संघर्षों के जोखिमों में वृद्धि होगी।
    - IPCC के आंकलन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2080 तक 770 मिलियन लोग अल्पपोषित होंगे।

VISION IAS

- **सीमापारीय जल प्रबंधन**
  - यह तनाव की उत्पत्ति का एक सामान्य स्रोत है। जैसे-जैसे मांग में वृद्धि होगी तथा जलवायु प्रभाव उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, जल के उपयोग पर प्रतिस्पर्धा से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ने की संभावना में वृद्धि होगी।
  - हाल ही में जारी हिंदुकुश-हिमालयन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान उत्सर्जन स्तर के साथ इस क्षेत्र के दो-तिहाई ग्लेशियर वर्ष 2100 तक ख़त्म हो जाएंगे और 2 बिलियन लोगों के लिए जल संकट उत्पन्न हो जाएगा।
- **समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय क्षरण**
  - समुद्र का जलस्तर बढ़ने से निम्नवर्ती क्षेत्रों की व्यवहार्यता उनके जलमग्न होने से पहले ही खतरे में पड़ जाएगी, जिससे सामाजिक विघटन, विस्थापन और प्रवासन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, समुद्री सीमाओं और समुद्र के संसाधनों पर असहमति बढ़ सकती है।
  - IPCC की 5वीं आंकलन रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के स्तर में वर्ष 2100 तक 52-98 सेमी तक की वृद्धि हो सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन के अनभिप्रेत प्रभाव**: जैसे-जैसे जलवायु अनुकूलन और शमन नीतियां अधिक व्यापक रूप से कार्यान्वित होंगी, अनभिप्रेत नकारात्मक प्रभावों के जोखिमों में (विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में) भी वृद्धि होगी। निम्न संस्थागत क्षमता और शासन वाले देशों में यह **राजनीतिक दबाव को अत्यधिक बढ़ावा** दे सकता है और **अंततः गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न** हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के हस्तक्षेप के समर्थन का कारण

- यदि UNSC ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को एक अंतर्राष्ट्रीय खतरे के रूप में घोषित किया तो **सैन्य और असैन्य प्रतिबंधों का आह्वान** किया जा सकता है।
- राष्ट्रों द्वारा पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त न करने की दशा में परिषद के पास प्रतिबंधों का विकल्प उपलब्ध होगा। वर्तमान में अपेक्षाकृत सीमित अंतर्राष्ट्रीय संवीक्षा के साथ संचालित होने वाले निगमों पर भी **आर्थिक प्रतिबंध** लगाए जा सकते हैं।
- इस तरह की घोषणा के समर्थक जलवायु समझौतों (UNFCCC के तहत) की धीमी और अप्रभावी प्रगति का हवाला देते हैं और **2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान वृद्धि को रोकने** हेतु ग्रीन हॉउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। यह जलवायु समझौतों के संदर्भ में दबाव उत्पन्न करेगा।
- इन उपायों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जलवायु प्रेरित संकट वाले क्षेत्रों के आस-पास **पीसकीपिंग फोर्सेज की तैनाती और बढ़ी हुए मानवीय सहायता को** सम्मिलित किया जा सकेगा।

भारत विरोध क्यों कर रहा है?

- **क्षेत्राधिकार का विस्तार:** भारत, सुरक्षा परिषद द्वारा UN के चार्टर को पुनर्परिभाषित करने और इसके अधिकार क्षेत्र को विस्तारित करने का विरोध करता है, क्योंकि यह अपने मूल अधिदेश को भी पूरा करने में विफल रहा है।
- **UNSC की विशिष्ट प्रकृति:** जलवायु न्याय **UNFCCC जैसी समावेशी संस्था** द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। समावेशन का यह गुण UNSC जैसे अपवर्जनात्मक और अपारदर्शी निकाय में मौजूद नहीं है।
- **समस्या की जटिल प्रकृति:** जलवायु परिवर्तन एक बहुआयामी मुद्दा है जिसमें न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, जननांकीय और मानवीय कारक सम्मिलित हैं। UNSC के पास किसी समस्या को देखते समय मुख्य रूप से एक राजनीतिक अधिदेश के साथ संकीर्ण दृष्टिकोण होता है।
- **UNSC का पिछला रिकॉर्ड:** ऐतिहासिक रूप से UNSC का आचरण इसके सदस्य देशों के स्वयं के भू-राजनीतिक हित में पक्षपात पूर्ण रहा है। इसने एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और इसके निर्णयों में एकरूपता का अभाव है। एक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की मांग करने वाला जलवायु न्याय (उदाहरण के लिए सामान्य किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत) UNSC के दायरे में जोखिम में पड़ सकता है।
- UNSC **देशों की संप्रभुता और स्व-निर्धारण के अधिकार को भी कमजोर** करती है।

VISION IAS

7.2. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण

(Weaponization of Space)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका ने एक नए अमेरिकी **"अंतरिक्ष बल"** के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव ने अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण पर वाद-विवाद उत्पन्न कर दिया है।

अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के बारे में

- इसमें **बाह्य अंतरिक्ष में या खगोलीय पिंडों पर शस्त्रों को तैनात करने के साथ-साथ ऐसे शस्त्रों का निर्माण करना शामिल है जिन्हें बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया जा सकता है** या अंतरिक्ष में स्थित लक्ष्य पर हमला करने या उन्हें नष्ट करने हेतु पृथ्वी से आसानी से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
    - **उदाहरण:** इसके अंतर्गत शत्रु के उपग्रहों पर हमला करने के उद्देश्य से कक्षीय या उप-कक्षीय उपग्रहों की तैनाती करना, अंतरिक्ष स्थित उपकरणों पर हमला करने के लिए स्थल आधारित मिसाइलों का प्रत्यक्ष रूप से प्रक्षेपण करना, शत्रु उपग्रहों से भेजे गए सिग्नलों को बाधित करना, पृथ्वी स्थित लक्ष्यों पर उपग्रह आधारित हमलें करना इत्यादि सम्मिलित हैं।
- अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण, **अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से भिन्न** है। ज्ञातव्य है कि अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के अंतर्गत C4ISR {कमान (कमांड), नियंत्रण (कंट्रोल), संचार (कम्युनिकेशन्स), कंप्यूटर, आसूचना (इंटेलिजेंस), निगरानी (सर्विलेंस) और आवीक्षण (रीकानिसन्स)} के लिए अंतरिक्ष-आधारित उपकरणों का उपयोग करना सम्मिलित है।
    - अंतरिक्ष का सैन्यीकरण पारंपरिक युद्ध के मैदान पर सेनाओं की सहायता करता है। वहीं अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के माध्यम से, **बाह्य अंतरिक्ष** स्वयं ही युद्ध का मैदान बन जाता है। इसे कभी-कभी **"युद्ध के चौथे मोर्चे"** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण संबंधी विकास परियोजनाओं में वृद्धि हो रही है। इनका उद्देश्य एक देश द्वारा **बाह्य अंतरिक्ष में किसी अन्य देश पर सैन्य प्रभुत्व स्थापित करना** है।

बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty)

- बाह्य अंतरिक्ष संधि, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों का आधार निर्मित करती है। औपचारिक रूप से इसे चंद्रमा व अन्य आकाशीय पिंडों सहित **बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित संधि** कहा जाता है।
- इसे 1963 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 1967 में लागू किया गया था।
- **भारत** इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत द्वारा इसकी अभिपुष्टि 1982 में की गयी थी। यह संधि, बाह्य अंतरिक्ष में केवल अत्यधिक विनाशक हथियारों के नियोजन को प्रतिबंधित करती है, न कि सामान्य हथियारों को।
- संधि यह प्रावधान करती है कि बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग सभी देशों के लाभ हेतु और उनके हित में किया जाएगा तथा यह संपूर्ण मानव जाति का कार्यक्षेत्र होगा।

बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की रोकथाम (Prevention of an Arms Race in Outer Space: PAROS)

- यह संयुक्त राष्ट्र का एक संकल्प है जो बाह्य अंतरिक्ष संधि-1967 के मूलभूत सिद्धांतों की पुनर्पुष्टि करता है और **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण पर प्रतिबंधों का समर्थन करता है।**
- वर्तमान में इस पर **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD)** में चर्चा की जा रही है।
- अभी तक, शामिल पक्षकारों द्वारा विभिन्न मुद्दों और संभावित समाधानों पर चर्चा की गयी है। कुछ पक्षकारों, जैसे- **रूस और वेनेजुएला** द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि उनके द्वारा पहले बाह्य अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के हथियार को नियोजित नहीं किया जाएगा।
- यह किसी भी राष्ट्र को बाह्य अंतरिक्ष में सैन्य लाभ प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है।

अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के निहितार्थ

- **एक नए मोर्चे की शुरुआत:** जैसे-जैसे शक्तिशाली देशों द्वारा अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण किया जायेगा, वैसे ही अन्य देश भी इस दौड़ में शामिल होते जाएंगे। परिणामतः वैश्विक शक्ति संतुलन में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा।
  - बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के लिए होने वाली भावी शस्त्रों की दौड़ राष्ट्रों के मध्य अनिश्चितता, संदेह, प्रतिस्पर्धा और आक्रामक परिनियोजन के परिवेश का निर्माण कर सकता है।, परिणामस्वरूप युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकता है।
- **अंतरिक्ष में अन्य परियोजनाओं को हानि पहुंचाना:** यह वाणिज्यिक उपग्रहों की पूरी श्रृंखला के साथ-साथ वैज्ञानिक अन्वेषणों में संलग्न उपग्रहों को जोखिम में डाल देगा।
- **अंतरिक्ष में मलबे की समस्याएं: 'मिड-कोर्स मिसाइल डिफेंस' प्रणाली** (जिसमें बाह्य अंतरिक्ष में मिसाइलों को नष्ट किया जाता है), अत्यंत गंभीर खतरे की स्थिति उत्पन्न करती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में मलबे का निर्माण होगा। इस मलबे (इंटरसेप्टर) में वृद्धि के परिणामस्वरूप परस्पर टकराव की घटनाए भी बढ़ेंगी।
- **रेडियो आवृत्ति (रेडियो फ्रिक्वेंसी) और कक्षीय पथ (ऑर्बिटल स्लॉट्स) पर अधिकार करना:** चूंकि वर्ष-दर-वर्ष अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण वैज्ञानिक और वाणिज्यिक परिचालन में वृद्धि हो रही है, इसलिए रेडियो आवृत्ति पर उनकी निर्भरता और विशेष रूप से भू-तुल्यकालिक कक्षा में कक्षीय पथ के लिए इनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो रही है। कुछ देश किसी कक्षीय पथ पर अधिकार कर सकते हैं और सीमित संख्या में विद्यमान कक्षीय पथ पर एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं।

आगे की राह

- **बहुपक्षीय संधि की आवश्यकता:** हथियारों की दौड़ को रोकने हेतु इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को लेकर चिंतित हैं।
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967:** संयुक्त राष्ट्र, बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के प्रयासों को बेहतर और सुविधाजनक बनाने हेतु प्रयासरत है। UN द्वारा ये प्रयास बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए विभिन्न समितियों और देशों के मध्य पारदर्शिता और विश्वास-बहाली के उपायों से संबंधित प्रस्ताव के साथ-साथ "बाह्य अंतरिक्ष संधि-1967" के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से किया जा रहा है।
- **सूचना साझाकरण:** अंतरिक्ष में पहले से विद्यमान अंतरिक्ष वस्तुओं (स्पेस ऑब्जेक्ट्स) की स्थिति और उनके उद्देश्यों से संबंधित समझ विकसित करने हेतु, विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समक्ष वैध सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। तत्पश्चात इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त डेटा को व्यवस्थित किया जायेगा और अंतरिक्ष की स्थिति से संबंधित समग्र सूचना की खुली पहुँच (ओपन-सोर्स) प्रदान की जा सकती है।
- **अंतरिक्ष में शस्त्रों की तैनाती और परीक्षण पर प्रतिबंध।**

7.2.1. मिशन शक्ति

(Mission Shakti)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत ने अपनी पहली **उपग्रह-रोधी (एंटी-सैटेलाइट: ASAT) मिसाइल** का परीक्षण किया। **मिशन शक्ति** के भाग के रूप में यह परीक्षण वस्तुतः भारत द्वारा कुछ माह पूर्व प्रक्षेपित अपने एक "कार्यशील" उपग्रह के विरुद्ध किया गया।

पृष्ठभूमि

- उपग्रह-रोधी आयुध एक ऐसा आयुध होता है जो सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए किसी उपग्रह को नष्ट या भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त या निष्क्रिय कर देता है। अभी तक यह क्षमता केवल **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस** और **चीन के पास थी, लेकिन अब भारत** ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।

VISION IAS

इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम

- यह **बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से भारत की रक्षा करने के लिए एक बहुस्तरीय** बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने और उसे तैनात करने संबंधी पहल है।
- इसमें दो व्यापक रूप से परिभाषित लक्ष्य स्तर - **एंडो एटमोस्फियरिक (अंतःवायुमंडलीय)** और **एक्सो एटमोस्फियरिक (बाह्य वायुमंडलीय)** शामिल हैं।
- मिशन शक्ति एक्सो एटमोस्फियरिक श्रेणी से संबंधित है।

- **मिशन शक्ति** भविष्य में अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण की संभावित स्थिति के प्रति भारत की अनुक्रिया है। शत्रु राष्ट्र, अंतरिक्ष में हमारी **महत्वपूर्ण अवसंरचना को क्षति पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष युद्ध** में संलिप्त हो सकते हैं।
- इसमें DRDO के **बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर** का उपयोग किया गया था, जो वर्तमान में चल रहे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का भाग है।

ऐसे मिशन की आवश्यकता

- भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वस्तुतः भारत की सुरक्षा व आर्थिक सामाजिक अवसंरचना का आधार है। ASAT का परीक्षण यह प्रमाणित करने के लिए किया गया था कि भारत अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने में सक्षम है।
- उपग्रह-रोधी मिसाइल परीक्षण के माध्यम से प्राप्त यह क्षमता लंबी दूरी की मिसाइलों से हमारी बढ़ती अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों के प्रति खतरों तथा साथ ही मिसाइलों के प्रकारों एवं संख्याओं में प्रसार के संदर्भ में विश्वसनीय प्रतिरोध प्रदान करती है।
- ASAT **अंतरिक्ष सैन्य रणनीति** का एक भाग है।
    - इसके लिए भूमि-स्थित रडार, ऑप्टिकल टेलीस्कोप और उपग्रहों के एक समूह का प्रयोग करते हुए अंतरिक्ष स्थिति जागरुकता (Space Situational Awareness: SSA) हासिल करने की आवश्यकता होगी।
    - रणनीतिक संरचना के लिए अंतरिक्ष-आधारित C4ISR (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, और रिकॉनेसेंस), उपग्रह-रोधी (ASAT) क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) क्षमता की भी आवश्यकता होगी।

मिशन शक्ति का महत्व

- **विशिष्ट वर्ग (elite group) में भारत का प्रवेश:** भारत ऐसी विशिष्ट और आधुनिक क्षमता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। ASAT के परीक्षण को भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों की भांति ही नई ऊंचाईयों को प्राप्त करने के रूप में देखा जा रहा है।
- **समग्र रूप से स्वदेशी प्रयास:** इसे DRDO के भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भारत की साख में वृद्धि करता है। ध्यातव्य है कि कई दशकों तक भारत को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने से वंचित रखा गया जिससे देश को स्वदेशी स्तर पर अंतरिक्ष और परमाणु क्षमताएं विकसित करनी पड़ीं।
- **अंतरिक्ष मलबे संबंधी समस्याओं का निवारण:** DRDO ने कहा है कि भारत के ASAT के समस्त मलबे का अपक्षय मात्र 45 दिनों में हो जाएगा।

- **विश्वसनीय प्रतिरोध का विकास:** उपग्रह-रोधी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर केन्द्रित भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करती है और ये प्रयास केवल पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न चुनौतियों तक सीमित नहीं हैं बल्कि उससे परे हैं। **ASAT** का उपयोग शत्रु देशों के संचार या सैन्य उपग्रहों को इंटरसेप्ट करने एवं उन्हें ठप करने तथा उपग्रहों को उनके सैनिकों से संचार स्थापित करने से रोकने हेतु किया जा सकता है।
- **किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू होने से पूर्व परीक्षण:** चूँकि संयुक्त राष्ट्र महासभा बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की रोकथाम (PAROS) पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधिक रूप से बाध्यकारी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत अन्य प्रयासों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में आयुध प्रतिस्पर्धा की रोकथाम भी सम्मिलित होगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश द्वारा आलोचना नहीं की गयी:** प्रमुख देशों द्वारा इस कदम की गंभीर आलोचना किए बिना, केवल प्रतीकात्मक चिंता व्यक्त की गयी। इसके विपरीत, **2007** में जब चीन ने अपने एक ऐसे ही परीक्षण द्वारा एक उपग्रह को नष्ट किया तो उसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा था। चीन के इस कदम द्वारा बाह्य अंतरिक्ष संधि के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था। भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं है।
- **अन्य रणनीतिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:** उदाहरण के लिए **MTCR** (मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था) या अन्य ऐसी संधियों में भारत की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्या भारत बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ में प्रवेश कर रहा है?

भारत द्वारा 'मिशन शक्ति' के एक भाग के रूप में प्रथम एंटी-सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च करना बाह्य अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण पर भारत के रवैये पर प्रश्न चिन्ह उठाता है।

- भारत का बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ में प्रवेश करने का कोई प्रयोजन नहीं है। भारत द्वारा सदैव यह वर्णित किया गया है कि अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। भारत बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के विरुद्ध है और अंतरिक्ष में स्थापित परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है।
- भारत बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित **सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों** में शामिल है।
- भारत द्वारा अनेक **पारदर्शिता और विश्वास निर्माण उपायों (TCBM) का** कार्यान्वयन किया गया है। इनमें सम्मिलित हैं:
  - संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर में अंतरिक्ष में स्थापित ऑब्जेक्ट्स का पंजीकरण करना,
  - प्रक्षेपणपूर्व अधिसूचनाएँ,
  - संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष शमन दिशा-निर्देशों के अनुकूल उपाय,
  - अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन के संबंध में **इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोआर्डिनेशन (IADC)** गतिविधियों में भागीदारी,
  - SOPA **(स्पेस ऑब्जेक्ट प्रोक्सिमिटी अवेयरनेस)** एवं COLA **(कॉलिजन एवॉइडेन्स एनालिसिस)** आदि प्रारंभ करना।
- भारत ने **नो फर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ़ वेपन्स** पर **UNGA प्रस्ताव 69/32** का भी समर्थन किया है।
- भारत, **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (कांफ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट)** में **PAROS** पर सारभूत पुनर्विचार करने का समर्थन करता रहा है, यह विषय वर्ष 1982 से ही इस सम्मेलन के एजेंडे में शामिल रहा है।
- भारत भविष्य में बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की रोकथाम पर **अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रारूपण** में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने की अपेक्षा करता है। इसके अंतर्गत अन्य पहलुओं के साथ-साथ प्रमाणित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष यात्रा संचालित करने वाला एक प्रमुख राष्ट्र होने की अपनी क्षमता के आधार पर बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों के नियोजन को प्रतिबंधित करना भी शामिल है।

VISION IAS

आगे की राह

- भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं न तो किसी देश के लिए संकट उत्पन्न करती हैं और न ही ये किसी के विरुद्ध निर्देशित हैं। तथापि, सरकार देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले खतरों के प्रति सतर्क है।
- साथ ही साथ, विश्व को निम्नलिखित के माध्यम से अंतरिक्ष के किसी भी प्रकार के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र का विकास करना चाहिए-
    - सभी के हितों की रक्षा करने के लिए सभी देशों द्वारा कठोर "नो स्पेस वेपनाइजेशन" नीति तैयार करने और इसका पालन किये जाने की आवश्यकता है।
    - उल्लंघनकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
    - उपग्रह आधारित सैन्य सहायता हेतु नियम निर्मित किए जाने चाहिए।
    - संयुक्त राष्ट्र की बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग संबंधी प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण जैसे मुद्दों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

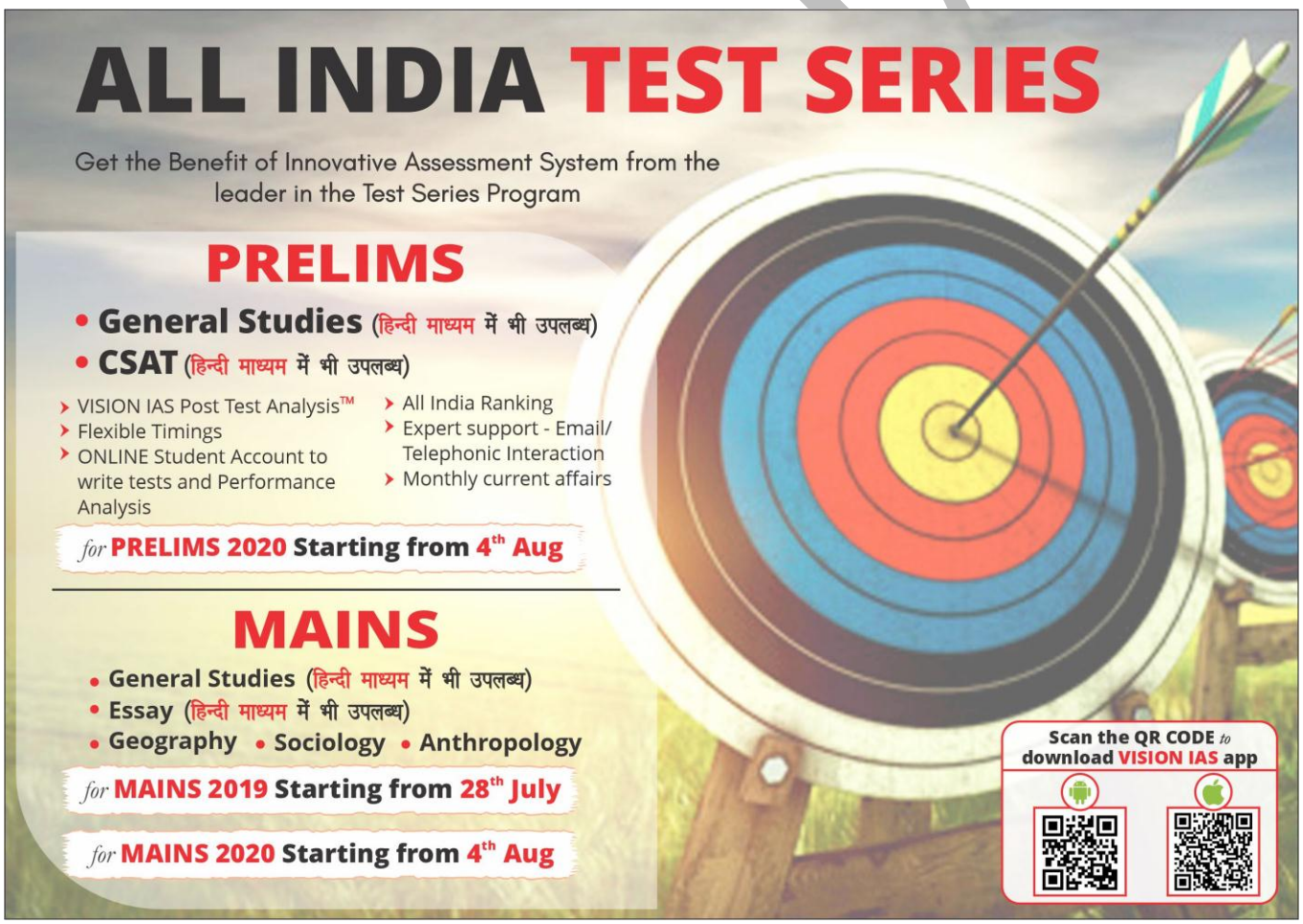

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS